खण्ड-288, अंक-6
सोमवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1893
(29 मार्च, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 288 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३८३–३८७
व्यवस्था के विभिन्न प्रश्न	३८८–३९१
प्रश्नोत्तर	३९१–४१०
भूतपूर्व सदस्य, श्री प्यारे लाल तथा श्री फजलुर्रहमान के निधन पर शोकोद्गार	४१०–४११
शेख मुजीबुर्रहमान तथा उनके देशवासियों के वीरतापूर्ण संघर्ष तथा स्वतंत्र बंगला देश की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (सर्व सम्मति से स्वीकृत)	४११–४१५
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (४था संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गई)	४१५
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन की पटल पर रखी गई)	४१५
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गई)	४१५
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन सन् १९६७-६८ के (सदन के पटल पर रखा गया)	४१६
आल इंडिया रेडियो द्वारा पक्षपातपूर्ण ढंग से विधान सभा के सदस्यों की संख्या की समीक्षा करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४१६–४१९
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	४१९–४५६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	४५६
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	४५६–४६२
नत्थी	४६३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ मार्च, १९७१

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९०

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैय्यद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
एस० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला पति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद , श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद ,श्री
जगदीश्वरदयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगननाथ प्रसाद , श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री

डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीप नारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह , श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर

प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महा देव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन सिंह, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)

रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति ,श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना,, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुरफे, खां श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालू, श्री
लोलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेवसिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार , श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिव राज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री

शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शोनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत,श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदा नन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी , श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल घुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामीप्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेह बाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—मुख्य मन्त्री श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

व्यवस्था के विभिन्न प्रश्न

कई सदस्य एक साथ—

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय, आपकी जो फीगर्स हैं उनसे मालूम होता है कि अपोजीशन की संख्या ज्यादा हो गई है, क्या आप ने इस तरह से राज्यपाल महोदय को कुछ लिखा है?

श्री राम गोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय, गाजियाबाद में संजय गांधी ने यह घोषणा की है कि मई में उत्तर प्रदेश के मध्यावधि चुनाव होंगे। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जब कि यह अखबार में छपा है कि उन्होंने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव मई में होंगे। यह कहना कहां तक उनके अधिकार क्षेत्र में आता है?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय, इस पर आप व्यवस्था दे दें। आप राज्यपाल महोदय से मिलने के लिये गये थे। माननीय नारायण दत्त जी भी राज्यपाल महोदय से मिलने गये थे। संसद प्रणाली के अनुरूप जब एक अविश्वास का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है उस पर विचार होने से पहले ही इस प्रकार की चीजों का होना कहां तक न्याय संगत है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनें। मैं अभी सब का उत्तर देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कब्ल इसके कि इस पर विचार हो, श्री संजय गांधी इस प्रकार का एलान करें कि मध्यावधि चुनाव होंगे। आप इस बात को देखें।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय, आप के कार्यालय के द्वारा जो लिस्ट निकली है उसको देखते हुये कि आप साधिकार हैं आप इसका स्वयं निर्णय कर सकते हैं। जब कि सरकारी पक्ष के लोग अल्पमत में हो गये हैं फिर भी वे वहां बैठे हैं यह कहां की प्रजातांत्रिक प्रणाली है?

श्री राम गोपाल संड—

गाजियाबाद में जो इस प्रकार की घोषणा संजय गांधी ने की है, माननीय, आप इसके ऊपर ध्यान दें।

श्री प्यारे लाल (जिला मिर्जापुर)—

गाजियाबाद की उस सभा में मैं स्वयं था और श्री संजय गांधी ने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की और न तो उन्होंने इसके लिये कोई वोट ही मांगे। यह केवल झूठा प्रचार मात्र है, प्रोपेगन्डा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय प्यारे लाल जी ने इसको छपा हुआ नहीं देखा है जो स्वतंत्र भारत पत्र में छपा है ?

एक सदस्य---

श्री संजय गांधी ने गाजियाबाद में यह कहा है कि मई में उत्तर प्रदेश के मध्यावधि चुनाव होंगे। आपने जिस प्रकार से केन्द्र में जिताया है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी जितायेंगे ? मान्यवर, यह उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष---

आपकी बातें मैंने सुन लीं। मैं एक-एक का जवाब दे रहा हूं। आप अव्यवस्था पैदा न करें। रियासत हुसैन साहब ने कहा कि यह जो फिगर्स छपती हैं इनको पहले स्क्रुटनी करके छापी जाती हैं और अखबार में दी जाती हैं। अखबार में तो हमारे बगैर कहे हुए भी छप जाती हैं। दूसरी चीज यह है कि जब यहां तय हो गया और अविश्वास का प्रस्ताव आ गया और सदन ने एक अनुज्ञा दे दी कि यहां पर उस पर बहस होगी और तय होगा कि किसका बहुमत है। अनुज्ञा इसलिये दी कि आप यहां पर फैसला दें। मैंने नेता विरोधी दल से भी पूछ लिया था और सदन के नेता की जगह उप नेता बैठे हुए थे उनसे भी पूछ लिया था। अब यह कि कौन कहां मिलता है तो चाहे कोई कहीं मिले। हमारी प्रीजाइडिंग आफिसर्स की कांफरेंस में यह फैसला हुआ था कि जो फैसला होना चाहिए सदन के फ्लोर पर होना चाहिए। इसको शायद कभी किसी ने माना हो या न माना हो, वह तो श्री राज्यपाल की बात है। लेकिन जो फैसला सदन में होगा वही सही होगा। आप फिगर्स देते हैं हम अपने पास रख लेते हैं लेकिन असली फिगर्स जो होंगी वे परसों होंगी जिस वक्त यहां वोटिंग होगी।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, आपने अनुज्ञा की बात कही। जब अनुज्ञा मांगी थी तो इस सदन की संख्या वह नहीं थी जो इस वक्त आपके सेक्रेटेरिएट ने बतलायी है।

श्री अध्यक्ष---

उससे क्या मतलब है।

श्री रियासत हुसैन---

उस समय मैजोरिटी में नहीं थे लेकिन अब मैजोरिटी में हैं।

श्री अध्यक्ष---

अन्दाज से संख्या कुछ भी हो लेकिन संख्या का फैसला सदन के फ्लोर पर होगा।

श्री रियासत हुसैन---

सदन की पोजीशन यह है कि अपोजीशन में ज्यादा हैं और ट्रेजरी बैंचेज की तादाद कम रह गयी है। ऐसी हालत में गवर्नर को यह सूचना आपने भेजी ?

श्री अध्यक्ष---

जब सदन की राय हो गयी कि अमुक तारीख को विचार होगा और फैसला होगा तो गवर्नर बीच में नहीं पड़ेंगे और न पड़ने का कारण ही है। ऐसा हो जाय कि एकाएक आपके नेता सदन या मुख्य मंत्री इस्तीफा दे दें तो बात दूसरी है।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

हम बहुमत में हैं। इस्तीफा देने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों टोकते हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि गवर्नर किसी को भी किसी फिगर्स के ऊपर नहीं कह सकते कि इस्तीफा दो। सदन का फैसला है कि सदन ३१ तारीख को बैठेगा और वोट उस दिन दिये जावेंगे। फर्ज कर लें कि चीफ मिनिस्टर साहब उसके पहिले ही इस्तीफा दे दें। फिगर्स राज्यपाल क्यों च हते हैं इसलिये कि उनके पास म लूमात रहे। अगर ऐसा हो जाय और जगह खाली होजाय तो बीच में कोई नई एस० वी० डी० बन जाय और कहे कि हमें बुलावें और नेता विरोधी दल कहें कि हमें बुलावें, हम बहुमत में हैं, तो ऐसे मौके पर वे विचार कर सकते हैं जो कुछ उन्हें विचार करना है। जब वह प्रस्ताव आपके सामने है जिसकी कि अनुज्ञा दी गई है तब वोटिंग के दिन तक वह कुछ नहीं करेंगे। चाहे आप कुछ भी कहते रहें, बहुमत किसका है उसका फैसला यहीं पर होगा। दूसरी बात यह है कि जब तक नेता विरोधी दल, श्री कमलापति त्रिपाठी यहां पर मौजूद नहीं थे तभी शोरगुल हुआ था। श्री कमलापति त्रिपाठी के आने के बाद कोई शोर नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न आपने यह उठाया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के लड़के ने स्टेटमेंट दिया था जो अखबार में छपा है तो उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अभी उसके ऊपर कोई विचार नहीं हो सकता है और यहां पर उस पर कोई बहस नहीं होगी। अगर इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहते हैं या इन्क्वायरी कराना चाहते हैं तो आप मुझे लिखकर दे दें, तब जानकारी हासिल की जायेगी।

श्री लक्षमण स्वरूप (जिला मेरठ)—

हापुड़ की एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मैं आप को लिख कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिखकर दें, आपको लिखित देना पड़ेगा।

एक प्रश्न आप ने यह उठाया कि हमारे पास क्या फिगर्स आती हैं। हमारे दफ्तर में जो फिगर्स आती हैं उनको लिस्ट में दर्ज कर लिया जाता है और नेता विरोधी दल के भी दस्तखत हो जाते हैं कि हमने इसको शामिल कर लिया है। जो शख्स इस्तीफा देते हैं वे ओपिनली आ कर कहते हैं कि हमने अमुक पार्टी छोड़ दी है और अमुक पार्टी में चले गये हैं। नेता विरोधी दल एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और विरोधी दल में सब से अधिक जिम्मेदार वही समझे जाते हैं। यदि हैं कोई शख्स फिर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने फिर विरोधी पार्टी छोड़ दी है और हम फिर पहिली पार्टी में चले गये हैं तो हम उसका नाम विरोधी दल से काट देते हैं। काटने का यह मतलब होता है कि हम यह तथ्य अपने रिकार्ड में रख लेते हैं, बाद में जो भी सदन में फैसला हो। अन्तिम विचार आप यहीं पर कर सकते हैं. आप अपने विचार भी बदल सकते हैं। तो यह सब बात होती है और जो भी फैसला होगा वह वोटिंग के बाद में होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, आप किस सिलसिले में राज्यपाल महोदय से मिलने गये थे?

श्री अध्यक्ष—

जैसे मैंने आप को चाय-पार्टी की दावत दी है वैसे ही मैं उनके पास भी गया था। उसी तरह से उन को भी दावत दी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मध्यावधि चुनाव का भय कहां से फैलाया जा रहा है। मध्यावधि चुनाव तो तभी होता है जबकि कोई गवर्नमेन्ट ही न बन सके। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हम मैजारिटी में हैं। अगर आप मैजारिटी में हैं तो आप की सरकार चलेगी और अगर आप माइनारिटी में हैं तब मेरी गवर्नमेंट चलेगी। इसलिए मध्यावधि चुनाव का प्रश्न ही कहां से आता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैं पंडित जी से पूछता हूं कि मैसूर के अन्दर क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैसूर के अन्दर क्या हुआ, उससे यहां के प्रश्न से क्या मतलब।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यहां पर मध्यावधि चुनाव नहीं होगा। पहली संविद सरकार टूटी थी। जिसमें जनाब भी शामिल थे, तो सन् १९६९ में मध्यावधि चुनाव हुए थे। अब या तो जनाब की सरकार चलेगी या फिर मेरी सरकार चलेगी। मध्यावधि चुनाव की न कोई सम्भावना है और है कोई जड़ ही है।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

जो कुछ श्री कमलापति त्रिपाठी कह रहे हैं क्या ऐसा कहने के लिए उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी से पूछ लिया है क्योंकि बगैर उनसे पूछे कुछ कहने की कांग्रेस में किसी की हैसियत नहीं है। कोई इन्दिरा गांधी जी की भावनाओं को नहीं ठुकरा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा मत कहिए।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २९ मार्च, १९७१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सरकारी कोटे से कार तथा स्कूटरों का आवंटन

*१—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६८ से जुलाई, १९७० तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र स्कूटर, अम्बेसडर कार, टैम्पू आदि के लिये प्राप्त हुये ? उनमें कितनों को क्रम के अनुसार दिया गया है कितने को क्रम का उल्लंघन कर के दिया गया है और कितने प्रार्थना-पत्र अब भी पड़े हुये हैं ?

न्याय उप मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)---

टेम्पो का आवंटन नहीं होता है । सरकारी कोटे से स्कूटर तथा कारों का आवंटन प्रार्थना-पत्रों की तिथि के क्रम से नहीं बल्कि गाड़ियों की उपलब्धि तथा प्रार्थियों की आवश्यकता को आंक कर किया जाता है । प्रार्थना-पत्रों तथा आवंटन के आंकड़े इस प्रकार है :—

	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	आवंटित की गई गाड़ियों की संख्या	बचे हुए प्रार्थना-पत्रों की संख्या
स्कूटर	६,७००	९६०	४,३८४
एम्बेसडर	२२९	२१६	१३
फियेट	६९७	१९०	३५६
हेराल्ड	१५	१५	..

*२---श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो बचे हुए प्रार्थना-पत्र हैं उनको शीघ्रवरीयता के आधार पर स्कूटर, टैम्पू, अम्बेसडर कार देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां. तो कब तक ?

श्री सच्चिदानन्द---

आवंटन गाड़ियों की उपलब्धि तथा प्रार्थियों की आवश्यकता को आंक कर किया जाता है ।

श्री सुखपाल पांडेय---

स्कूटर देते समय आवश्यकता का मापने का क्या पैमाना है, तथा जो पहले के प्रार्थना-पत्र थे उन पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्री सच्चिदानन्द---

३० मार्च, १९६९ के पहले के प्रार्थना-पत्र सस्पेंड किये गये । कार और स्कूटर वगैरह आवश्यकता पर विचार कर के दिये जाते हैं ।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या विधायकों को जो स्कूटर दिये जाते हैं उसमें भी भेदभाव की नीति बरती जाती है ?

श्री सच्चिदानन्द---

ऐसा नहीं है ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

आपने कहा कि आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, उस आवश्यकता को मापने का आपने क्या आधार बनाया है, उसका कौन सा पैमाना निश्चित किया है ?

न्याय राज्य मंत्री (श्री मनोहरलाल)---

इसके अलाटमेंट के लिये एक कमेटी, जिसमें परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त तथा गृह सचिव थे जो प्रार्थना-पत्रों पर विचार करके स्कूटर एलाट करती थी। जो अभी भूतपूर्व परिवहन मन्त्री थे, उन्होंने उस कमेटी को खत्म कर के सारी पावर्स एलाटमेंट को अपने हाथ में ले ली थी और स्वयं जिसको चाहा था एलाट किया जिसको नहीं चाहा उसको नहीं दिया।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)---

क्या माननीय परिवहन मंत्री ने अपने लड़के को भी स्कूटर दिया है, यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री मनोहरलाल---

इसकी जानकारी इस समय नहीं है कि किसको दिया है तथा किस आधार पर दिया है, लेकिन इतना मालूम है कि सारी पावर्स उन्होंने अपने हाथ में ले लीं थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक तरफ तो बहुत से विधायकों के प्रार्थना-पत्र स्कूटर के लिये पेंडिग पड़े हैं, उधर कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनको दोबारा स्कूटर एलाट किये गये हैं ?

श्री सच्चिदानन्द---

इसकी सूचना नहीं है। अगर ऐसी शिकायत कोई है, माननीय सदस्य अगर लिखकर देंगे तो पता कर लेंगे।

श्री संजीवनलाल (जिला उन्नाव)---

क्या विधायकों के लिये यह सुविधा है कि वे कार और स्कूटर दोनों ले सकते हैं ?

श्री सच्चिदानन्द---

प्रार्थना-पत्र तो दोनों के लिये दे सकते हैं, मगर विचार एक ही पर होता है, एक ही चीज दी जाती है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

सब से आखिरी जो मीटिंग हुई उसमें कितने विधायकों को स्कूटर एलाट किये गये और कितनों को कार तथा कितने विधायक ऐसे रह गये जिनको कार या स्कूटर कुछ भी एलाट नहीं किया गया ?

श्री मनोहर लाल---

मैंने पहले बताया कि जो कमेटी बनी हुई थी, उस को हमारे परिवहन मंत्री जी ने निरस्त कर दिया था और उन्होंने किसको दिया तथा किसको नहीं दिया, इसकी इसीलिए हम को जानकारी नहीं है। यदि सदस्य चाहते हैं तो लिख कर दे दें हम सूचना एकत्र कराकर बता देंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

आवश्यकता को देखकर जो आवंटन किया गया है, तो क्या कमेटी के अलावा और कोई अन्य अधिकारी हैं जिनके इशारे पर यह किया गया है ?

श्री मनोहरलाल---

मैंने पहले ही बताया कि एक कमेटी यह करती थी, लेकिन पहले के परिवहन मन्त्री, लक्ष्मीरमण आचार्य ने उसकी पावर स्वयं अपने हाथ में ले ली थी और उन्होंने उन्हें बांट दिया है अपने आप। हम इसकी सूचना एकत्र करा लेंगे, सदन चाहेगा तो बता भी देंगे।

गोरखपुर रोडवेज मण्डल में भर्ती

*३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री जांच कर बतायेंगे कि राजकीय यातायात रोडवेज मन्डल, गोरखपुर में कितने लोगों की भर्ती बस कन्डक्टर, बुकिंग क्लर्क एवं ए० टी० आई० पदों पर मई, १६७० से जुलाई, १६७० तक की गई? इनमें कितने परिगणित जाति के हैं? तथा इनको सेवा कार्य में लेने का क्या आधार है?

श्री सच्चिदानन्द—

राजकीय यातायात रोडवेज मण्डल गोरखपुर में मई, १६७० से जुलाई, १६७० तक बस कन्डक्टर के पद पर ३० लोगों की क्लीयर पदों पर तथा ६८ लोगों की अल्पकालीन रिक्तियों में भर्ती की गयी। बुकिंग क्लर्क एवं ए० टी० आई० के पदों पर उक्त अवधि में कोई भर्ती नहीं हुई।

२—उपर्युक्त नियुक्तियों में २ परिगणित जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियां बस कण्डक्टर के क्लीयर (Clear) पदों पर और दो अल्पकालीन रिक्तियों के स्थान पर की गयी।

कन्डक्टरों की नियुक्ति प्रतीक्षा सूची से ज्येष्टता के आधार पर किया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठता क्रम की जो सूची तैयार की गई, उसमें स्ट्राइक लिस्ट के लिए गये हैं या अन्य लोग लिए गये हैं?

श्री सच्चिदानन्द—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

नवम्बर, १६७० और फरवरी, १६७१ के बीच में जितने लोग उक्त पदों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उन को क्या अविलम्ब सेवा में लिया जाएगा?

श्री सच्चिदानन्द—

इस पर विचार किया जाएगा।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या यह सही है कि कंडक्टर या ए० टी० आई० जो लिए जाते हैं, वह डाइरेक्ट ले लिए जाते हैं, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा नहीं लिए जाते हैं? यदि हां, तो क्या भविष्य के बारे में मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे कि उन्हें एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के माध्यम से ही लिया जाए?

श्री मनोहर लाल—

उनकी तो परीक्षा होती है और यों ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैंने इसकी जांच की है और पाया है कि जनरल मैनेजर ने कुछ रिश्वत आदि लेकर भर्तियां आदि की हैं। मैं उसका पूरा विवरण एकत्र कर रहा हूं और भविष्य में इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

इस मास की २८ तारीख को जो परीक्षा हुई है उसमें क्या सरकार प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को नियुक्त करने की कृपा करेगी?

श्री मनोहरलाल—

यह सही है कि कि २८ तरीख को परीक्षा हुई है, अब कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने योग्य आदमी मिले हैं, इस की सूचना मंगवा कर देखा जाएगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

गोरखपुर में कंडक्टरों की जो परीक्षा हुई है, क्या उसमें सरकार हरिजनों का कोटा पूरा कराने की कृपा करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द—

अब सरकार द्वारा हरिजनों के कोटे को १८ प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः २५ व ४० प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे १८ प्रतिशत पूरा हो जाए।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

हरिजनों का निश्चित कोटा पूरा करने के लिए क्या परिवहन मंत्री जी जितने हरिजनों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उस सब को इस परीक्षा में नियुक्त कर लेंगे ? और जो इससे बचते हैं उन को भी आगे पूरा कर लेंगे ?

श्री मनोहरलाल—

इसमें नियम बना हुआ है। कुछ अभ्यर्थी ले लिये गये और जो बाकी रह गये, जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है उनके वेटिंग लिस्ट में नाम हैं। परीक्षा के बाद विचार किया जायगा। किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। यह हम विश्वास दिलाते हैं।

*४—श्री राम चन्द्र विकल—

[माननीय सदस्य के त्याग-पत्र के कारण हटाया गया।)

आई० टी० आई० केन्द्रों में अनियमिततायें तथा फर्रुखाबाद व मैनपुरी केन्द्रों में पिस्तौल का निर्माण

*५—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रम मन्त्री ने अगस्त, १९७० तथा जुलाई, १९७० में किन-किन आई० टी० आई० केन्द्रों का निरीक्षण किया ? क्या यह सत्य है कि मिर्जापुर, आई० टी० आई० में बड़ी मात्रा में गबन तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है ? क्या यह भी सही है कि फर्रुखाबाद तथा मैनपुरी के आई० टी० आई० प्रशिक्षण केन्द्रों में पिस्तौल का अवैध रूप से निर्माण होता है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हबीबुर्रहमान)—

श्रम मन्त्री ने जुलाई तथा अगस्त, १९७० में किसी भी आई० टी० आई का निरीक्षण नहीं किया। आई० टी० आई०, मिर्जापुर के भण्डार में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं जिसके सत्यापन के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है। फर्रुखाबाद तथा मैनपुरी के आई० टी० आई० में पिस्तौल का निर्माण होने की कोई सूचना शासन के पास नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह जो गलत बयानी की है श्रम विभाग के लोगों ने, उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही करेंगे ? श्रम

विभाग के भूतपूर्व राज्य मन्त्री बैठे हुए हैं। उन्होंने पिस्तौल का कारखाना पकड़ा। मिर्जापुर में गबन पकड़ा और जगह-जगह अखबारों में छपा। मैंने बधाई का पत्र भी लिखा मनोहर लाल जी को, और उसे उन्होंने स्वीकार भी किया। आज के श्रम मंत्री जी कह रहे हैं न पिस्तौल का कारखाना पकड़ा गया न कोई मन्त्री जांच करने गया। जिस अधिकारी ने उत्तर दिया इतनी बड़ी गलतबयानी की है, आई० टी० आई० में पिस्तौल बनाने का प्रयास किया जाय, उसको राज्य श्रम मन्त्री पकड़ें और श्रम विभाग के लोग चुने हुए मंत्रियों से गलतबयानी करें, तो मैं पहले आप से व्यवस्था चाहता हूं, तब मैं सप्लीमेंटरी पूछूंगा, आप व्यवस्था दें, इतनी बड़ी गलतबयानी हुई कि वहां पर पिस्तौल बनाने का कारखाना नहीं पकड़ा गया। आप पूछें मंत्री जी से कि क्या दंड देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आप पूछें।

श्री रामगोपाल संड---

कौन सा दंड देंगे, मंत्री जी ?

श्री हबीबुर्रहमान---

इसकी सूचना नहीं है तो दंड देने का सवाल नहीं पैदा होता है। अगर अधिकृत सूचना दें तो जांच करवा लेंगे।

श्री रामगोपाल संड---

मैं मनोहर लाल जी से पूछना चाहता हूं कि यह पिस्तौल बनाने का कारखाना पकड़ा गया ? और वह मिर्जापुर, फर्रुखाबाद और मैनपुरी गये थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

मनोहर लाल जी, आप कह सकते हैं, आपने कुछ देखा है ?

श्री मनोहरलाल---

मैं श्रम राज्य मन्त्री था। यदि मुझसे माननीय मंत्री पूछेंगे या यह सदन पूछता है तो मैं बताने को तैयार हूं। इसमें जैसी आप की आज्ञा हो।

श्री अध्यक्ष---

आप स्पष्टीकरण दे दीजिये। आप राज्य श्रम मन्त्री थे।

श्री मनोहरलाल---

अगर श्रम मंत्री चाहते हैं तो देने को तैयार हूं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसके प्रकाश में इस बात को देख लिया जायगा और अगर वह बात ठीक हुई तो दोबारा उसकी सदन में सफाई कर दी जायगी।

श्री रामगोपाल संड---

मैं मंत्रियों का बड़ा आदर करता हूं। इसमें मन्त्रियों का दोष नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ी गलत बयानी हुई है। आप मनोहरलाल जी को वक्तव्य देने के लिये कहें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मनोहरलाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं। यह आप सदन के सामने कहिए, जनाब।

श्री मनोहरलाल——

यह बात सही है कि मुझे श्रम विभाग मिला था। मैंने उस समय कम से कम ४० आई० टी० आईज़० का निरीक्षण किया था। आई० टी० आई०, फर्रुखाबाद में पितौल की नलियां मिलीं, मिर्जापुर में लाखों रुपये का गबन मिला और बनारस में लाखों रुपये का गबन मिला। मैंने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में दिया है। उसमें मैंने यह बात लिख दी थी। मुझे अफसोस है जिस तरह से श्रम विभाग ने लिख दिया है, इसमें मंत्री जी का कोई दोष नहीं है। यह श्रम विभाग के अधिकारी उस वक्त भी कोआपरेट नहीं कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष——

माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा लेंगे कि किसने उनको गलत इन्फार्मेशन दी और उसके खिलाफ एक्शन लें। इस प्रश्न को इस समय मैं पोस्टपोन करता हूं। आप जांच करके फिर से उत्तर देंगे।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)——

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार की ओर से दो मंत्रियों के अलग अलग उत्तर आये हैं। कौन सा उत्तर सही है?

श्री अध्यक्ष——

अब जो उत्तर जांच करके वह देंगे, वह सही होगा ऐसी अपेक्षा है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)——

यहां पर माननीय मंत्री ने गलत उत्तर दिया है। वह स्टेटमेंट झूठा तथा गलत है और सदन को गुमराह करने वाला है। इसीलिये इसी समय मैं इसका आप को नोटिस दिये देता हूं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है और इस सम्बन्ध में बाद में लिख कर भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष——

मैंने यह कह दिया है कि मनोहरलाल जी के स्टेटमेंट के बाद श्रम मन्त्री जी इस प्रश्न पर पुनः जांच कर लें और अगर किसी सरकारी अफसर ने उनको गलत सूचना दी है, उस पर वह एक्शन लें।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा——

मंत्री जी सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। मैं उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज उठा रहा हूं। वह अपने अधिकारी के खिलाफ कोई भी ऐक्शन लेना चाहें ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष——

आप लिखित भेज दीजिये। वैसे जो जवाब उनको मिला था उस को तोड़ मरोड़ कर अगर वह पढ़ते तो मैं मान लेता कि आप ठीक कह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि नीचे से दफ्तर से उनको गलत इन्फार्मेशन दी गयी है यह कहा गया है और अब मनोहर लाल जी ने उनको दूसरी इन्फार्मेशन दी है। दोनों को वह जांच कर लेंगे और जो सच्चाई होगी वह सदन के सामने रख देंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)——

मंत्री जी ने बतलाया कि ३५, ३६ आई० टी० आई० की उन्होंने जांच की। गोंडा भी वह गये थे। प्रधानाचार्य के लिये उनका कहना था कि वह मुअत्तल कर दिया जायगा। जांच हुई लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला और सदन में भी उसकी रिपोर्ट पेश नहीं की?

श्री अध्यक्ष--

यह तो पुरानी बात है।

प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु देहली में मुख्य सचिवों का सम्मेलन

*६--श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद), श्री राजेश्वर सिंह (जिला बरेली) तथा श्री शौनाथ सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या यह सही है कि अभी देहली में २५/२७ जून, सन् १६७० को या इसके लगभग क्या कोई चीफ सेक्रेटरी के भिन्न-भिन्न प्रान्तों की कान्फ्रेन्स हुई जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, आई० टी० आई० के ट्रेन्ड दस्तकारों को अपना जातीय काम शुरू करने में रोजगार पाने के लिये, कारगर बनाने के खयाल से अप्रेन्टिसशिप स्कीम को बढ़ावा देने और ट्रेनिंग प्रोग्राम को कारामद बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया ? यदि हां, तो सरकार यह बतायेगी कि इस कांन्फ्रेंस में क्या-क्या निर्णय लिये गये और क्या-क्या स्कीमें तैयार हुईं और क्या उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी ने इस सम्मेलन में कोई भाग लिया ? और कोई स्कीम इस कान्फ्रेंस के द्वारा सरकार के पास आई है ?

श्री हबीबुर्रहमान--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नौनिहाल सिंह--

यह प्रश्न २१-१२-७० को दिया है और तीन महीने के लगभग हो गये जिसके अन्दर यह सूचना एकत्रित नहीं हो सकी। सिर्फ यह देखना था कि सेक्रेटरी महोदय दिल्ली गये थे या नहीं गये थे ?

श्री अध्यक्ष --

इतनी देर क्यों लग रही है। इसे जरा देख लिया जाय।

श्री हबीबुर्रहमान--

मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप जरा इसकी व्यवस्था कर दें कि १०, १५ दिन में जिनकी सूचना एकत्रित की जा रही है उनका जवाब आ जाय।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था बनी हुई है कि सरकार को शीघ्र जवाब देना चाहिये।

गोरखपुर जिला जेल में बन्दियों को उच्च श्रेणी देना

*७--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ मई, १६६८ से ३० जून, १६६८ तक गोरखपुर जिला जेल में कितने लोगों को उच्च श्रेणी की सुविधा दी गई थी ?

सूचना मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द)--

३१ व्यक्तियों को।

*८—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार यह बतायेगी कि १ अगस्त, १९७० से १५ सितम्बर, १९७० तक गोरखपुर जिला जेल में कितने लोगों को उच्च श्रेणी दी गई ? क्या यह बात सही है कि जिन लोगों को १९६८ में उच्च श्रेणी की सुविधा दी गई थी उन्हें १९७० में वंचित कर दिया गया है ? इसका क्या कारण है ?

श्री त्रिलोक चन्द—

तीन व्यक्तियों को। बारह बन्दी जिन्हें १९६८ में उच्च श्रेणी में रखा गया था वे शासन के पुनरीक्षित निर्णय के अनुसार १९७० में जेल में उच्च श्रेणी पाने के पात्र नहीं समझे गये।

श्री गंगा प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय जिन व्यक्तियों को माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उच्च श्रेणी दिया है उसमें कितने लोग हरिजन जाति के थे और कितने लोग पिछड़ी जाति के ?

श्री त्रिलोक चन्द—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में कोई ऐसी बात नहीं उठाई गई है कि किस-किस कौम के कितने व्यक्ति थे ? अतः इस प्रश्न के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को उच्च श्रेणी जेलों में दी गई उनमें से कितने लोग ग्रेजुएट थे और कितने नान-ग्रेजुयेट थे गोरखपुर और मिर्जापुर में ताकि यह पता चल सके कि किस हैसियत से आप उच्च श्रेणी की जेल देते हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द—

श्रीमन्, प्रश्न में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु ऐसा क्वालीफिकेशन और स्टेट्स के आधार पर किया गया है। १९६८ में नियमों में तब्दीली कर दी गई थी किन्तु उसमें क्लासेस की बात नहीं थी. . . .

श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी जानकारी से सम्बन्धित इस प्रश्न के सिलसिले में मैंने गोरखपुर जिला जेल का निरीक्षण किया था और मैंने पाया कि वहां पर उच्च श्रेणी की जेल देने में देरी की गई तो क्या सरकार से कोई लिखित आदेश आप को मिले थे कि इन लोगों को उच्च श्रेणी की जेल न दी जाय जब कि वे पाने क योग्य थ ?

श्री त्रिलोक चन्द—

एक आदेश ७ जुलाई १९७० को शासन की तरफ से गया था जिसमें लिखा गया था कि जितने नेक्सलाइट एक्टिविटीज के हों उनको उच्च श्रेणी की जेल न दी जाय। अतः उसी के आधार पर उनको उच्च श्रेणी नहीं दी गई।

श्री राजितराम पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या १४४ तोड़ना नेक्सलाइट एक्टिविटी है ?

श्री त्रिलोक चन्द—

धारा १४४ की बात नहीं है। चूंकि घेराव आन्दोलन चल रहा था तो उसे भी नेक्सलाइट एक्टीविटी समझा गया।

श्री रामकरन—

सुपीरियर क्लास देने के जो नियम बने हुए हैं, कायदे कानून बने हुए हैं उनके तहत जो सुविधाएं दी जाती हैं, यह उनको तोड़ कर फैसला लिया गया ? आखिर किस नियम के तहत यह फैसला लिया गया ?

श्री त्रिलोक चन्द—

इसकी जानकारी नहीं है कि शासन ने कब निर्णय लिया। यह इस रेडियोग्राम से पता लगता है और उसी के आधार पर घिराव आन्दोलन में भाग लेने वालों के खिलाफ यह आदेश दिया गया था कि उनको उच्च श्रेणी न दी जाय सिवाय एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, एम० पी० आदि को छोड़ कर। ऐसा नहीं था कि बिना निर्णय के कोई कार्यवाही की गयी हो।

श्री रामगोपाल संड—

जुलाई और अगस्त में क्या जेल मंत्री ने कोई ऐसा पत्र भेजा था कि जिन लोगों को उच्च श्रेणी दी जाती थी, राजनीतिक व्यक्तियों को, स्टूडेंट्स फेडरेशन को या राजनीतिक दल को, उन्हें नहीं दी जायगी ? यदि हां, तो उसको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द—

यही रेडियोग्राम है, कहें तो इसको पढ़ कर सुना दूं, ७ जुलाई, १६७० का है। और कोई पत्र नहीं भेजा गया।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास पूरी सूचना नहीं है। १५ दिन के बाद यह प्रश्न फिर आयगा।

श्री राजितराम पांडेय—

क्या यह सत्य नहीं है कि कारगार मंत्री ने तानाशाही बरती है ? न मैनुअल जेल का बदला है, न विधान कायदा बदला और इस तरह से उनकी क्लास बदल दी तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं फिर से रखूंगा इसको। आपको मालूम नहीं है। प्रश्न आपने सुन लिए हैं, उसके आधार पर उसको तैयार करके आइये।

राजकीय रोडवेज, आगरा में कन्डक्टरों के चुनाव हेतु परीक्षा

*६—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, आगरा में कन्डक्टरों के चुनाव के लिये लिखित परीक्षायें सपन्न हुये लगभग एक वर्ष हो गया ? यदि हां, तो परिणाम कब घोषित किया जायगा।

श्री सच्चिदानन्द—

जी हां, पिछले वर्ष एक परीक्षा हुई थी किन्तु इसी बीच रोडवेज के अन्य क्षेत्रों में स्टाफ आवश्यकता से अधिक होने के कारण नवीन नियुक्तियां न करने का निर्णय लिया गया। अतएव प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम घोषित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जब स्टाफ की संख्या अधिक थी आपके पास तो यह परीक्षा क्यों कराई गई ? और हजारों लोग जो परीक्षा में बैठे थे, उनका हजारों रुपयों का नुकसान क्यों कराया गया ?

श्री सच्चिदानन्द---

३ आदमियों की कमेटी बनायी गयी थी और उन्होंने सर्वे किया कि रोडवेज के समस्त क्षेत्रों का स्टाफ अधिक है या कम है। जब उन्होंने रिपोर्ट दी कि स्टाफ रोडवेज क्षेत्र में ज्यादा है तो जो परीक्षाएं हुई थीं उसका परिणाम पत्र घोषित नहीं किया गया, उसको पेंडिंग कर दिया गया है और आवश्यकतानुसार उनमें से नियुक्तियां की जायंगी।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

परीक्षा लेने से पहले कोई इस बात की जानकारी करा ली गयी थी कि हमारे यहां स्टाफ कम है तब परीक्षा करायी जाय, लोगों को बुलायें? परीक्षा में हजारों लोग आये, गरीब आदमियों का रुपया बर्बाद हुआ और आपने परीक्षा लेने के बाद यह कह दिया कि हमारे यहां स्टाफ अधिक है, लिहाजा परीक्षा का परिणाम भी घोषित नहीं किया गया। क्या पहले नहीं मालूम था कि स्टाफ ज्यादा है?

श्री सच्चिदानन्द---

ऐसी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन भूतपूर्व जो परिवहन मंत्री थे उन्होंने चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सही है कि परीक्षा की कापियां वैसे ही पड़ी हुई हैं और अभी तक उनकी जांच भी नहीं की गई है?

श्री सच्चिदानन्द---

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

एटा डिपो में अच्छी तथा खराब बसें

*१०---श्री सिया राम (जिला एटा) तथा श्री नेतराम सिंह (जिला-एटा)---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा डिपो में कितनी राजकीय बसें हैं, उनमें से कितनी बसें चालू हैं और कितनी खराब हालत में कब से खड़ी हैं और क्यों?

श्री सच्चिदानन्द---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी?

श्री सच्चिदानन्द---

इसमें शीघ्रता की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, यह शब्द बड़ा वेग है। वह निश्चित समय बताने की कृपा करें।

श्री सच्चिदानन्द---

श्रीमन्, इसमें थोड़ा समय लगेगा। कम से कम एक महीना तो लग जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी–गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न की सूचना कौन सी तारीख को मांगी थी ?

श्री सच्चिदानन्द---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द सिंह---

मान्यवर, उत्तर आता है सूचना की आवश्यकता है। सदन को मालूम होना चाहिये कि मंत्री जी के मंत्रालय से कौन सी तारीख को सूचना मांगी गई थी ताकि जो नियम है कि २० दिन के अन्दर उत्तर आ जाना चाहिये, उसका पालन हो सके। कितने दिन चाहिये सूचना मंगाने के लिये ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आपके पास होगा कि किस तारीख को आपने भेजा।

श्री गोविन्द सिंह---

मान्यवर, मंत्री लोग परवाह नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

परवाह करने वाले मंत्री इधर आ गये हैं।

*११---श्री रामचन्द्र विकल---

[माननीय सदस्य के त्याग–पत्र के कारण हटा दिया गया।]

प्रान्तीय तथा अन्तर–प्रान्तीय मार्गों पर राजकीय बसों की असफलता

*१२--श्री निर्भर नारायण सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि प्रान्तीय और अन्तर प्रान्तीय मार्गों पर बस चलाने के लिये जो परमिट उत्तर प्रदेश रोडवेज को गत अगस्त, सितम्बर, तथा अक्तूबर मास में मिले हैं, उन पर दिनांक १ नवम्बर, १६७० तक उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों को निर्धारित संख्या में चलाने में असफल रही है ? यदि हां, तो बसों के मार्ग के नाम व उन पर चलने वाली बसों की संख्या क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवननारायण सिंह)---

यह सही नहीं है कि गत अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर में रोडवेज को विभिन्न मार्गों पर बस चलाने हेतु जो परमिट मिले थे उन समस्त मार्गों पर रोडवेज बस सेवा चलाने में असफल रही है। केवल निम्नलिखित मार्गों पर, जिनके लिए परमिट गत अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर में मिले थे, १ नवम्बर, १६७० तक रोडवेज गाड़ियां नहीं चल सकीं।

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	परमिटों की संख्या
१	वाराणसी–भभुवा टाउन	२
२	अहरौरा–भभुवा वाया मालदा	१
३	वाराणसी–चन्दौली–भभुवा–इलिया	२
४	वाराणसी–मुगलसराय–भभुवा टाउन वाया धरौली	१

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	परमिटों की संख्या
५	रानीखेत–कर्णप्रयाग–गोरखपुर वाया द्वारहाट–पुनवाखाल ..	४
६	बहराइच–भिन्गा	२
७	बहराइच–नवाबगंज वाया नानपारा	१
८	शामली–पानीपत (अन्तर प्रान्तीय)	१
९	बरेली–बदायूं–कासगंज	४
१०	बरेली–अल्मोड़ा वाया खैरना	१
११	मुरादाबाद–अल्मोड़ा वाया खैरना	१

निजी वर्कशापों में बसों की बाडी बनाने में लागत

*१३—श्री निर्भय नारायण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज के निजी वर्कशापों में बसों की बाडी बनाने की क्या लागत आती है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

रोडवेज को केन्द्रीय कर्मशाला कानपुर के द्वारा जो बस बाडी बनायी जाती हैं उनकी लागत निम्न प्रकार है :—

	रु०
१—सिटी बस सर्विस गाड़ियां	१७,५००
२—रूरल बसें	१८,५००

राष्ट्रीयकृत सड़कों पर चलने वाली बसों की संख्या

*१४—श्री निर्भय नारायण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ अक्तूबर, १९७० को राष्ट्रीयकृत सड़कों पर चलाने के लिये उत्तर प्रदेश रोडवेज को कितनी बसों की आवश्यकता थी तथा उनमें कितनी बसें चलती थीं और चलने वाली बसों में ८ १/२ साल से ज्यादा पुरानी कितनी बसें हैं ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

[दिनांक २९ मार्च, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जेलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण

*१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जेल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा वार्डनों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री त्रिलोक चन्द---

जेल विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जा रहा है।

जेल विभाग में वार्डनों के कोई पद नहीं हैं परन्तु वार्डन स्टाफ के वेतन पुनरीक्षण पर विचार किया जा चुका है और निर्णय को वित्तीय वर्ष १९७१-७२ में लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री त्रिलोक चन्द —

उनको वही वेतन मिल रहा है जो राज्य के अन्य कर्मचारियों को मिलता है। इसलिये विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह जो कहा गया है कि वार्डेन स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का पुनरीक्षण किया जा रहा और निर्णय १९७१-७२ में लागू किया जायेगा तो अभी लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री त्रिलोकचन्द---

मान्यवर, बजट में आने के बाद ही होगा। इस समय कैसे हो सकता है।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस से इनको कम वेतन मिल रहा है ?

श्री त्रिलोक चन्द---

पुलिस से इनका कोई मतलब नहीं है।

श्री प्यारेलाल---

यह सब एक ही विभाग के हैं। पहले उनको ज्यादा वेतन मिलता था। अब कम मिल रहा है ?

श्री त्रिलोक चन्द---

पुलिस विभाग के कांस्टेबिल्स को वनिस्बत वार्डेन्स के ज्यादा वेतन मिलता है। इसी पर विचार किया गया है।

श्री प्यारेलाल---

पहले से उनको कम वेतन मिल रहा है ?

श्री त्रिलोक चन्द---

ऐसा नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी इन कर्मचारियों के वेतन के प्रश्न को आयोग को सौंपने की कृपा करेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द---

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

यह जो वेतन आयोग बना है यह तो सारे स्टेट कर्मचारियों के वेतन पर विचार करने केलिए बना है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन लोगों को उस कमीशन के अन्तर्गत लेने की जरूरत नहीं है। तो इसकी सफाई चाहिए।

श्री त्रिलोक चन्द—

इनका पुनरीक्षण कर लिया गया है उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो सब कर्मचारी आयेंगे, कोई बचेगा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह—

आयोग का गठन हो गया और यह घोषणा कर दी गयी है कि तमाम राज्य कर्मचारियों के वेतन के बारे में यह अपनी सिफारिश करेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन कर्मचारियों के बारे में वह विचार नहीं करेगा ?

श्री त्रिलोक चन्द—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रियासत हुसैन—

कारागार के जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी है क्या इनको स्टेट कर्मचारियों की श्रंखला से निकाल दिया है ?

श्री त्रिलोक चन्द—

जी नहीं।

श्री गोविन्द सिंह—

मुख्य मंत्री जी सदन में हैं। एक घोषणा आयोग के बारे में हो चुकी है। उनके मंत्रि-मंडल के एक सदस्य दूसरा बयान दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अपना उत्तर चेन्ज कर लिया है कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री गंगा प्रसाद—

वह तो उन्होंने आपके कहने से कहा। जब मुख्य मंत्री सदन में मौजूद हैं तो वह बता दें।

श्री अध्यक्ष—

टर्म्स आफ रेफरेन्स पढ़ लीजिये तो आपकी समझ में आ जायेगा।

आजमगढ़ जिला जेल की भूमि पर उपज

*२—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या कारागार मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला जेल में कितनी एकड़ भूमि है और उसका क्या प्रयोग होता है ?

श्री त्रिलोक चन्द—

जिला जेल, आजमगढ़ में साढ़े ग्यारह एकड़ भूमि है जिसमें से एक एकड़ भूमि जेल के अन्दर है इस पर सब्जी बोई जाती है शेष साढ़े दस एकड़ भूमि जो बाहर हैउसमें से साढ़े छः एकड़ भूमि पर तरकारी तथा तीन एकड़ भूमि पर अनाज का उत्पादन होता है। शेष एक एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं है।

*३—श्री श्याम लाल—

क्या कारागार मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि सन् १६७०-७१ में उस भूमि पर कितनी फसल कितनी धनराशि की तैयार हुई और उसका इस्तेमाल किस प्रकार हुआ ?

श्री त्रिलोक चन्द—

वर्ष १६७०-७१ में जिला जेल, आजमगढ़ की भूमि पर जो फसलें हुई उनका विवरण इस प्रकार है :—

वस्तु का नाम	मात्रा	मूल्य रु० में
जौ	१४—००—०००	८४०.००
भूसा	३०—००—०००	६००.००
गेहूं	१—१०—०००	११०—००
भूसा	२—००—०००	४०.००
मटर	०—०५—०००	६.२५
चना	०—११—५००	११.५०
तरकारी	२८३—००—०००	७,६४१.००
कुल अनुमानित मूल्य रु० ..		६,२४८.७५

जौ, चना, मटर तथा भूसा जेल विभाग के जानवरों को खिला दिया गया। गेहू तथा तरकारी बन्दियों के भोजन में प्रयोग की गयी।

श्री श्याम लाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १६७०-७१ में जिला जेल के कम्पाउन्ड के अन्दर गन्ना और मक्का भी बोया गया था ?

श्री त्रिलोक चन्द—

जो मैंने पढ़ कर सुना दिया, वही पूर्ण सूचना है।

श्री श्याम लाल—

मंत्री जी ने जो सदन के अन्दर यह सूचना दी है, मैं समझता हूं यह उनकी गलत बयानी है। मैं स्वयं आजमगढ़ जिला जेल के अन्दर भूमि आन्दोलन के सिलसिले में बन्द था....

श्री अध्यक्ष—

जो गलत बातें आप समझते हैं उनकी सूचना मांगिये।

श्री श्याम लाल—

मेरी जानकारी को सही मान कर क्या मंत्रीजी इस सिलसिले में जांच करवायेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द—

जो-जो आपको जानकारी है वह अगर आप लिख कर दे देंगे तो अवश्य जांच करवा लूंगा।

श्री श्यामलाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जेल के नियमों के मुताबिक जेल कम्पाउन्ड के अन्दर गन्ना और मक्का बोने का प्राविधान है ?

श्री त्रिलोक चन्द—

इसके लिये सूचना कि आवश्यकता है ।

श्री श्याम लाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९६९-७० में आजमगढ़ जिला जेल में मक्का और गन्ना बोये जाने के कारण मोती और किशुन डकैत जेल की दीवार कूद कर भाग गये थे ?

श्री त्रिलोक चन्द—

१९७०-७१ के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है उससे पहले के बारे में मुझे मालूम नहीं है ?

रोडवेज की केन्द्रीय कर्मशाला कानपुर तथा अन्य कर्मशालाओं के सम्बन्ध में स्थायी आदेश

*४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राजकीय विभाग के कर्मचारियों के लिये स्थायी आदेशों का निर्माण किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों, तथा अभी कितना समय लगेगा ?

श्री सच्चिदानन्द—

रोडवेज केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के संबंध में स्थायी आदेश बन गया है । रोडवेज के अन्य कर्मशालाओं के संबंध में स्थायी आदेश का प्रालेख तैयार किया जा रहा है । इसे अन्तिम रूप देने में अभी समय लगने की संभावना है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों के लिये जो स्थायी आदेश केन्द्रीय कर्मशाला तथा अन्य कर्मशाला के लिये बनाये गयें हैं, वह क्या इनमें कुछ अन्तर रखने वाले हैं ?

श्री सच्चिदानन्द—

ऐसी बात नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय कर्मशाला के कर्मचारियों के लिये जो स्थायी आदेश बने हैं वही अन्य कर्मशाला के कर्मचारियों के लिये भी क्यों नहीं लागू हो जाते ?

श्री सच्चिदानन्द—

सरटिफाई करने में चूंकि अफसरों को समय लग जाता है इसी वजह से देर हो रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थायी आदेश सभी कर्मचारियों के लिये बने हैं और समान बनने हैं और केन्द्रीय कर्मशाला के कर्मचारियों के लिये बन गये हैं तो ब की कर्मचारियों के अन्तर तो नहीं रखने वाले हैं ? जब वह स्थायी आदेश बन गये तो वही सभी के लिये क्यों नहीं लागू करते ?

श्री सच्चिदानन्द---

जहां पर १०० या अधिक कर्मचारी काम करते हैं उनके लिये ये नियम बनाये गये हैं लेकिन जहां पर १०० से कम काम करते हैं उनके लिये ये नियम बनाने का कार्य-क्रम चल रहा है ।

श्री गोविन्द सिंह---

जो स्थायी आदेश बन चुके हैं तो उनको अन्य कर्मचारियों पर लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सच्चिदानन्द---

जो नियम १९६५ में बनाये गये वह ६५ तक लागू कर दिये गये उसके बाद जो १०० से नीचे के कर्मचारी हैं उनके लिये नियम बनाये जा रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं यह जानना चाहता हूं कि या तो मंत्री जी यह कहें कि जहां पर १०० से अधिक कर्मचारी हैं उनके लिये यह स्थायी आदेश होंगे और कम वालो के लिये नहीं होंगे । आप कहते हैं कि सब के लिये समान आदेश होंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भिन्नता क्यों रखी जा रही हैं ?

श्री सच्चिदानन्द---

इसके बारे में सूचना की आवश्यकता है ।

सूती वस्त्रों उद्योग के लिये दूसरे वेजबोर्ड की रिपोर्ट

*५---श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिये नियुक्त दूसरे वेज बोर्ड की अधीकृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को मिल गई हैं ? यदि हां, तो इस दूसरी सेन्ट्रल वेज रिपोर्ट को कार्यरूप में परिणित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)---

जी हां । सूती वस्त्र उद्योग के लिये दूसरे वेज बोर्ड की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ।

शासन ने त्रिदलीय सम्मेलन करने के बाद उक्त वेज बोर्ड की अनुशंसाओं को शासकीय आदेश से लागू कर दिया है ।

*६-७---श्री राम गोपाल सण्ड---

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाये गये ।]

*८---श्री जंग बहादुर यादव---

[२रे मंगलवार के ता० प्र० ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सहकारी यातायात समितियों का पंजीकरण तथा उन्हें परमिटों की स्वीकृति

*९---श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)---

क्या परिवहन मंत्री यह बतायेंगे कि आर० टी० ए०, कुमायूं द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में यातायात की सुविधा दिये जाने की नीति घोषित है ? यदि हां, तो अभी तक कितनी सहकारी यातायात समितियों को पंजीकृत किया गया है ?

नोट :---तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

जी नहीं ।

*१०---श्री नरेन्द्र सिंह---

क्या मंत्री जी वर्तमान पर्वतीय क्षेत्रों की यातायात की असुविधाओं को देख कर आर० टी० ए०, कुमायूं को यह आदेश देंगे कि सहकारिता के आधार पर गठित समितियों को ही परमिट स्वीकृत किये जाय ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

आर० टी० ए०, मोटर वेहिक्लस ऐक्ट, १९३९ के अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत, एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण होती है । इसलिए शासन द्वारा उन्हें परमिट स्वीकृत करने इत्यादि के विषय में कोई आदेश नहीं दिये जा सकते हैं ।

कानपुर में श्रमिकों के लिये बने गृहों का आवंटन

*११---श्री सुखलाल पाण्डेय, श्री राम करन तथा श्री राजित राम पाण्डेय---

क्या श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिये कितने-कितने क्वार्टर किस-किस श्रेणी के बने हुए हैं और उनमें से कितने क्वार्टर श्रमिक मजदूरों को तथा कितने क्वार्टर अन्य विभाग के लोगों को एलाट किये गये हैं तथा किस-किस कालोनी में कितने-कितने क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से दूसरे लोग कितने दिनों से रह रहे हैं ? क्या उनके विरुद्ध अब तक सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हिम्मत सिंह---

सहायियत औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कानपुर म औद्योगिक श्रमिकों के लिये बनाय गये १७,५४७ गृहों में से श्रम विभाग को अब तक १६,६५२ गृह हस्तांतरित हो चुके हैं जिनमें १३,२६२ एक कमरे बाले तथा ३,३९० दो कमरे वाले गृह हैं। इन गृहों में से १३,८६१ गृह श्रमिकों को तथा २,७९१ गृह अन्य लोगों को आवंटित किये गये हैं । उपर्युक्त गृहों में से ५,१९१ गृहों में व्यक्ति अनधिकृत रूप से रह रहे हैं । अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये गृहों का श्रमिकों बस्तीवार विवरण संलग्न तालिका में दिया जा रहा है । जहां तक अनधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा को गई कार्यवाही का प्रश्न है, इनके विरुद्ध निष्कासन के मामले अतिरिक्त जिलाधिकारी, कानपुर को न्यायालय में यू० पी० गवर्नमेंट प्रेमिजेज (रेन्ट, रिकवरी एण्ड इविक्शन) एक्ट, १९५२ के अन्तर्गत भेजे गये थे । उन्होंने १,१३८ मामलों में निष्कासन आदेश दिय थे तथा ३०६ मामलों को खारिज कर दिया था । शेष मामलों में कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी थी । क्योंकि अधिकतर मामलों में अनधिकृत व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे । इसी बीच उत्तर प्रदेश गृह व्यवस्था अधिनियम, १९५५ की धारा २१ व अन्य धाराओं में संशोधन हो गया । तदुपरान्त न्यायालय ने स्थगन आदेश हटा लिये । लेकिन यह निर्णय दिया कि अब निष्कासन कार्यवाही उत्तर प्रदेश गृह व्यवस्था अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत ही की जा सकती है । इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के लिये नियामावली में निर्दिष्ट कुछ प्रारूपों में संशोधन किया जा रहा है । अनधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निर्धारण की कार्यवाही भी की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६३ पर) ।

कारागार उप-मंत्री द्वारा कानपुर जिला जेल का निरीक्षण

*१२--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, १६७० में जब कारागार उपमंत्री ने जिला जेल, कानपुर का निरीक्षण किया था तो उन्होंने खुद ५ रुपया वार्डर व सन्तरी को रिश्वत देकर उन्हें स्वयं पकड़ा था तथा उपर्युक्त दोनों कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया था ? और क्या यह भी सही है कि कुछ दिन बाद उक्त दोनों कर्मचारियों को स्वयं उपमंत्री जी ने बहाल भी कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द--

उप मंत्री कारागार ने दिनांक १८ दिसम्बर, १६७० को प्रातः-काल जिला जेल, कानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया । उसी समय सन्तरी तथा वार्डर ने स्पेशल मिलाई के नाम पर ५ रु० एक व्यक्ति से लिये ।

उपर्युक्त दोनों कर्मचारियों को अधीक्षक, जिला जेल, कानपुर ने उसी दिन (१८ दिसम्बर १६७०) निलम्बित कर दिया ।

उप मंत्री ने दिनांक १६ जनवरी, १६७१ को अपने दूसरे दौरे पर उपयुक्त दोनों निलम्बित कर्मचारियों के निलम्बन को पर्याप्त समझ कर उन्हें कड़ी चेतावनी देकर बहाल करने के आदेश दिये ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री प्यारेलाल तथा श्री फजलुर्रहमान के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुये दुख है कि प्यारे लाल, भूतपूर्व विधायक का देहावसान हो गया । उनका देहावसान २४ मार्च, १६७१ को हो गया । यह हरदोई जिले की शाहाबाद तहसील के रहने वाले थे । ये जनसंघ दल की ओर से इस विधान सभा के सदस्य थे । यह प्रिय भाषी, बड़े मिलनसार और सज्जन व्यक्ति थे। मैं चाहता हूं कि इनके देहावसान पर हमारे हाउस की तरफ से आप संवेदना उनके संतप्त परिवार को भेज दें । मैं श्री फजलुर्रहमान साहब के सम्बन्ध में भी अपना खेद प्रकट करता हूं, अपना दुख प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि उनके संतप्त परिवार तक भी हमारी संवेदनायें आप कृपया भेज दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

श्री प्यारे लाल जी तथा श्री फजलुर्रहमान साहब के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने जो भावनायें अभी यहां व्यक्त की ह, मैं उनसे अपने को और अपने सारे दल को सम्बद्ध करता हूं । श्री फजलुर्रहमान साहब इस सदन के सदस्य रह चुके थे । सन् ४६ से सन् ५२ तक और श्री प्यारेलाल जी भी यहां के सदस्य थे । इन दोनों का निधन हो गया है । मैं उनकी आत्माओं की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपसे मेरा नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आप हमारी इन भावनाओं को संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और हमारी सहानुभूति व्यक्त कर दें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को और अपने को, नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे सम्बद्ध करता हूं । उन्होंने श्री प्यारे-

लाल और फजलुर्रहमान साहब के निधन पर जो इजहार अफसोस किया है, उससे अपने को जोड़ते हुए मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इजहारे हमदर्दी उनके दुखी परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, जो विचार माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल तथा नेता प्रजासोशलिस्ट पार्टी ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके उन दोनों के संतप्त परिवारों को हमारी संवेदना का संदेश भेज दें ।

श्री अध्यक्ष--

श्री फजलुर्रहमान तथा श्री प्यारे लाल के निधन पर जो उद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । मुझे श्री प्यारे लाल जी के बारे में विशेष जानकारी नहीं है लेकिन यह सब जानते हैं कि वह अच्छे कार्यकर्ता थे जैसा कि नेता सदन ने कहा है । उनकी अभी मृत्यु हो गई इसलिये उसका दुख हमको है और उनके परिवार को होना स्वाभाविक है । ऐसी हालत में हमको अपनी संवेदना उनके परिवार के प्रति भेजना ही चाहिये और वह मैं भेज दूंगा ।

दूसरे, श्री फजलुर्रहमान साहब को मैं अच्छी तरह से जानता था, वह सन् ४६ से सन् ५२ तक इस सदन के सदस्य रहे हैं, वह बड़े मिलनसार रहे हैं । वह अपने जिले के बहुत लोकप्रिय लोगों में से थे । वह कई वर्ष तक अपने यहां की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रह चुके थे और इसी से उनकी लोकप्रियता मालूम होती है । उनके कार्यक्रम की और उनके द्वारा जो कार्य वहां की म्युनिसिपैलिटी में हुआ, उसकी सदा लोग प्रशंसा करते रहे । ऐसे सज्जन व्यक्ति की मृत्यु पर हम सब को दुख होना स्वाभाविक है । मैं इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु पर जो शोकोद्गार आपने व्यक्त किये हैं उनको मैं उनके कुटुम्बियों के पास भेज दूंगा । अब हम २ मिनट के लिये खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये परमात्मा से प्रार्थना करेंगे ।

सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये ।)

शेख मुजीबुर्रहमान तथा उनके देशवासियों के वीरतापूर्ण संघर्ष तथा स्वतंत्र बंगला देश की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव

*मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के विचारार्थ पेश करता हूं :

'उत्तर प्रदेश विधान सभा की यह बैठक बंगला देश के उन वीरों की, जिन्होंने लोकतन्त्र की रक्षा के लिये अपनी प्राणों की आहुति चढ़ा रखी है, सराहना करती है और उन सैनिक आततायियों की, जिन्होंने सत्ता के मद में मदहोश होकर बर्बरतापूर्वक बंगला देशवासियों के सविनय अवज्ञा आन्दोलन को कुचलने के लिये लाखों निशस्त्र, निरपराध एवं निरीह व्यक्तियों की मौत के घाट उतार दिया है, भर्त्सना करती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा, केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि इस प्रदेश की जनता की हार्दिक सहानुभूति बंगला देश के वीर स्वातंत्र्य सेनानियों तक पहुंचाने का कृष्ट करें और जो भी संभव सहायता वहां के निवासियों को अपेक्षित हो, शीघ्र पहुंचाने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष जी, जो घटनायें इधर एक या डेढ़ महीने के अन्दर पूर्वी पाकिस्तान में हुईं उनसे हम लोग परिचित हैं । बड़ी दुःखद घटनायें हुईं । आजादी के पूर्व वहां के निवासियों से हमारा सम्बन्ध था । उनमें से कई लोग तो हमारे कांग्रेस मूवमेन्ट में काम करते थे, वहां के निवासियों से हमारा निकट का रिश्ता था, नाता था और गान्धी जी जब वहां प्रेम की स्थापना के लिये गये तो वहां की बरबादी को देखकर और सुनकर शरीर को और आत्मा को बहुत दुःख पहुंचा । मैं नहीं समझता कि बीसवीं शताब्दी में भी इस प्रकार की बर्बरता हो सकती है जब कि उन्होंने शान्तिपूर्ण तरीके पर, गांधी जी के दिखाये रास्ते पर आन्दोलन किया । अभी तक आदमी को अपने-अपने विचारों के अनुसार आन्दोलन करने का हक था और खासतौर से जब निहित लोग शान्तिपूर्वक आन्दोलन करते हैं तो हमारे जैसे लोगों को चाहे वे विधान सभा में हों या अन्य जगहों पर हों परम्परा से चाहिये कि उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करें । कोई भी आजकल माडर्न से माडर्न, वर्तमान या जो आधुनिक शस्त्रास्त्र हैं उनके इस्तेमाल करने में वहां के लोगों ने कुछ भी हिचकिचाहट नहीं की जब कि वे वोट द्वारा जीतकर आ गये थे, कान्स्टीट्वैन्ट असेम्बली होने के पूर्व यह बर्बरता का व्यावहार हुआ है । मुझे विश्वास है कि सारा सदन इस प्रस्ताव से अपना समर्थन प्रकट करेगा । मैं बड़ा अनुग्रहीत हूंगा यदि सभी माननीय सदस्यों का इसे समर्थन मिल जाय ।

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री ने बंगला देश के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं । और उसके लिये उनको बधाई भी देता हूं । वास्तव में बंगला देश में जो दुर्घटनायें हुई हैं उसने सारी मानव जाति की स्वतन्त्रता के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा है । मुजीबुर्रहमान साहब के नेतृत्व में बंगला देश के निवासियों ने अहिंसात्मक सविनय असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ किया जिसकी अनुभूति हमारे देश के लोगों की है । गांधी जी के नेतृत्व में जो अन्दोलन चला था, उसमें यह हिस्सा भी हमारे देश में शामिल था । उनके ऊपर उनके संस्कार बाकी थे और उन्होंने जो, महात्मा जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन की कल्पना की थी, उसको पूर्ण रूप से जागृत किया । कदाचित् गांधी जी ने एक बड़ी भारी सफलता प्राप्त की और दुनिया को एक नया मार्ग दिखाया । उन्होंने अपने अहिन्सात्मक सविनय अवज्ञा आन्दोलन से एक विद्रोह और कांन्ति का पथ प्रशस्थ किया, जो दुनिया के लिये नया था । परन्तु उनकी कल्पना जो थी, वह हमारे देश में पूरी नहीं हुयी, यह हमारे लिए असन्तोष का विषय है कि हमारे पड़ोस के देश में महात्मा जी की कल्पना जागृत करने में सफलता मिली । ऐसा आन्दोलन देखने को नहीं मिलेगा, मान्यवर, कि बंगला देश के छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारी तक वहां की पुलिस और वहां की फौज और बंगला देश की जनता ने बिना शस्त्र उठाये असहयोग आन्दोलन का और सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात किया और उनका आन्दोलन अहिंसात्मक ही था जब उनके ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों का आक्रमण हुआ है ।

आज वहां की स्थिति एक बड़ी रक्तरंजित सी स्थिति है । जो समाचार आ रहे हैं उनसे लगता है कि यह कोई घरेलू युद्ध नहीं है लेकिन एक स्वतन्त्र देश, जिसने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी है, की ओर से इसका प्रतिरोध किया जा रहा है । यह घोषणा बार-बार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बंगला देश के नेतागण कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अस्थायी सरकार की घोषणा भी कर दी है। स्वतन्त्रता के युद्ध में बहुत से देशों में बड़े से बड़े त्याग और बलिदान हुए हैं, बड़ी आहुतियां डाली हैं। हमारा देश स्वयं स्वाधीनता के युद्ध में लड़ चुका है। हम सबका यह सौभाग्य रहा है कि महात्मा जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन किस प्रकार चरितार्थ किया गया है, वह हम देख चुके हैं। बंगला देश में जो हो रहा है वह एक अभूतपूर्व घटना है जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में मिलना दुष्कर होगा। आज हम सब की सहानुभूति उनके साथ जाती है। हमारे देश की परम्परा रही है कि जब हम स्वाधीन थे, तब भी वह परम्परा रही है कि जब कोई भू-मंडल का हिस्सा अपनी स्वाधीनता के लिये युद्ध में संघर्ष रत हुआ है तो हमने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की है और एक स्वतन्त्र देश के जो अन्तर्राष्ट्रीय नियम होते हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुये जो कुछ नैतिक समर्थन और जो कुछ भौतिक सहायता हम दे सके हैं, वह हमने बार-बार दी है। अब ऐसी घटना हो रही है हमारे पड़ोस में जिसके प्रति हम आंखे मूंदे नहीं रह सकते। उसकी प्रतिक्रिया हमारे देश में भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जो एक प्रचंड दमन और हिंसा ऐसे देश में जो अहिंसात्मक आन्दोलन में रत था और वहां जिस प्रकार बड़े से बड़े शस्त्र और आयुधों का प्रयोग करके लोगों के जान और माल को क्षति पहुंचाई है और सारे बंगला देश को खून से लाल कर दिया है, उसकी निन्दा हम करते हैं। उनके प्रति हामारी पूरी सहानुभूति है और यह सही है कि हम भारत सरकार से प्रार्थना करें, अनुरोध करें कि वे देखें कि उनके प्रति हम क्या सहायता पहुंचा सकते हैं, क्या अपेक्षित है? हम इसका समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि हमारी ये भावनायें भारत सरकार तक पहुंचा दी जांय।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने जो यह प्रस्ताव रक्खा है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मान्यवर, जहां तक बंगला देश का प्रश्न है बंगला देश को हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह वही जनता है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबिला किया था, जिसने क्रान्तिकारी आन्दोलन की शुरूआत की थी। चिटगांव सशस्त्र कांड हमारे देश की आजादी के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जायेगा। मान्यवर, पाकिस्तान के शासक समझते थे कि शायद वे फौज के जरिये, बन्दूक के जरिये बंगला देश के इन बहादुर नौजवानों को कुचल देंगे। लेकिन जिस बहादुरी के साथ बंगला देश के नौजवान, वहां के मजदूर और किसान पाकिस्तना की बर्बरशाही का मुकाबिला कर रहे हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है। आज हिन्दुस्तान की तमाम स्वाधीन जनता उन क्रान्तिकारियों का अभिनन्दन करती है। इन शब्दों के साथ जो भावनायें मुख्य मंत्री ने और विरोधी दल के नेता ने व्यक्त की हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। सही है कि यह प्रस्ताव नहीं जुड़ सकता लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी भारत सरकार अपनी उस पुरानी परम्परा को याद रक्खे जब कि इन्डोनेशिया के अन्दर इसी तरीके से बर्बरता चल रही थी। तो भारत सरकार ने तमाम एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया था। हम मांग करते हैं कि ठीक उसी तरीके से आज भी हमारी प्रधान मंत्री पहलकदमी करेंगी तमाम अफ्रीकी और एशियाई देशों में, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके खिलाफ जनमत तैयार करने में और मौका पड़े तो बंगला देश को मान्यता भी देगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने रखा है मैं उससे बिलकुल सहमत हूं। केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि जब बंगला देश ने एक अलग प्रावीजनल गवर्नमेन्ट का डिक्लेयरेशन कर दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

है तो प्रस्ताव में यह और जोड़ दिया जाय कि उस प्रावीजनल गवर्नमेंन्ट को रिकगनीशन देने के लिये भी केन्द्रीय सरकार से आग्रह करते हैं। जैसा कि दिल्ली में सारे विरोधी दलों के नेता ने भी कहा है कि उसको मान्यता मिलनी चाहिये, हम भी अपने प्रस्ताव में यदि इस बात को जोड़ दें तो उचित होगा।

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)---

यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी दो मिनट बोल लूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि पार्टियों के अन्य सदस्यों को मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं भी अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। यह डैमोक्रेसी की लड़ाई है और वह जनभावना को साथ लेकर चल रहे हैं। उसे मान्यता देनी चाहिये, इसका समर्थन मैं भी करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी, यह सुझाव आया है, इस के विषय में आप क्या कहते हैं ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसमें ये शब्द जोड़ दिए जाय---" और आग्रह करता है कि प्रावीजनल गवर्नमेन्ट को मान्यता दी जाय।"

श्री अध्यक्ष---

यह बहुत महत्व का प्रश्न है। जब तक आप केन्द्रीय सरकार का रुख न देख लें, यदि आप एकदम से यह प्रस्ताव उनके सामने रख देते हैं तो कहीं उनके लिए दिक्कत न हो जाय।

सहकारिता उपमंत्री (श्री महीलाल)---

केन्द्रीय सरकार को सिफारिश तो की ही जा सकती है।

श्री अध्यक्ष---

नेता विरोधी दल की क्या राय है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह तो मैंने भी कहा ही था और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मैंने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं कि बंगला देश ने यह मांग की हो कि हमें मान्यता दी जाय। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब यह लिखा है कि पूरी सहायता दी जाय तो मान्यता भी एक तरह से आ ही जाती है। अब उन शब्दों को जोड़ देने से मुमकिन है कि कुछ कठिनाई हो क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। उसकी कोई आवश्यकता भी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

यदि आप अनुमति दें तो एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि "और यह सदन शेख मुजीबुर्रहमान को उनके वैलिएंट फाइट पर बधाई देता है।" मुझे जो अखबारों से खबर मिली है, उसमें यह जरूर है कि वह लोग प्रावीजनल गवर्नमेन्ट बना चुके हैं। मान्यता वह चाहते होंगे यह लाजिमी है। तो इस पर अगर सदन की राय है तो मेरा विरोध कम से कम नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल इसलिये कह रहा था कि कहीं कोई दिक्कत न पैदा हो। रखना चाहें तो अवश्य रखें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, तो वह भी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। वह भी उस संशोधन के साथ जोड़ दिया जाय और मुख्य मंत्री जी ने और कुछ शब्द जो जोड़े हैं उन सबके साथ मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं :—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की यह बैठक बंगला देश के उन वीरों की, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति चढ़ा रखी है, सराहना करती है और उन सैनिक आतताइयों की, जिन्होंने सत्ता के मद में मदहोश होकर बर्बरतापूर्वक बंगला देशवासियों के सविनय अवज्ञा आन्दोलन को कुचलने के लिये लाखों निशस्त्र, निरपराध एवं निरीह व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया है, भर्त्सना करती है। उत्तर प्रदेश विधान सभा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि इस प्रदेश की जनता की हार्दिक सहानुभूति बंगला देश के वीर स्वातंत्र्य सेनानियों तक पहुंचाने का कष्ट करें और जो भी सम्भव सहायता वहां के निवासियों को अपेक्षित हो, शीघ्र पहुंचाने का प्रबन्ध करें और यह सदन शेख मुजीबुर्रहमान के वीरतापूर्ण संघर्ष के लिये उनको तथा उनके देशवासियों को बधाई देता है और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि स्वतंत्र बंगला देश की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (४था संशोधन) नियमावली, १९७०†

न्याय उपमंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २६७०—टी/३०—ख—७—पी—७०, दिनांक २४ नवम्बर, १९७० ई० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (४था संशोधन) नियमावली, १९७० को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली १९७१†

न्याय उप मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४२०१—टी—तीस—ख—९(१७)—पी—६९, दिनांक २ जनवरी, १९७१ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७१ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१

न्याय उपमंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५६६२—टी/तीस—ख—३९—पी—६७, दिनांक १७ जनवरी, १९७१ ई० द्वारा प्रख्यापित यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गईं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन सन् १९६७–६८ ††

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन सन् १९६७–६८ को तत्सम्बन्धी ज्ञापन सहित संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

आल इंडिया रेडियो द्वारा पक्षपातपूर्ण ढंग से विधान सभा के सदस्यों की संख्या की समीक्षा करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री जी ने मुझे यह सूचना लिख कर दी है कि वे आज आइटम नं० ११ व १२ को मूव नहीं करेंगे। इसलिये अब श्री राम सिंह के प्रस्ताव पर राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद के सम्बन्ध में चर्चा होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

आकाशवाणी ने जो नम्बर दिया है वह कोई ऐसी चीज नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्राग्दर्शन में होगा तब तो स्वीकार करेंगे। मेरा निवेदन है कि २४ तारीख को आकाश वाणी के जिस व्यक्ति ने जिस समय विधान सभा की समीक्षा पढ़ी उस समीक्षा में यह कहा गया कि सरकारी पक्ष की ओर २०२ और विपक्ष की ओर २०३ सदस्य हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आल इन्डिया रेडियो विधान सभा की समीक्षा कर रहा है तो उसको एक आथेन्टिक रिपोर्ट के आधार पर उसको करना चाहिये ताकि सही रूप में सदन की स्थिति का पता चल सके कि उसकी किस ओर कितनी स्ट्रेन्थ है। मान्यवर, यह सदन के अवमान का प्रश्न है। इस प्रकार की सदन की कार्यवाही की समीक्षा करते हुये यह बात कही गई जो एक विशेषाधिकार का प्रश्न बन गई है। उन्होंने कहा कि कमलापति जी के निवास पर बैठक हुई और इस प्रकार से बहुत से सदस्यों ने सरकारी पक्ष को छोड़ दिया और उसी समय इस संख्या को २०३ और २०२ कहा गया। मान्यवर, इस पर आप ध्यान देंगे और हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मान्यवर, आप वहां से रिपोर्ट को मंगवा लें फिर आप स्वयं ही इसका निर्णय करें कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समीक्षा के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। यदि आपके पास उसकी प्रति हो तो आप उसको बतावें।

---

†† छापा नहीं गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यदि मेरे पास उसकी प्रति होती तो मैं उसको दे ही देता परन्तु मैंने तो उसको केवल सुना है और सुनकर ही आपके सामने उसकी अपील पेश की है। बिना आपके वहां से रिपोर्ट मंगवाये आपको सही स्थिति का पता नहीं लगेगा इसलिये उसको आप मंगवा लें।

उद्योग मंत्री (श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी)--

इस प्रकार के समाचारों को प्रसारित करने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है। डिफेक्टर्स को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये रेडियो जिस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है वह आपत्तिजनक है। यदि रेडियो कोई ऐसी कार्यवाही करता है जिससे सदन की मर्यादा पर आघात लगता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार से वह पेश करता है उसका सदन और उसके सदस्यों पर आघात लगता है। जो सूची आपके पास है उससे यह गलत कहा गया है। मान्यवर आपके द्वारा ही उस पर रोक लगाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि यह सदन का अवमान है कि सदन के विरुद्ध कोई चीज वह प्रसारित करे। स्वामी जी ने जो कुछ कहा है मान्यवर आप उसके खिलाफ कदम उठायें। जो समीक्षा की प्रति है वह तो उन्हीं के पास है और किसी सदस्य के पास वह किस प्रकार से हो सकती है। इस कारण से आप स्वयं समीक्षा की प्रति को मंगवा लें ताकि भविष्य में कम से कम इसकी मर्यादा बची रहे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी ने रेडियो पर हमला किया और उस पर अपनी शंका प्रकट की। जिन सदस्यों ने अपनी राय परिवर्तित की है उनके नाम भी आये हैं तो उसमें उनको क्या आपत्ति हो सकती है। समीक्षा में जो वस्तुस्थिति है वह तो रहती ही है। रेडियो तो समीक्षा कर ही रहा था।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, इसकी प्रतिलिपि यदि आप मंगवा लें तो आपको स्वयं ही मालूम हो जायगा। इसी को आप टेस्ट केस बना लें।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक कि समीक्षा का सवाल है वह तो निष्पक्ष समीक्षा करने का उनका अधिकार है। पत्र तो इस प्रकार की समीक्षा करते हैं और उनपर किसी हद तक हमारा अधिकार चल सकता है क्योंकि उनके पत्रकार यहां पर सदन में रहते हैं। लेकिन आल इंडिया रेडियो के ऊपर मेरा कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने क्या कहा है अगर अक्षरशः उसको दे दें तो मैं उसकी रिपोर्ट करूंगा। यहां तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यह बात केन्द्रीय मंत्रालय के पास भेजता। आप वह दे नहीं रहे हैं तो मैं उसकी जानकारी हासिल करूंगा और देखूंगा कि वह पक्षपातपूर्ण है या नहीं। अगर उन्होंने २०३ और २०५ कहा तो इसमें कोई पक्षपात नहीं मालूम होता। यह तो केवल अन्दाज लगाया गया है। यहां से जो खबरें भेजते हैं तो उसमें गलती हो सकती है। हां, अगर किसी का नाम दे दें और उनके पास फिर उसका प्रतिवाद पहुंच जाय और वह उस प्रतिवाद को न दें तो जरूर पक्षपात होगा। यह सब देखना पड़ेगा। आप भी मुझे असिस्ट करें। अगर कोई चीज आपके खिलाफ पड़ती है तो मैं उसे वहां भेज सकता हूं या कुछ कार्यवाही कर सकता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उन्होंने यह कहा कि सरकारी पक्ष में २०२ रह गये और विरोधी पक्ष में २०३ की संख्या हो गयी।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई महत्व की बात नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं नहीं जानता कि हमारे नारायण दत्त जी किस प्रकार उनका केस प्लीड कर रहे हैं। विधान सभा की समीक्षा हुई तो उसकी कार्यवाही की समीक्षा हो सकती है लेकिन वह २०२ और २०३ की बात कैसे कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा तो इसकी जांच करूंगा। यहां के समीक्षा करने वालों से भी पूछ लूंगा।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)--

मुझे एक निवेदन करना है। आपने कहा कि अखबारवालों पर नियंत्रण है लेकिन आल इंडिया वालों पर नियंत्रण नहीं है। अगर आपका नियंत्रण आल इंडिया पर नहीं है तो इस सदन की कार्यवाही आल इंडिया रेडियो से किस तरह प्रसारित की जायेगी। यह तो सीधी बात है कि किसी भी प्रकाशन या प्रसारण का प्रतिनिधि जब तक आपके आदेश न प्राप्त कर लें तब तक इस सदन की कार्यवाही न प्रकाशित कर सकता है और न प्रसारित कर सकता है। इसलिए प्रसारण और प्रकाशन पर तो आपका नियंत्रण है ही। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है आप इसको देखें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा मैं इसको देखूंगा। लेकिन यह भी बतला दिया कि अखबारों पर तो ज्यादा नियंत्रण रहता है लेकिन आल इंडिया रेडियो पर नहीं हो सकता क्योंकि वह केन्द्र से संबंधित डिपार्टमेंटल चीज है। एक कार्यवाही यह हो सकती है कि उनको यहां न बैठने दें। इसका मतलब यह होगा कि जो समीक्षा हम चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका प्रचार हो वह नहीं होगा। हम खुद चाहते हैं कि जैसी समीक्षा केन्द्र की लोक सभा की कार्यवाही पर होती है यहां भी होनी चाहिए, सदन की कार्यवाही पर।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि निष्पक्ष समीक्षा क्या है इसकी एक नयी परिभाषा होनी चाहिए। अगर कोई काम किसी के मन का नहीं होता या कोई समाचार किसी के विरुद्ध जा रहा है तो वह समझता है कि पक्षपात किया जा रहा है। आप उस समीक्षा को मंगा कर देखें तो यह भी देखें कि उसमें पक्षपातपूर्ण बात या असत्य बात कही गयी है तो वह कौन सी बात है। केवल यह कि प्रिय नहीं है इसलिए असत्य हो गयी! वैसे अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। आल इंडिया रेडियो से कहा जा सकता है कि सत्य हो लेकिन अप्रिय हो तब भी उसे न छापें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे मित्र श्री नित्यानन्द स्वामी को तीन चीजों का बड़ा भय है और वे जब भी उनको मौका मिलता है उनको याद करते रहते हैं। शक और सन्देह का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इनके ३ डर हैं : श्रीमती इन्दिरा गांधी, मध्यावधि चुनाव और आल इन्डिया रेडियो। अब इनका कौन सा इलाज हो सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि आप तो श्रीमती इन्दिरा गांधी की कल्पना दुर्गा समझ के करते हैं। अगर मैं भी उनका नाम ले लेता हूं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? दूसरी बात यह है कि यह आल इंडिया रेडियो तो आल-इंडियाइन्दिरा रेडियो है। मिड-टर्म पोल के बारे में मैं पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि वे इस बात को समझ लें कि उनको भी धोखा दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

अब आप खत्म कीजिए। आप श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम जपते हैं, आप जपते रहें, जपना न छोड़ें, परन्तु आप उस व्यक्ति पर आक्षेप नहीं कर सकते हैं जो कि यहां पर नहीं बैठता है। उन व्यक्तियों के ऊपर आप आक्षेप नहीं कर सकते हैं जो यहां नहीं बैठते हैं और जवाब नहीं दे सकते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम आप जपते रहें कोई बात नहीं; क्योंकि इन्दिरा तो एक देवी का नाम है। इसमें कोई हर्ज नहीं है अब मैं आगे चलता हूं। आप राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर भाषण कर रहे थे।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज पूरी सावधानी रखूंगा। पहली बात तो मेरी यह है कि परसों मैं जब भाषण कर रहा था तो एक गलत बात मेरे मुंह से निकल गई थी, उसको मैं सुधारना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अब आपको केवल ५ मिनट और बोलना है क्योंकि २० मिनट आप पहले बोल चुके हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैं केवल १५ मिनट बोला हूं, मैंने घड़ी देखी है, श्रीमन्।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि लोक सभा भंग होने के पश्चात जो ७०० लाइसेंस दिये गये उनसे ४०० करोड़ रुपये का चन्दा इकट्ठा हुआ है। मेरे से गलती हुई थी। जो ७०० लाइसेन्स दिये गये थे उनसे ४०० करोड़ रुपये का लाभ बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को पहुंचाया गया और लाखों रुपये का चन्दा इकट्ठा किया गया। यह भूल सुधार मैं प्रारम्भ में करना चाहता हूं।

मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे वे साथी जो इधर बैठे हुए हैं आत्म-हत्या की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, आप को याद होगा कि उड़ीसा विधान सभा के उन सदस्यों से विधान सभा से इस्तीफे नहीं दिलाये जा रहे हैं जो कि लोक सभा के लिए चुन लिए गए हैं। श्रीमन्, नई कांग्रेस ने यह इसलिए किया ताकि वह उड़ीसा के अन्दर अपनी सरकार बनाए रखे। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, श्रीमन्, यहां पर नई कांग्रेस के ४ माननीय सदस्य लोक सभा में जीत कर चले गये। यहां पर उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की। अगर वे ऐसा करते तो उनकी संख्या यहां विधान सभा में बढ़ती।

(व्यवधान)

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)---

ये जो वक्तव्य आप दे रहे हैं उसका राज्यपाल के अभिभषण से क्या संबंध है?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं आपको यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज इनके बीच में बड़ा संघर्ष है, प्रतिस्पर्द्धा है। हम तो पंडित कमलापति त्रिपाठी का, जो बड़ी ही संतुलित बात कहते

---

†२५ मार्च, १९७१ की कार्यवाही से।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

हैं, बड़ा आदर करते हैं। हम उनसे निश्चयपूर्वक कहना चाहते हैं कि वे उन लोगों की ओर देखें जो कि दिल्ली में बैठते हैं और काम करते हैं। संजीव गांधी--नहीं मैं उनका नाम नहीं लेता, गलती से मुंह से निकल गया। लोक सभा २७ दिसम्बर १६७० को भंग हुई थी। लोक सभा तो शाम को भंग हुई मगर उसी दिन सुबह श्री संजीव गांधी जीपें खरीद चुके थे। श्रीमन्, वे सैकड़ों जीपों को खरीद चुके थे। उस घर के अन्दर चर्चा हो चुकी है। इन्दिरा जी के घर में चर्चा हो चुकी है। इसीलिये गाजियाबाद के अन्दर संजीव का ऐसा भाषण हुआ है।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

माननीय सदस्य, देहरादून, एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति यहां पर नहीं है उसके ऊपर बार बार आक्षेप लगाना उचित नहीं है। जीपों के खरीदने के संबंध में स्पष्टीकरण निकल चुका है और उन चीजों का संबंध इस विवाद से नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

तिवारी जी की बातों को मैं सुनता रहा...

श्री अध्यक्ष---

आप उनको जवाब न दें। अपनी बात कहें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं जवाब नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर आधा घंटा तक नैतिकता की दुहाई दी जाती रही। मैंने उस रोज एक कथा जो प्रचलित थी कही थी कि उस व्यक्ति को दूसरे पर पत्थर मारने का कोई हक नहीं है जो स्वयं दुश्चरित्र हो। माननीय तिवारी जी ने बार बार त्यागपत्र देने की बात कही, वे राज्यपाल जी से भी मिले, मैं कहता हूं कि जब ३१ तारीख को यहां अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला है, उस पर बहस होगी, तो फिर इसकी क्या जरूरत कि इस सरकार को भंग कर दो, यह कर दो, वह कर दो। यह आप इसलिये कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं मैसूर के अन्दर क्या हुआ। लोगों को आशा थी कि वहां पर सरकार बन जायेगी, मगर वह आशा खत्म हो गयी। वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। यहां पर भी विधायक जानते हैं कि उनका भविष्य अन्धकार में है। वे यह भी जानते हैं कि जो लोग उधर गये हैं उनको कोई टिकट मिलने वाली नहीं है। जो लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं उन्हें पहले स्वयं नैतिकता सीखना चाहिये। मेरे पास एक एम० एल० ए० का यह पत्र आया है, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा समय नहीं है इसमें लिखा है कि यह जो लोग नैतिकता सिखाते हैं इन्होंने क्या किया है? यह भगौती प्रसाद का पत्र है जिन्होंने लिखा है कि कपूर होटल में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या बात हुई। देश के अन्दर दल बदल को प्रोत्साहन देने वालों से मैं कहूंगा कि नैतिकता पहले स्वयं सीखो। आज दल बदल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि तुमको टिकट देंगे इलेक्शन का सारा खर्चा देंगे। यह क्या है?

मान्यवर, इस संविद की सरकार ने महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में उन घोषणाओं का जिक्र किया है जिसके द्वारा गरीब आदमी को राहत मिलेगी। आपने (विरोध पक्ष) गरीब आदमी को राहत देने के बजाय थोथी नारेबाजी की है। आपने गरीब का भला नहीं किया है और मैं इसका प्रमाण देना चाहता हूं। मैं पूछता हूं जब तक आपकी यहां हुकूमत रही, जब तक आप हुकूमत में रहे, आपने गरीबों के लिये क्या किया? आपने राज्य कर्मचारियों के लिये क्या किया? आपने अध्यापकों और मजदूर वर्ग के लिये क्या किया? खेतिहर मजदूरों

को राहत देने के लिये आपने क्या किया ? अगर किया है तो यह कि आपके कारण आज महंगायी बढ़ी है। आपने उस वेंतन आयोग को भी समाप्त कर दिया जिसकी घोषणा की गयी थी। आपने देश के अन्दर अप्रजातान्त्रिक शक्तियों को पनपाया है। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह चीज सिद्ध हो गयी है कि आपकी तरफ केवल नारेबाजी है, इस तरफ ठोस कार्य है। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर दिया। इस सदन में यह प्रश्न कईबार उठाया जा चुका है और वह सच भी है कि इस सरकार को रहने का कोई नैतिक अधिकार अब नहीं है। इस सरकार के पीछे, लोकसभा के चुनाव से जाहिर है, जनमत नहीं है। यह सरकार, आज जो चल रही है, इसका अस्तित्व बिलकुल अधर में है, खतरे में है। ऐसी दशा में राज्यपाल के अभिभाषण में जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसका कहां तक पालन होगा, यह शोचनीय बात है। लोकसभा के चुनाव में जनता ने समाजवाद के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है और इस सरकार को उससे सबक सीखना चाहिये। सरकार को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ ऐसी चीजें रखनी चाहिए थीं, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाये जाने चाहिए थे, जिससे यह मालूम होता कि समाजवाद की ओर यह सरकार तेजी से बढ़ना चाहती है। लेकिन दुख: है कि उनके अभिभाषण में कोई ऐसा सुझाव नहीं है। इससे मालूम होता है कि सरकार अब भी अन्धकार में है और दिशाविहीन है। प्रदेश को आज जल, विद्युत ओर सड़कों की आवश्यकता है। किन्तु आज प्रदेश की हालत को देखते हुए, देश की दशा पर दृष्टिपात करते हुए, सबसे बड़ी आवश्यकता है चरित्र निर्माण की। चरित्र निर्माण से ही कोई देश बलवान हो सकता है। इस सरकार को इस हेतु चाहिए कि वह हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति का पुन: सिंहावलोकन करे और चरित्र निर्माण के कार्य को लागू करने के लिए अनुभवी, विद्वान और परिश्रमी गुरूजनों को प्रोत्साहित किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गुरूजन युवकों का चरित्र निर्माण तभी कर पाएंगे, जब उन्हें आर्थिक दवाब से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आवश्यक है कि अध्यापकों की जो आर्थिक मांगें हैं, उनको सरकार यथासम्भव पूरा करे और उनको आर्थिक कष्टों से मुक्त कर दे ताकि आने वाली पीढ़ी का चरित्र निर्माण वे बड़ी सुन्दरता से कर सकें।

पिछले साल इस प्रदेश में न्यायपालिका को कार्यपालिका से मुक्त किया गया था और इस सरकार को चाहिए था कि न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए, अधिक स्वतन्त्र करने के लिये कोई अगला कदम उठाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अलग करने के बाद से जो भी कानून इस विधान सभा द्वारा बनाए गये हैं, वे बराबर न्यायपालिका की परिधि के बाहर रखे गये हैं। सी० आर० पी०, ताजीरात हिन्द तथा अन्य कानून की जो धाराएं न्यायपालिका के अधीन थीं, उनको छीनकर पुन: कार्यपालिका को दे दिया गया है, यह हमारे लिए बड़ी दुखदायी बात है। इस तरह से न्यायपालिका कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकती है। आज न्याय दिन प्रति दिन महंगा होता जा रहा है, आम जनता के लिए न्याय पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अभिभाषण में कुछ ऐसे सुझाव दिए जाते कि जिससे मालूम होता कि जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है और न्यायपालिका को अधिक से अधिक स्वतंत्र रखा जाएगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक विकास बोर्ड बनाने की बात है। उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयनारायण सिंह]

आया है। लेकिन इन क्षेत्रों के अलावा प्रदेश के और जिले हैं जो इन क्षेत्रों में नहीं आते लेकिन उनकी दशा बहुत गम्भीर है। वहां की हालत उन क्षेत्र से बदतर है। मैं मिसाल के तौर पर फतेहपुर जनपद की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां आज भी सिंचाई के लिए एक भी स्टेट ट्यूबवेल नहीं है। वहां सिंचाई के लिए सरकारी साधनों में केवल एक नहर गंगा है। उसके अलावा दूसरी नहर रामगंगा के नाम से बनायी जा रही है। वह नहर खुद गयी है लेकिन उसमें कहा जाता है कि पानी १९७४ तक आयेगा। उस क्षेत्र में जिसमें रामगंगा नहर बनायी जा रही है, चकबन्दी से रुकी हुई है। चकबन्दी के कारण जो लोग प्राइवेट ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं वह बेचारे नहीं लगा सकते हैं। वह इलाका जिससे रामगंगा नहर जा रही है जिले के और भागों से बहुत पिछड़ रहा है। उस क्षेत्र में शीघ्र चकबन्दी करायी जाय, नहर से पानी की सुविधा करायी जाय।

फतेहपुर जनपद में सड़कों और शिक्षा की हालत बहुत खराब है। जबकि अन्य जिलों में कई-कई डिग्री कालेज हैं, फतेहपुर जनपद में केवल एक डिग्री कालेज है जो बी०ए० तक शिक्षा देता है। यह डिग्री कालेज भी एक इंटर कालेज के भवन में चल रहा है। उसका कोई निजी भवन नहीं है। तीन चार साल से बराबर सुझाव जनपद की हर पार्टी और हर सज्जन व्यक्ति की तरफ से दिया जा रहा है कि जो पुरानी कचहरी खाली हो गयी है, जिसके सामने नयी कलेक्टरेट बन गयी है, वह इमारत डिग्री कालेज को दी जाय ताकि डिग्री कालेज अच्छी तरह से चले। लेकिन बार-बार प्रस्तावों के बाद भी आज तक सरकार ने इसका कार्यान्वयन नहीं। फतेहपुर जनपद की सड़कों की बड़ी गम्भीर समस्या है। केवल एक जी० टी० रोड पुख्ता है। इसके लिए तीन चार छोटीछोटी सड़कें हैं, जो ८–१० मील तक बनी है। पूरे का पूरा जनपद ऐसा है जो सड़कों से बहुत दूर है और आने जाने की बहुत असुविधा है। लोग खेती की पैदावार भी शहर तक ठीक से नहीं पहुंचा पाते। इसलिए मेरा सुझाव है कि फतेहपुर जनपद में, शाहओती-बिलंदा-हथगाम सड़क, बहरामपुर-नरैनी सड़क और इंद्रो शाखा अगर बन जायं तो जनपद के वह हिस्से जो बहुत गरीब हैं, जहां यातायात के साधन नहीं हैं, वहां उनको सुविधा प्राप्त हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से श्री रामसिंह जी द्वारा जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने उसमें कुछ संशोधन भी दिये हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं। "किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में.....

श्री अध्यक्ष—

वह पढ़े माने गये ऐसा समझिये।

श्री रामप्यारे—

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के शुरू में ही जिन बुनियादी बातों की चर्चा की है वास्तव में वे ध्यान देने योग्य हैं और उनपर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के शुरू में प्रदेश की आर्थिक तथा विषम स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की है और साफ तौर पर यह बतलाया है कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ गया है। आप देखें कि हमारे प्रदेश की स्थिति इस समय क्या है? सन् १९५०-५१ में जब हमारी योजनायें शुरू हुई थीं उस समय उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश की प्रति व्यक्ति से आगे थी। उस समय प्रति व्यक्ति आय २६० रुपये थी और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारे देश की औसत आय प्रति व्यक्ति २४७.५ रुपये है। इस प्रकार आप देखें कि आज जो स्थिति है अथवा जिन परिस्थितियों से यह प्रदेश गुजर रहा है उसमें हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। जो नेशनल कौंसिल आफ इकोनामिक्स रिसर्च है उसने हिन्दुस्तान के ५८ जिलों का सर्वे किया। उसने पाया कि उत्तर प्रदेश में ही ११ जिले ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय इस समय १४७ रुपये है। इसके अलावा कुछ जिले उसने ऐसे सर्वे किये जहां प्रति व्यक्ति आय १७३ रुपये से कम है और इनकी संख्या २८ है। इनके अलावा ११ जिले ऐसे बतलाये जिनमें आमदनी १४६ रुपये प्रति व्यक्ति से कम है। इस तरह से आप देखें कि जो अर्थ शास्त्री हैं वे सब यह मानते हैं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यही नहीं यदि आप सन् १९६१-६२ की मत गणना रिपोर्ट देखें उसमें कई जिलों का सर्वेक्षण किया गया था उसमें हमारे ३३ जिले पिछड़े हुए घोषित किये गये हैं।

प्लानिंग कमीशन ने भी यह माना है कि उत्तर प्रदेश के ३३ जिले ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान के पिछड़े हुए जिलों में आते हैं। इससे पता चलता है कि आज हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की माली हालत बहुत खराब हो गयी है और यहां जीवन स्तर ऊंचा उठने के बजाय दिन प्रति दिन नीचे गिरता जा रहा है। क्या कभी इन कारणों पर आपने विचार किया है? अगर आप उन कारणों में जांय तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो केन्द्रीय सहायता इन पंचवर्षीय योजनाओं में मिलती रही है उसमें उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में तथा द्वतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को एक भी केन्द्रीय प्रोजेक्ट नहीं मिला जबकि दूसरे प्रदेशों मद्रास, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, बिहार तथा अन्य प्रान्तों को लगातार प्रोजेक्ट बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता मिलती रही। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में आप देखें तो हमारे यहां किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ। मैं कुछ नमूने रखना चाहता हूं इस बात के कि केन्द्र ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है? उत्तर प्रदेश में जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में २४ रुपये खर्च किया गया वहां कन्द्र की ओर से ४४ रुपय क लगभग खर्च किय गय। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां उत्तर प्रदेश में ३४ रुपये खर्च किये गये वहां केन्द्रीय सरकार की ओर से लगभग ५४ रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किये गये। तीसरी योजना में प्रति व्यक्ति जहां उत्तर प्रदेश में ७५ रुपये खर्च किये गये वहां केन्द्रीय सरकार की ओर से ९०.५ रुपये खर्च किये गये। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जहां उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ५२.६३ रुपये खर्च किये गये वहां केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रति व्यक्ति ९९.४३ रुपये खर्च किये गये। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो एलोकेशन हुआ उसमें जहां उत्तर प्रदेश १०३.३९ रुपये खर्च करने जा रहा है वहां केन्द्रीय एलोकेशन अन्य प्रदेशों की औसत १२२.३९ रुपय प्रति व्यक्ति है। इससे साबित हो जाता है कि किस प्रकार से केन्द्र ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की है।

केन्द्रीय सहायता का प्रतिशत उत्तर प्रदेश को १३.८ रुपया जहां मिला है वहां देश के अन्य राज्यों को ३५-७३ प्रतिशत है। इसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां हमको १७ प्रतिशत दिया गया है वहां पर सारे देश का औसत २६-५१ है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में जहां पर इस प्रदेश को ४४-८७ दिया गया है वहां पर केन्द्रीय क्षेत्रों में ५५-६५ है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में हमारे प्रदेश के लिये ५६-१९ रु० के खर्च की व्यवस्था की गई है वहां पर तमाम देश का औसत खर्च ६४-५२ रु० है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार हमारे इस प्रदेश का आर्थिक विकास हो सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़कर देश के अन्य प्रदेशों से सबसे अधिक पिछड़ा हुआ प्रदेश है इसका कारण यही है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात पूर्ण नीति अपनाई है।

श्रीमन्, एक बार लोक सभा में २१ जुलाई, १९६९ को जो सूचना मांगी गई थी उसके आंकड़े यदि मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि मार्च, १९६० तक जहां केन्द्रीय सरकार में ३०४ करोड़ रुपया पूरे देश के लिये खर्च किया वहां पर हमारे इस प्रदेश के लिये केवल ४ प्रतिशत रुपया ही दिया गया जब कि आबादी के लिहाज से हमको ७० प्रतिशत रुपया दिया जाना चाहिये था। चतुर्थ पंच-

[श्री रायप्यारे]

वर्षीय योजना के आंकड़े मैं आपको बताऊं तो आपको पुनः आश्चर्य होगा कि उसमें इस प्रदेश के लिये केवल डेढ़ प्रतिशत का ही प्राविधान किया गया है। इस प्रकार आप देखें कि किन परिस्थितियों में हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। जहां पर सत्तारूढ़ के लोग यह कहते हैं कि प्रदेश के इस पिछड़ेपन की जिम्मेदारी वहां की प्रदेशीय सरकार पर है वहां पर आपको यह भी देखना चाहिये था कि उस प्रदेश के लिये जो जायज हिस्सा है रुपये के एलोकेशन का वह उसे पूरा मिलना चाहिये। दूसरी तरफ जहां पर केन्द्रीय प्रोजेक्ट्स इस प्रदेश में लगने चाहिये थे वहां पर एक भी केन्द्रीय प्रोजेक्ट इस प्रदेश में नहीं लगने दिया।

जब हमारे मुख्य मंत्री केन्द्र में उद्योग मंत्री थे तो चौथी पंच वर्षीय योजना में उन्होंने इस प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए ३ औद्योगिक स्थानों के निर्माण के बारे में कहा था। बनारस में टैक्टर का कारखाना और मशीन आदि के कारखाने खोलने की बात हुई थी किन्तु जैसे ही वह यहां पर आये वैसे ही जो सारे उद्योग-धन्धे लगने वाले थे, जिससे कि प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो सकती थी, गरीबी दूर की जा सकती थी, वह दूसरे प्रदेशों में डाल दिये गये। प्राइवेट सेक्टर में उद्योगों के खोलने का लाइसेन्स केन्द्र सरकार से दिया जाता है। हमारे प्रदेश में न लगा कर पक्षपात और भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई गई। प्राइवेट सेक्टर में एक-आध को छोड़कर एक भी इन्डस्ट्री यहां पर नहीं लगाई गई। मिर्जापुर में खाद का करखाना लगने वाला था किन्तु बाद में वह भी वहां पर नहीं लगाने दिया गया। इससे यहां के लोगों की बेरोजगारी दूर हो सकती थी किन्तु वह खाद का कारखाना गोवा में जाकर लगाया गया। यहां पर प्राइवेट सेक्टर में इन्डस्ट्री खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि इस प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति हो गई है।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो सक्षम रूप से जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सुझाव दिये हैं उनका समर्थन करना चाहिये। आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार जो पूंजी विनियोग अन्य प्रदेशों के लिये कर रही है वही इस प्रदेश के लिये भी करे। इसीलिये हमारी सरकार ने यह निवेदन किया है कि यदि इस प्रदेश को अन्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिलाना है तो इस प्रदेश को ८३ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अतः मैं चाहता हूं कि चाहे वे सरकार के पक्ष के लोग हों या विरोध पक्ष के लोग हों सबका पुनीत कर्तव्य है और खासतौर से सत्तारूढ़ लोगों को, क्योंकि केन्द्र में उनकी सरकार है और कहते हैं कि जनता हमारे साथ है और इलेक्शन को लेकर आप शोर मचाया करते हैं कि जनता हमारे साथ है। तो उनसे मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश के ९ करोड़ लोगों की मांग है कि आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें। मैं चैरिटी नहीं मांगता, दान नहीं मागता, लेकिन जो मेरा हक है वह हमें मिलना चाहिये और अगर आपने हमारे हक को नहीं दिया तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की वही स्थिति हो जायगी जो सन् ५०–५१ में हिन्दुस्तान की प्रति व्यक्ति आय की थी। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय न किया जाय।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

इसके अलावा महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं कि आज पहली बार उत्तर प्रदेश के उन इलाकों पर सरकार की निगाह गयी जो पिछड़े हुए हैं। १५ जिले पूर्वी क्षेत्र के और ४ जिले हमारे बुन्देलखंड के हैं और पहाड़ के ८ जिले हैं। पूर्वी जिले डेन्सिटी आफ पापुलेशन, बेरोजगारी और खेती लायक जमीन की कमी होने के कारण आज बहुत पिछड़े हुए हैं और हमारे द्विवेदी जी उस रोज कह रहे थे कि आज भी वहां की हालात ऐसी हैं कि लोग गोबर से अन्न निकाल कर खाते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो क्या हमें राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने में हिचकना चाहिये कि उन्होंने उन जिलों के लिये आयोग की स्थापना की है और अगर केन्द्रीय सरकार ने सहायता देने में आनाकानी की तो उन्होंने कहा है कि प्रदेशीय स्तर पर जो भी साधन जुटा सकेंगे वह अलग से खर्च करेंगे। इसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि ५३ करोड़, कुछ लाख रुपये की व्यवस्था कर दी है।

आज बुन्देलखंड, जो बैकवर्ड एरिया है उसके विकास की चर्चा भी की गयी है। पहाड़ के इलाके जो पिछड़े हुए हैं उनकी चर्चा की। प्रदेश की स्थिति क्या है? यदि आप देखें तो प्रदेश की ४७ प्रतिशत जनता ऐसे इलाकों में रहती है। इतने लोगों को भखा और नंगा रख कर क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है? इसलिये आज हम इस बात के कहने के लिये आतुर हैं कि वास्तव में सरकार ने जो नया रास्ता अपने प्रदेश में लाने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। यही नहीं जो प्रदेश में स्थिति है उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमें देखना चहिये कि उद्योग क्षेत्र में प्रदेशीय स्तर पर जो प्रयास करना चाहिये था वह सरकार ने किया है या नहीं। इसके बावजूद कि केन्द्रीय सरकार ने जो इन्स्टीट्यूशंस है उनको जो एड मिलनी चाहिये उन पर भी रोक लगा दी। अन्य प्रदेशों में जो सहायता मिल रही है, जो इंस्टीट्यूशंस वह लगाते हैं वह हमें नहीं मिल रही है। अब अन्य प्रदेशों को एलाउ कर दिा है। इतने बड़े प्रदेश को रुपया पैसा देने की बात नहीं है। यही नहीं बैंकों में जो हमारे डिपाजिट हैं उनको देखें तो वह ८ प्रतिशत है। जब हम पैसा मांगते हैं तो ४ प्रतिशत मिलता है। तो हम आज भीष ण परिस्थितियों में खड़े हुए हैं। उनको देखते हुए भी हमारी प्रदेशीय सरकार के पास जो साधन हैं उनके अन्दर भी आप देखें कि गवर्नर साहब ने सूक्ष्म रूप से किस तरह से अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की है। आपने देखा कि ३२ जिलों में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिए सुविधायें दी हैं।

आज केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को सौ करोड़ रुपया घूस दिया चुनाव के ठीक पहले और इतना ही नहीं जो प्रदेश के कर्मचारी हैं उनमें असंतोष फैलाया। देश की मंहगाई बढ़ी। तो ऐसी परिस्थिति में भी गवर्नर साहब ने प्रदेशीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आयोग की स्थापना की। वह जरूरी था, क्योंकि मंहगाई बढ़ती जा रही थी। कर्मचारियों की समस्या को भी गवर्नर साहब ने अनुभव किया और हमारी सरकार ने तो ऐलान भी कर दिया एक कमीशन का जो सितम्बर तक अपनी रिपोर्ट दे ा। लेकिन मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि जो १५ करोड़ रुपये की अंतरिम बजट में व्यवस्था की गयी है देने के लिये तो आप कल अनाउंस कीजिए कि अंतरिम सहायता कर्मचारियों को दी जायगी, जैसे कि के रल और बंगाल में किया गया है, कि जो कम वेतन पाने वाले हैं उनकी मंहगाई के संबंध में सहायता कुछ निश्चित रूप से अधिक होनी चाहिये। यही सिद्धांत होना चाहिये। इसी आधार पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि आज वह सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को रिलीफ देने का ऐलान करे। इन थोड़े से रुपयों में हमारे कर्मचारियों को कोई खास रिलीफ मिलने वाली नहीं है लेकिन उनके आंसू पुंछ जायेंगे।

गवर्नर साहब ने बहुत सी बातों की चर्चा अपने अभिभाष ण में की है। हमारे यहां जो पिछड़ा वर्ग है उसकी ओर भी ध्यान दिया है। उन्होंने हरिजनों के लिये भी एक बोर्ड स्थापित करने की कोशिश की है और वह इन चीजों को देखेगा कि इन २२-२३ सालों में शासन ने जो सुविधायें हरिजनों को देने का एलान किया था वह उनको मिली या नहीं। यह बोर्ड देखेगा कि हरिजनों को नौकरियों में उचित रिजर्वेशन मिला है या नहीं, जमीन मिली या नहीं, यह गवर्नर महोदय ने हमें अवसर दिया है और निर्णय किया है कि वह जनता की समस्याओं को हल करेगी। इस संविद सरकार को काम करते हुए करीब साढ़े पांच महीने हो गये हैं। यह पुस्तिका सभी माननीय सदस्यों को मिली है। इस सरकार ने सवा छ एकड़ तक लगान माफ कर दिया है जैसा कि कांग्रेस सरकार का प्रस्ताव था कि सवा छः एकड़ तक अनइकोनोमिक होल्डिगस हैं। इसके अलावा हमने वृत्ति-कर भी समाप्त कर दिया है और जो सुविधायें देना सम्भव हो सकता था वह देने का प्रयत्न किया गया है।

आज बड़ी आवाज लगाई जाती है कि इन्दिरा गांधी को जनता का समर्थन प्राप्त है। आप की सरकार को जनता ५ साल से समर्थन देती है। आज दल बदल को क्यों जनता बढ़ावा दे रही है। आप लंका को देखिये। भंडारनायक अभी १० महिने पहले इंदिरागांधी से ज्यादा वोटों से जीती हैं। लेकिन वहां की स्थिति क्या है। बड़ी भयावह स्थिति है। जिस तरह से जनता को गुमराह करके वोट ले लिये गये हैं और अगर इन्होंने उन वायदों को जिनके बल पर

[श्री रामप्यारे]

वोट लिये हैं पूरा नहीं किया तो देश में एक ऐसी आग फैलेगी जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। इन्होंने आश्वासन दिया कि हरिजनों को जमीन दी जायेगी। समाजवाद लाने का आश्वासन देने के लिये हमारे ही पुराने नारों को तोड़-मरोड़ रखा है।

क्या यह धर्म उपेक्षित राज्य की स्थापना कर रही है। मुस्लिम लीग से इन्होंने समझौता किया, डी० एम० के० से समझौता किया जो अपना अलग झंडा मांग रहे है। इन्होंने जनता को गुमराह करके जनता से वोट लिये हैं। अपने लड़के को लाइसेंस दिया है। भूमिहीन को जमीन देने का इनका थोथा नारा है, हरिजनों को जमीन दने की बात कभी सम्भव नहीं हो सकती है। आप लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मद्रास बेच दिया है। केवल एम० पीज़ को जिताने के लिये आपने एक भी सीट पर अपना आदमी खड़ा नहीं किया। केरल में मुस्लिम लीग से समझौता किया गया। यह धर्म निरपेक्ष राज्य में कतई विश्वास नहीं रहती है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। आज जनता को गुमराह करके वोट बटा लिये गये है। और बड़े गर्व से कहते हैं कि आज जनता ने हमको बहुमत दिया है। हो सकता है कि आपने भोली भाली जनता को गुमराह कर के थोड़े समय के लिये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट ले लिये हों लेकिन यदि आपने देश के बेरोजगारी नहीं दूर की तो केवल नारों से काम चलने वाला नहीं है? आप बजट देखिये, केवल ५० करोड़ रुपये बेरोजगारी के लिये रखे गये हैं। कितनी बेरोजगारी है अपने देश में। तो ५० करोड़ रुपये से क्या होगा। आपने अन्तिम बजट में ही २५० करोड़ का घाटा दिखा कर कर लगाने की बात कही है। मैं कहता हूं कि मई में जो बजट आ रहा है वह देश के गरीबों की रीढ़ तोड़ने वाला होगा। इनकी गलत नीतियों के कारण रेलवे में घाटा हो रहा है .....

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो केन्द्रीय बजट पर बोल रहे हैं। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामप्यारे—

५ मिनट और दे दीजिये मैं बजट पर ही बोलूंगा। तो इन सब चीजों को कह कर हिन्दुस्तान की जनता को गुमराह किया। यदि आपने देश और इस प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया, यदि उत्तर प्रदेश को उसका जायज हिस्सा नहीं दिया तो अधिक दिनों तक आप जनता को बहकावे में नहीं रख सकते। आपने ७०० लाइसेन्स उद्योग-धन्धे लगाने के लिये दिये लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं मिला।

इस प्रदेश का मिर्जापुर जनपद पिछड़ा हुआ है। वह सूखा और बाढ़, दोनों से पीड़ित रहता है। जो कार्य वहां होने चाहिये थे वह नहीं हुये। वहां की अनाज मंडियों में एक भी सड़क नहीं है। वहां के विकास के लिये सही ढंग से लानिंग होनी चाहिये। सौभाग्य से वहां ऐसी नदियां हैं जिनका बहुत उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आज वह पानी बिहार और दूसरी जगहों को चला जाता है। आज आवश्यता इस बात की है कि हमारी सरकार मिर्जापुर के लिये एक योजनाबद्ध कार्यक्रम रखे, छोटी छोटी बंधियां बनाये, एग्रीच रोड्स बनाये, औद्योगिक संस्थान बनाये। वहां जो औद्योगिक संस्थान है, मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं हैं, उनमें लोकल आदमियों की संख्या बहुत कम है। लेबर डिपार्टमेंट सारी सुविधायें उनको देता है, उनको सस्ती जमीन देता है, सस्ती बिजली देता है, लेकिन जब वहां के लोगों को नौकरी देने की बात आती है तो उस पर कोई अंकुश नहीं रखता। आज इसका नतीजा यह है कि वहां के लोकल आदमियों के रहन सहन में किसी प्रकार का अन्तर नहीं हुआ है। उनकी जमीनें गई, उनका जीवन का साधन गया लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा प्लानिंग गलत ढंग से हुआ है। वहां स्कूल उन क्षेत्रों में नहीं खोले जहां खोलने चाहिये थे। क्या आज राबर्ट्सगंज और दुद्धी में डिग्री कालेज और महिला अस्पताल की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त है।

श्री रामप्यारे—

बस ५ मिनट। आज स्वतंत्रता का कुछ लाभ हम लोगों को नहीं मिला, उल्टे जमीन हमारे हाथों से चली गई। अगर सरकार ने उन जमीनों को किसानों को नहीं दी तो यह स्वतंत्रता का सब से बड़ा अभिशाप होगा। बन मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, राजस्व मंत्रीजी भी कहीं होंगे। आप के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि मिर्जापुर के आदिवासी और हरिजन अपनी जमीनों पर कायम रहें तो आप उनको जल्दी सीरदार घोषित कीजिये।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जब आप इस कुर्सी पर विराजमान होते हैं तभी मुझे कुछ अवसर बोलने का मिलता है। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया है उसको मैंने देखा तो उसमें कुछ कमियां दिखाई दीं। उन्होंने लोक सभा के चुनाव का जिक्र किया कि वे बड़े सन्तोष-जनक ढंग से समाप्त हो गये। अगर वह इसमें यह भी लिख देते कि कहीं-कहीं पोलिंग स्टेशन पर एक भी वोट नहीं पड़ा तो अच्छा होता। महोदय, सदन को यह पता होगा और अखबारों के अन्दर इसका चर्चा हो चुका है कि एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहां पर पूरे देश में एक भी वोट नहीं पड़ा.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन करूं कि इस समय राज्यपाल महोदय का भाषण ही बहस के अधीन है। आप दूसरी बात कहेंगे तो समय नहीं मिलेगा और फिर कहेंगे कि समय कम मिला।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

राज्यपाल महोदय ने भी चुनाव का चर्चा किया है।

श्री सजीवन लाल—

मैं कह रहा हूं कि हमारे भारतवर्ष भर में एक ऐसी घटना हुई है जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और बम्बई से लेकर आसाम तक सुनने में नहीं आई होगी कि जो खबर इस पोलिंग स्टेशन के विषय में हुई है। यह जिला उन्नाव के अन्दर गांव भटरिया की है जहां पर पोलिंग अफसर तथा प्रिसाइडिंग आफिसर बक्सा लेकर दिन भर बैठा रहा पर वहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा। इसका कारण यह है कि जो सड़क वहां पर अंग्रेजों के जमाने में बनी थी वह टूटी सड़क आज भी पड़ी है और अब उसका अस्तित्व टूट कर विध्वंस हो गया है। उसी क्षेत्र से माननीय गिरधारी लाल जी, जो हमारे यहां निर्माण मंत्री हैं उनकी बहन खड़ी हुई थी उसके विरोध स्वरूप ऐसा काम किया गया। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव से ही लोगों की भावना उठती चली जायगी अगर इस तरह से उनके भले को न सोचा गया। इस प्रकार के पिछड़े क्षेत्रों की तरफ यदि ध्यान नहीं दिया गया तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जायगा।

महोदय, राज्यपाल जी का भाषण हुआ जिसमें सरकार की दिशा का संकेत किया गया है। उसमें कुछ ऐसे इशारे होते हैं, कुछ ऐसे लक्ष्य मुकर्रर होते हैं जिनके आधार पर सरकार चलती है। जब राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ और मैंने उसको देखा तो वह मुझे जनहित में नहीं लगा। मैंने उसको इसलिये जनहित में नहीं समझा और मुझे पसन्द नहीं आया कि चूंकि यह संविद की सरकार अल्पमत की सरकार ही अब रह गई है तो अब इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तीन दिन तक चर्चा बराबर यहां पर चली और सदन क समय को

[श्री सजीवन लाल]

इस पर लिया गया लेकिन अब यह सरकार २ दिन ही की मेहमान है इसके बाद कोई दूसरी सरकार यहां पर आयेगी और वह फिर अपनी नीति की घोषणा करेगी । वह क्या करने वाली है वह भी अपनी नीतियों का संकेत यहां पर करेगी उसमें फिर समय लिया जायगा । इसलिये मैंने निवेदन किया कि यह सरकार जनहित की सरकार नहीं कही जा सकती है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नीतियों की चर्चा यहां पर आयी और उसी के आधार पर यह बहस चली । यह सरकार यहां पर चार पार्टियों के मेल से बनी हुई है । चौधरी साहब उसमें है, गुप्ताजी भी उसमें हैं, जनसंघ के नेता भी उसके अन्दर हैं और मुख्य मंत्री जी तो हैं ही । मुख्य मंत्री जी की, जब मनीराम के चुनाव में पराजय हुई, तो उन्होंने कहा था कि मुझे यदि जनता ने पसन्द नहीं किया तो मैं अपने इस उज्ज्वल चरित्र पर भविष्य में कालिख नहीं लगाऊंगा और सरकार से इस्तीफा दे दूंगा । किन्तु उन को हारे हुये इतना समय हो गया अब उन के उज्ज्वल भविष्य पर या उन के चरित्र पर किसी धब्बे का प्रश्न नहीं है बल्कि अब तो उन का पूरा चरित्र ही कालिख से पुत चुका है और वह जबरदस्ती उस कुर्सी पर बैठे हुये हैं ।

एक सदस्य---

आप से भी अधिक काला है क्या ?

श्री सजीवन लाल---

जी हां, बहुत अधिक काला है । अब वह धुलने से भी ठीक नहीं हो सकेगा । अब तो जनता के सामने देश और प्रदेश के सामने पूरी तरह से उन का पर्दाफाश हो चुका है । मैं निवेदन कर रहा था कि यह बड़े दिग्गज नेता जिन की पार्टियों ने मिलकर यहां लाकर श्री टी० एन० सिंह को खड़ा किया था और यहां लाकर आसीन किया था, उन सब के दलों की पोल अब खुल चुकी है । किसी से अब छिपा नहीं है कि चौधरी चरण सिंह जो बड़े स्वच्छ प्रशासन की चर्चा किया करते थे और उसके हामी थे और कहते थे कि देश में स्वच्छ प्रशासन आना चाहिये उन के उस स्वच्छ प्रशासन को भी हम ने देख लिया और जनता ने दिखा दिया कि उसने स्वच्छ प्रशासन को कैसा पसन्द किया, उन को ५० सीटों में से केवल १ सीट मिली और वह भी केवल अलीगढ़ के दंगों के कारण मिल गई । जब कभी भी हम उन से कहते थे कि चौधरी साहब आप की पार्टी में यह-यह खामियां हैं तो वह कहते थे कि तुम्हारी भी कोई पार्टी है, तुम्हारी तो ऐसी पार्टी है कि अगर हमें सेवा करने का मौका मिलता तो तुम १४ में से ४ भी यहां न आ पाते । लेकिन अब तो उन की सेवा से पूरा प्रदेश और देश अच्छी तरह से परिचित हो गया है । हम तो ५ आ भी गये लेकिन उन का दल ही समाप्त हो गया केवल एक ही अलीगढ़ के दंगों के कारण से आ गया है । वर्ना वह भी नहीं आता । कोई स्वच्छ प्रशासन यह सरकार यहां न दे सकी ।

इस सरकार के रहते हुये तमाम जगहों पर दंगे हुये । इलाहाबाद में, अलीगढ़ में और मुरादाबाद में दंगे हुये । और उन से प्रदेश का नैतिक स्तर और सम्मान देश के सामने गिरा । जब से यह सरकार यहां कायम है वह मैं समझता हूं केवल भ्रष्टाचार के आधार पर ही कायम है । आज उसकी हुकूमत में इंसाफ बिक रहा है, जब कभी किसी अदालत में कोई जाय वहां इंसाफ उसे नहीं मिलेगा, वह इंसाफ खरीद सकता है । न्याय किसी को नहीं मिलता यह चीज न्याय मंत्री और मुख्य मंत्री सब जानते हैं, यह ५४ मंत्रियों की जो पलटन है किस को नहीं मालूम है कि इंसाफ खुले आम बिक रहा है । इसको कौन विधायक या संसद् सदस्य नहीं जानता ? देश में गरीबी और तबाही फैली है और बड़े-बड़े नारे भ्रष्टाचार को दूर करने के लगाये जाते हैं । उसको दूर करने के लिये २३ साल से शासन लगा हुआ है लेकिन वह बराबर पनपता जाता है हर एक विभाग में वह फैला हुआ है और पुलिस विभाग तो इतना ज्यादा आगे है कि कुछ कहा नहीं जा सकता । अगर कहीं चोरी, कत्ल या डकैती वगैरह हो जाय तो पुलिस वालों को बड़ी खुशी होती है और वह कहते हैं कि अब हमारी फसल कटेगी । यानी

कहीं चोरी या डकैती होती है तो उनको खाने खेलने, रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है, गलत लोगों को मुकदमों में फंसाया जाता है, पैसा लेकर २३ साल में इस विभाग को कोई नहीं सुधार सका और भ्रष्टाचार बराबर बढ़ा ही है ।

पहले नारा दिया गया कि खेतों में पैदावार बढ़ेगी लेकिन आज तक समस्या हल नहीं हुई, बी० डी० ओ०, ग्रामसेवक , ए० डी० ओ० तमाम फौज अफसरों की बढ़ा दी गई लेकिन पैदावार खेतों की नहीं बढ़ सकी । नतीजा यह था कि देश भिखमंगा हुआ दूसरे देशों के सामने और हमारा प्रदेश अनाज के लिये और कर्जे के लिये दूसरे प्रदेशों के सामने । २३ वर्षों में भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाये अन्न के मामले में । हमारे देश और प्रदेश में भी न सिंचाई की, न बिजली की समस्या हल हो पायी । कहा गया कि नहरों के जरिये और ट्यूबवेल के जरिये पानी मिलेगा, हरितक्रांति का नारा दिया गया ।

श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय सदन में न मंत्री जो हैं, न स्टेट मिनिस्टर हैं और न ट्रेजरी बैन्चेज पर कोई अन्य मिनिस्टर हैं, तो यह सदन कैसे चल सकता है ।

श्री सजीवन लाल—

श्रीमन्, मैं अपना भाषण जारी रख सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न उठा है, यह झलक मिलती है कि सरकारी पक्ष का एक भी मिनिस्टर नहीं है तो क्या उपेक्षा तो नहीं है ?

(लौबी से श्री राम किंकर के सदन में आने पर)

श्री सजीवन लाल—

पैदावार के विषय में योजना बनती चली गयी, अधिकारी बढ़ते चले गये लेकिन खेत की पैदावार नहीं बढ़ी । फिर भी खेत की पैदावार बढ़ी हो या नहीं लेकिन सिंचाई तो बढ़ गई । पहले से सिंचाई सवाई हो गयी है । इस प्रदेश में इस ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी । और ये जो वन मंत्री बैठे हैं, इनके समय में तो जिन गरीबों ने भूमिहीनों ने बेकार और बंजर पड़ी जमीन तोड़ ली थी अपनी आजीविका कमाने के लिए उनके ऊपर ११५ डी० में लम्बे-लम्बे जुर्माने हुए । किसी के ऊपर ८ हजार किसी के ऊपर १० हजार और किसी के ऊपर १५-१५ हजार और जमीन के उन हिस्सों में जिनमें वन विभाग का एक भी पौधा नहीं पनप सकता था, जिनमें कोई ऐसी चीज ही पैदा नहीं हो सकती थी, उस जमीन को उनसे वापस ले लिया । इनकी हिम्मत नहीं पड़ी की उन किसानों को उन भूमिहीनों को ये भूमीधारी, या सीरदारी का हक दे सकें । आज वे तबाह हो रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं, उनके यहां पर कुर्की जा रही हैं । यह सरकार आंख से अंधी और कानों से बहरी दोनों है । इससे देश और प्रदेश का कल्याण हो सके, जनता सुखी हो सके, मुझे कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है । इस समय तो इस सरकार के कुर्सी बचाओ आन्दोलन सामने है । जनता परेशान है, प्रदेश में बेरोजगारी है लेकिन सामने तो केवल यह है कि कुर्सी किस तरह से बचायी जाय, सरकार बचे, प्रदेश चाहे भट्टी में जाये ।

यहां पर समाजवाद की बड़ी दुहाई दी जाती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसोपा का जन्म कैसे हुआ । ये आधे कम्युनिस्ट पार्टी से, आधे कांग्रेस पार्टी से, मां इनकी कांग्रेस है, बीच में यह संसोपा पैदा हो गया । तो यह है इनका इतिहास । संसोपा के माने है मिला हुआ । हमारे प्रदेश में बेकारी बढ़ी हो, भुखमारी बढ़ रही हो और इनके होते हुए भी काम न बढ़ाये जायं जो जनता के सुख के हों, तो कोई फायदा जनता को नहीं है ।

यह कहा गया कि सवा छः एकड़ की जमीन का लगान माफ कर दिया गया है, यह स्वागत करने योग्य है । यह भी कहा गया कि ८५ प्रतिशत किसानों को इससे फायदा होगा । जो

[श्री सजीवन लाल]

भूमिहीन हैं उनके लिये कोई प्राविजन है आपके पास ? जमीनों की हदबन्दी के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं है कि कितनी जमीन की हदबन्दी लागू करने आप जा रहे हैं । इस सरकार को मालूम होना चाहिये कि प्रदेश के अन्दर नैनीताल, पीलीभीत, लखीमपुर, वगैरह में जो बड़े-बड़े फार्म हैं, जो कि पूंजीपतियों, सरमायादारों, और रजवाड़ों को दे रक्खे हैं, जो फावड़ा और कुदाली वगैरह तक चलाना नहीं जानते उनके पास आठ २ दस २ हजार बीघे जमीन है । अगर उन जमीनों को ले लिया होता और सीलिंग और हदबन्दी के जरिये से गरीब भूमिहिनों को बांटी जाती तो खेती की पैदावार बढ़ती और जनता के अन्दर जो बेकारी फैली हुई है वह भी दूर होती । एक तरफ आज भी बेकार जमीन पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ बेकार नौजवान आदमी घूम रहे हैं । अगर उस बेकार जमीन को काम में लाने के लिये और जो गांवों के अन्दर बेकार आदमी घूम रहे हैं उनके अन्दर बंटवारा हो गया होता तो देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया होता, लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया । गया किस तरफ, ऐसी जगहों में ध्यान गया जो बेकार की स्कीमें थीं ।

मैं उस योजना को बेकार की स्कीम समझ रहा हूं जो इस प्रदेश में और शायद पूरे भारत में चल रही है और वह योजना है परिवार नियोजन की योजना । इस योजना के अन्तर्गत ३ अरब ६० करोड़ रुपये सरकार खर्च करने जा रही है और अगर पूछा जाय उसके अन्तर्गत जो नौकर रक्खे गये हैं, सफेद हाथी जितने पाले गये हैं उनको अढ़ाई हजार और ३ हजार के हिसाब से तनख्वाहें दी जा रही हैं । अगर उनसे पूछा जाय कि कितने आपरेशन कराये गये तो वे नहीं बता पायेंगे । यही अढ़ाई और तीन हजार रुपये अगर सीधे किसानों को दे देते तो वह सुविधा उनको मिल जाती और वह असलियत को समझते । लेकिन उधर ध्यान नहीं गया । आपको तो सिर्फ फिजूल खर्च करना था । निर्माण कार्यों की तरफ आप उस पैसे को नहीं ले जाना चाहते थे इसलिये आपने इस तरह की योजनायें प्रदेश और देश के अन्दर लागू कीं । निर्माण कार्यों पर जितना खर्च किया गया वह ज्यादातर विनाश की तरफ गया, निर्माण की तरफ कम गया । सड़कों के निर्माण को देखा जाय । जो सड़कें आज बनती हैं वे कल टूटती हैं । पुल बनते हैं वे भी टूटते हैं । उसके अन्दर आपको भी मालूम और सरकार को भी अच्छी तरह से मालूम है कि पुल के अन्दर सीमेन्ट बेच जाता है, लोहा बेचा जाता है, सरकारी चीजें जितनी हैं, उनके लिये क्या कोई ऐसा कमीशन मुकर्रर किया गया है या ऐसी योजना सरकार के पास है इन भ्रष्टाचारों को पकड़ने के लिये । कोई कदम नहीं उठाया है । गरीब पर टैक्स लगाकर जनता के पैसे की लूट हो रही है और गरीब की मेहनत की कमाई का पैसा पानी की तरह से बहाया जाय, यह अच्छा नहीं है । इसलिये निर्माण सम्बन्धी कार्यों पर सोचना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि निर्माण कहां हों, शहर में या देहात में ? देहातों को आत्म निर्भर बनाना चाहिये । गांवों में सड़कें बनायी जायं जिससे कि पैदावार शहर में पहुंच सके । आज पैदावार बढ़ाने का बड़ा नारा है, लेकिन भाव किसान के हाथ में नहीं है। भाव तय करते हैं हापुड़ और मेरठ के बड़े-बड़े आढ़तिया । किसान तो सिर्फ पैदा करने भर का हकदार है। किसान के घर से निकलने के बाद, चाहे गन्ना हो, चाहे कपास हो, जब वह मिल में चला जाता है और वहांसे निकलता है तो उसके दाम ड्योढ़े और दुगने हो जाते हैं । भाव की कोई सीमा तय होनी चाहिये । किसान से बिकी हुई चीज और मिल से निकली हुई चीज इन दोनों के भाव में कोई सामंजस्य कायम होना चाहिये । जितनी जल्दी हो सके गांवों में सड़कें और सस्ती दर पर बिजली पहुंचायी जाय ।

न्याय के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । जब तक सीधा-सच्चा और सस्ता न्याय नहीं मिलेगा, हमारा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता । प्रदेश की हालत जर्जर हो चुकी है । नौ करोड़ की आबादी का प्रदेश तबाह और बरबाद हो रहा है । न कोई नया निर्माण हुआ, न तरक्की हुई, न कोई योजना है । जितनी भी सुविधायें दी जा रही हैं वह शहरों को मिल रही हैं । देहात उजड़ रहे हैं । देहात को बसाने के लिये वहां अस्पताल, स्कूल आदि खोले जाने चाहिये. फसल सुधार की योजनायें होनी चाहिये । बेकारी बढ़ती जा रही है असुरक्षा की भावना

बढ़ती चली जा रही है । फिर भी सरकार कहे कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिया जाय तो मैं उसके लिये तैयार नहीं हूं । यह प्रस्ताव धन्यवाद पाने का पात्र नहीं है । यह सरकार टिकने वाली नहीं है । इसकी नीति विध्वंशकारी है, जनहित में नहीं है । यह प्रदेश को ऊपर नहीं उठा सकती है, नीचे ही ले जाएगी । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । राज्यपाल जी के अभिभाषण में, जो अभी लोक सभा का चुनाव हुआ उसका संकेत है । इसके बारे में सदन में काफी चर्चा की गयी । ज्यादातर सदस्यों ने इस बात की मांग की है कि एक कमीशन बैठाया जाय जो इस बात की जांच करे कि नयी कांग्रेस की तरफ से लोक सभा के लिय जो उम्मीदवार चुनाव लड़े क्या उन्होंने चुनाव कमीशन के द्वारा निर्धारित जो ३५ हजार की व्यय सीमा है उतना ही खर्च किया या अधिक । जहां तक मेरी जानकारी है, प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र जहां से राजा दिनेश सिंह, नयी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े, उनके चुनाव के बारे में तरह–तरह के आंकड़े सुने गए हैं । कुछ लोगों का अनुमान है कि ३ लाख खर्च हुआ, कुछ लोगों का अनुमान ५ लाख का है । कुछ लोगों का कहना है कि पूरी फरवरी के महीने में प्रति दिन १० हजार रु० खर्च हुआ । बगल का जो चुनाव क्षेत्र है, जहां से प्रधान मंत्री लड़ रही थी, वहां भी हमें जाने का मौका मिला हमारे उम्मीदवार श्री राजनारायण जी के कार्यालय में गाड़ियों की जो सूची तैयार की गयी थी उसके अनुसार उसके चुनाव क्षेत्र में (प्रधान मन्त्री के) १५० जीपें चल रही थीं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि लोक सभा के इस चुनाव में खासतौर से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जितने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरे हैं उन्होंने एलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित जो व्यय की सीमा है उससे कई गुना ज्यादा व्यय किया है और इस बिना पर उनके चुनाव तो बिल्कुल अवैध हैं । इस बारे में इस सदन में जो कमीशन नियुक्त करने की मांग की गयी है, उसका मैं स्वागत करता हूं और मेरा सुझाव है कि हमेशा के लिये इसकी जांच हो जानी चाहिये ।

एक बात उस तरफ से कही जाती है कि हम धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते हैं । केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह आवाज बराबर उठायी गयी है कि सब से मिलकर, जाति पांति में कोई भेदभाव न करके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना उसका उद्देश्य है, लेकिन इस चुनाव के दौरान देखा गया है कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कुछ निश्चित जातियों को काफी उभाड़ा गया है । जिस तरह से जातीयता और सामप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया उसी का परिणाम था कि अलीगढ में दंगा हुआ, मुरादाबाद में दंगा हुआ और इलाहाबाद में भी दंगे की सी स्थिति रही । इस चुनाव में हर जगर जहां सामप्रदायिक दंगे हुए उन तमाम की जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी के ऊपर है । दिनमान पत्रिका में एक दोहा निकला था जो इस प्रकार है– "बाभन, औरत, तुरक, चमार, ये जाति सब कांग्रेस आर।" । तो आप देखें कि ये जितनी जातियां हैं उन सबको वोट लेने के लिये उभाड़ा गया और उनमें जातीयता की भावना भरी गयी । ब्राह्मणों से कहा गया कि प्रधान मन्त्री तुम्हारी जाति की हैं इसलिये तुम लोग नयी कांग्रेस को वोट करो । मुसलमानों से कहा गया कि उनकी रक्षा हिन्दुस्तान में केवल नयी कांग्रेस ही कर सकती है, अन्य जितने दल हैं वे उनका हित नहीं कर सकते हैं । हरिजनों से कहागया कि उनकी रक्षा केवल नयी कांग्रेस ही कर सकती है, अन्य पार्टियां उनके हित में कुछ नहीं कर सकती है । इस तरह से इन जातियों को उभाड़ा गया और जातीय भावनाओं को उभाड़कर, उनको झूठे आश्वासन देकर उनके वोट लियें गये । इसकी जिम्मेदार नयी कांग्रेस पार्टी की है । नयी कांग्रेस पार्टी ने जाति-जाति को लड़ाया और एक जाति का दूसरा जाति के प्रति घृणा का भाव पैदा किया गया । क्योंकि हम देखते हैं कि इस दृष्टि से कई जातियां आपस में ही लड़ गयी । केवल हिन्दू–मुसलमान में ही इसके लिये झगड़ा नहीं हुआ बल्कि हिन्दू में भी आपस में चुनाव के सिलसिले में एक जाति का दूसरी जाति से टकराव हुआ । तो इसकी भी छानबीन होनी चाहिये ।

[श्री जयराम यादव]

इस संविद सरकार के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हुई हैं उनकी ओर भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में संकेत किया है । जहां तक सवा ६ एकड़ तक की लगान माफी का सवाल है, जिसके लिये हमारी पार्टी बहुत पहले से संघर्ष कर रही थी, इस सरकार ने कर दिया जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में लिखा जायगा । संविद सरकार ने इसके लिये कानून भी बना दिया ताकि इसे लागू कर दिया जाय । लेकिन मैं सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि पहली अप्रैल से यह कानून लागू होना चाहिये और हमारे कलक्टरों को सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था लेकिन जब चुनाव का काम तेजी से चल रहा था उन दिनों लगान वसूली का काम खूब जोरों से चल रहा था । जब हम तहसील में पहुंचे तो पूछने पर वहां के कर्मचारियों ने बताया कि हमारे पास कोई सरकारी आदेश लगान वसूली न करने के सिलसिले में नहीं आया है जब कि इसके बारे में सब को जानकारी थी ।

श्री राजितराम पाण्डेय---

आप के ही राजस्व मंत्री रहे और आपकी ही सरकार रही, तो आपकी सरकार ने क्या किया इस पर भी जरा प्रकाश डाले ।

श्री जयराम यादव --

जब तहसील में हमें बतलाया गया कि सरकारी आदेश नहीं आया है तो हमने माल मंत्री जी से तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया । उन्होंने सरकार के आदेश के बारे में मुझे अवगत कराया कि सरकारी आदेश कलक्टरों के पास भेज दिये गये हैं कि रबी में लगान की वसूली न की जाय । खरीफ फसल की बाकी लगान को भी कुछ दिनों के लिये मुल्तवी करने की आज्ञा दे दी गयी थी लेकिन कलेक्टरों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे केन्द्र की सेवा कर रहे हैं । वे केन्द्रीय सरकार के नौकर हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के नौकर नहीं हैं । जितने हमारे कलेक्टर हैं उन्होंने राज्य सरकार के आदेशों की कोई परवाह नहीं की ।

एक सदस्य---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कलेक्टर्स अगर केन्द्र सरकार के अधीन हैं और राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं तो क्या कलेक्टर्स के खिलाफ राज्य सरकार ने किसी प्रकार का कोई कदम उठाया और इस सम्बन्ध में कोई उसने लिखा पढ़ी की है अथवा नहीं ?

श्री जयराम यादव---

कलेक्टर्स ने जो लगान माफी के आदेशों का पालन नहीं किया और उसकी अवहेलना की राज्य सरकार को इसकी सूचना मिली है और वह इसकी जांच कर रही है । मैं मांग करता हूं कि जो १० बीघा लगान माफी का कानून बना उसके आदेश जिला कार्यालयों में चले गये । उसको तहसीलों तथा नीचे के कार्यालयों में उसने भेजा की नहीं जो कि माल विभाग के हैं । इस सम्बन्ध में जो लोग दोषी हैं उनके बारे में पूरी जांच की जानी चाहिये । नई कांग्रेस के लोग हैं उनका यह साहस नहीं है कि वे लोग भी इसी प्रकार से १० बीघा लगान की माफी के आदेश प्रसारित कर पाते । वे लोग पहले भी इस बात का विरोध करते थे परन्तु चुनाव के दिनों में यह बड़े जोरों से प्रचार किया गया कि अगर इस प्रकार से लगान माफी हो जायगी तो काश्तकारों का हक भी समाप्त हो जायगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी संविद सरकार ने ८५ प्रतिशत काश्तकारों के हित में क्रान्तिकारी कानून बनाया था परन्तु कलेक्टर्स ने इस बात को नजरन्दाज किया ।

दूसरी बात यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहीं पर भी इस बात का संकेत नहीं दिया है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये इस प्रकार के रचनात्मक

कदम उठाये जायेंगे। ऐसा मालूम होता है कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है। सभी सदस्य जानते हैं दिन प्रति दिन भ्रष्टाचार हमारे जन जीवन में घर करता चला जा रहा है। पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है इसको सभी जानते हैं। आज उसके कारण शान्ति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। मुरादाबाद, अलीगढ़ में दंगा हुआ। जगह-जगह पर डाके पड़ रहे हैं, मारपीट हो रही है। पुलिस इसको देखती रही। चुनाव सभाओं में पुलिस ने हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को मारा। ऐसा मालूम होता है कि पुलिस निश्क्रिय सी हो गई है अथवा सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं। हमारे जो वर्मा जी हैं उनको मालूम होना चाहिये कि जो पुलिस अधीक्षक हैं, थानेदार हैं अथवा जो पुलिस के अन्य कर्मचारी हैं उन्होंने चुनाव के दौरान अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया। प्रतापगढ़ में संग्रामगढ़ थाने में एक हफ्ते के अन्दर ही तीन-तीन बार डकैतियां पड़ी। कितने ही स्थानों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाने के कारण व्यापारी लोग कस्बों को छोड़-छोड़ कर दूसरे स्थानों में भाग रहे हैं। पुलिस विभाग की ओर से हमारी सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसमें तो पुलिस विभाग पूर्ण रूप से असफल रहा है। खासतौर से चुनाव के दौरान तो इसने अपने कर्त्तव्य का कत्तई पालन नहीं किया। इस तरफ राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

मैं यह कह रहा था कि हमारी राज्य सरकार ने अन्य बहुत से ऐसे जनहित के कार्यों को किया है। उसी ने वृत्ति और पेशा कर समाप्त किया जो एक साहसिक कदम है और जिसकी मांग बहुत दिनों से सभी वर्ग के लोग उठा रहे थे। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की मांगें बहुत दिनों से ठुकराई चली आ रही थीं लेकिन संविद सरकार ने उनके मंहगाई भत्ते में वृद्धि की। इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतन की बात की थी। हमारी जानकारी में है कि हायर सेकेन्डरी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को चार-चार छः छः महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती थीं। उनकी तनख्वाह को सरकारी खजाने से हर पहली तारीख को देने की योजना संविद सरकार के समक्ष है। यह इस तरह से कार्य हैं जिनमें सरकार ने आगे चलने की योजना बनायी है।

भूमि के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि ७ लाख २८ हजार एकड़ भूमि सन् १९७० में भूमिहीनों को बांटने का कार्य संविद सरकार ने किया। सन् ५२, ५७, ६२ और ६७ में चुनाव हुए और हमेशा यह मांग की गयी कि भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल रही है। इतनी बड़ी मात्रा में भूमि बांटने का कार्य किसी सरकार ने नहीं किया था। संविद सरकार ने एक कदम उठाया और एक अभियान चलाया और इतनी जमीन भूमिहीनों में बट गयी। जो पुराना कानून था जिसमें ५ बीघा तक के काश्तकार भूमिहीनों में गिने जाते थे उसका भी संविद सरकार ने संशोधन किया कि वही आदमी भूमिहीन समझा जायगा जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। इससे भी भूमिहीनों को जमीन मिलने में सरलता होगी। लेकिन जहां लगान माफ किया गया भूमिहीनों की परिभाषा की गयी वहां पर यह भी चाहिये था कि भूमि की सीमा निर्धारित करते। चौधरी चरण सिंह का जब मंत्रिमंडल बना था और नई कांग्रेस जिसमें भागीदार थी उसमें २० बीघे तक की सीमा रखी गयी थी लेकिन हमारे सामने राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसमें कहीं भी संकेत नहीं है कि यह सरकार हदबन्दी रखना चाहती है। हमारी पार्टी का यह मत है कि किसी के भी पास २० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहनी चाहिये।

आज समाजवाद की बहुत चर्चा की जाती है। हमारे यहां के तीन राजा है। राजा दिनेश सिंह, अजीत प्रताप सिंह और बजरंग बहादुर सिंह। ये नई कांग्रेस में है और सबसे बड़े समाजवादी है लेकिन हर एक के पास तीन-तीन चार चार हजार एकड का फार्म है। हमारा जो सुझाव है कि २० एकड़ से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं रहनी चाहिए अगर इसको कानूनी रूप दे दिया जाय तो बहुत से भूमिहीनों को जमीन मिल जायेगी। संविद सरकार ने पहाड़ी जिले, पूर्वी जिले, बुन्देल-

[श्री जयराम यादव]

खंड का इलाका की उन्नति के लिए बड़ा कदम उठाया है। इनके लिए अलग-अलग प्रयोग, कमीशंस और फाइसेंस की भी व्यवस्था है। लेकिन श्रीमन्, हमारे अवध के बारह जिलों के काश्तकारों की हालत बहुत खराब रही है। फैजाबाद कमिशनरी है। पिछले वर्ष वहां एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी ने यह कहा कि हमारे इन बारह जिलों की उन्नति के लिए प्रदेशीय व केन्द्रीय सरकार ने उपेक्षा वर्ती है। प्रतापगढ़ राय बरेली काफी पिछड़े हैं।

इसी प्रकार पुल निगम की योजना राज्य सरकार की है। मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकार के पास ऐसी सूची होनी चाहिए कि कितने ऐसे महत्वपूर्ण पुल हैं जिनका निर्माण प्रायरिटी बेसिस पर होना चाहिये। प्रायरिटी बेसिस पर पुलों का निर्माण नहीं किया गया। अनुभव तो यह बताया है कि जहां के कोई मन्त्री प्रभावशाली रहे, वहां पर पुल बना दिये गये या उन जगहों में पुलों का निर्माण हुआ जहां के लोग प्रभावशाली रहे। जितने भी सरकारें यहां पर आई हैं उनमें से किसी ने प्रायरिटी बेसिस पर पुलों का निर्माण नहीं कराया। प्रतापगढ़ जिले की सदर तहसील और सदर परगने का कोई संबध जिले में अन्य भागों से नहीं है क्योंकि वहां पर कोई पुल नहीं बनवाया गया है। सई नदी पर दो पुलों घुईसरनाथ और जमताली का बनाना बहुत आवश्यक है। बरसात के दिनों मे इस क्षेत्रों का संबंध दूसरी जगहों से नहीं रहता है। इन पुलों को शीघ्रातिशीघ्र बनाना चाहिये।

दूवर नदी पर एक पुल था जो बाढ़ के कारण बह गया। बाढ़ के कारण डीहा और गाढ़ी घाटके जो पुल बह गये हैं, वे भी जल्दी से जल्दी बनने चाहिये।

मान्यवर, अब मैं इस राज्य सरकार का ध्यान सड़कों के निर्माण की और आर्कषित करना चाहता हूं। राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह सड़कों के निर्माण के लिये एक योजना बनाती और जांच करके एक सूची तैयार करती कि कौन-सी सड़कें महत्वपूर्ण है जिनका कि निर्माण तुरन्त होना चाहिए। जनपद प्रतापगढ़ की कुन्डा तहसील को जोड़ने वाली सड़क, यद्यपि आज देश को आजाद हुए २३ वर्ष हो गये हैं, नहीं बनी है। यदि यह सड़क बन गई होती तो हम ३७ मील के फासले को कम समय में पूरा कर सकते थे जबकि आज हम को ५ घन्टे लगते हैं। जो सड़क मुस्लिम राज्य में बनी थी बड़ी ही महत्वपूर्ण सड़क थी। यह सड़क मानिकपुर तथा बिहार को गई है। बाद में अंग्रेजी राज्य में भी इसको बनवाया गया और इसका नाम "चाकमैनरोड़" रखा गया। मेरी प्रार्थना है कि सड़कों को ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए एक सड़क निगम बनना चाहिए।

अब मैं शासन का ध्यान सिंचाई योजनाओं के बारे में खींचना चाहता हूं। प्रतापगढ़ जिला सबसे ज्यादा उपेक्षित है। जिले में एक लाख २४ हजार सिंचाई का कुछ प्र बन्ध है, परन्तु वह भी अधूरा है। मई सन १९६९ में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री डा० के० एल० राव प्रतापगढ़ गये थे। उन्होंने कहा था कि प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि ३०० राजकीय नलकूप अविलम्ब प्रतापगढ़ जिले में लगवा दिये जायं। आज उस बात को भी दो वर्ष बीत गये हैं। इन दो वर्षों में केवल १९ राजकीय नल-कूपों को स्वीकार किया गया। इन १९ राजकीय नल-कूपों में से १२ तो कागज पर है और केवल ७ की बोरिंग की गई है। आज भी कोई नल-कूप काम नहीं कर रहे हैं। सिंचाई के बारे में मैं राज्य सरकार से यह कहता हूं कि उसके साधनों को और बढ़ाना चाहिए जिनका कि अभी बहुत अभाव है। राज्य सरकार की योजना से ऐसा आभास नहीं मिलता है कि वह इन साधनों को बढ़ा रही है। मुझे इस प्रकार का कहीं भी संकेत नहीं मिलता है।

विद्युत के बारे में मैं राज्य सरकार का स्वागत करता हूं। उसने गारंटी की दर में कमी करने का जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। संविद सरकार ने यह साहसिक कदम उठाया है। पहली जो सरकार थी उसने तो गारंटी की दर में वृद्धि की थी। साधनों की कमी होते हुए भी संविद सरकार ने यह साहसिक कदम उठाया है।

(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन, २ मिनट और चाहिए।

(एक माननीय सदस्य के बार बार उठने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

उस समय आप उपस्थित नहीं थे । फिर प्रश्न कर लीजिये । इस पहलू पर आप फिर प्रश्न कर लीजिए ।

श्री जयराम यादव—

मैं २ मिनट में खत्म करना चाहता हूं । जब यहां पर राष्ट्रपति शासन था तो राज्यपाल महोदय ने सेन्टर के प्लानिंग कमीशन से इस बात की मांग की थी कि इस प्रदेश को अधिक सहायता दी जाय क्योंकि इसकी बहुत उपेक्षा की गई है । उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जिसकी बहुत उपेक्षा की गई है राष्ट्रपति शासन काल में यह मांग की गई थी, यह बात सब जानते हैं । अगर विरोध पक्ष के लोग सरकार बनाते है तो यह लोग भी वही शिकायत करेंगे । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अन्य राज्यों की परियोजनाओं पर जो व्यय हुआ है, उसी को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार ने जो १८१ करोड़ रुपये की मांग केन्द्र से की है, केन्द्र को उसे स्वीकार करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राजितराम पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया । यहां पर समाजवाद की बड़ी गाथा गायी गयी । उसी को सुनकर मैंने चाहा कि आप मुझे भी दो मिनट का समय दें । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में समाजवाद की बड़ी गाथा गायी है । सवा छः एकड़ का गीत गाकर समाजवाद की बड़ी दुहाई दी गयी । बड़ी तेजी से समाजवाद लाने की बात कही गयी । यहां पर ज्यादातर लोग देहात से आये है । वे देहात के लोगों की परेशानी को जानते हैं । चंडालचौकड़ी की जो यह संविद की सरकार बनी उसने गरीबों के साथ क्या किया ? एक तरफ तो कहते है कि किसानों को हम राहत दे रहे है, दूसरी ओर उनका ही गला घोंट रहे है । इस समय डा० राममनोहर लोहिया हमारे बीच नहीं है । डाक्टर राम मनोहर लोहिया के मंदिर को जलाकर खाक कर दिया आप लोग कुर्सियों से चिपक कर, किसानों का अहित कर रहे हैं । जिस समय सिंचाई पर ४ आना ही बढ़ाने की बात थी, डाक्टर लोहिया ने सत्याग्रह किया । आज जिस सिंचाई पर ३ रुपया टैक्स एक बीघे लगता था, उस पर इस सरकार ने, जो चन्डाल चौकड़ी की सरकार है, २२ रुपया प्रति बीघा कर दिया । आज किसान पूरी क्रान्ति चाहता है । आप सोचिये कि उस वक्त गल्ले का भाव जब कि १० छंटाक का गेहूं था, तो किसान को ३ रुपये बीघा सिंचाई का कर देना होता था, आज जब सवा सेर का भाव है तो उसको २२ रुपये देना पढ़ रहे हैं और आप कहते हैं कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, हमने सवा ६ एकड़ तक लगान माफ कर दिया । आज किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है । बिजली क दाम भी आपन बढ़ा दिये हैं । अगर वाकई में आपन जनता को कुछ राहत दी होती हो हम समझते कि आप समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं । समाजवाद की गाथा तो आप बहुत गाते हैं, मगर करते कुछ नहीं है । एक सदस्य ने कहा कि हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है, हम शुद्ध समाजवादी हैं । आपने जन संघ से तालमेल किया, स्वतंत्र पार्टी से किया, और पार्टियों से मेल किया, पूंजिपतियों से किया, यह है समाजवाद क्या ? यह हयूम की कांग्रेस सरकार ने २२ वर्षों तो खून बहाया है . . . (व्यवधान) आज तक हम की सरकार कुर्सियों पर थी,

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हयूम की कांग्रेस इधर है या उधर है ?

श्री राजित राम पांडेय—

हयूम की कांग्रेस आपके पास है जो इस समय सरकार में है । मैं इससे सिद्ध करना चाहता हूं । इंदिरा सरकार ने क्या किया ? एक बड़ा काम किया—प्रिवीपर्स को खत्म करके,

[श्री राजितराम पांडेय]

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और साथ ही वह शहरी संपत्ति के अधिकार को भी खत्म करने वाली है। उन्होंने देश के सामने एक ऐसा नारा रखा जिसे डाक्टर लोहिया चाहते थे। मिस्टर ह्यूम की कांग्रेस खत्म करके, उन्होंने एक नया कदम रखा है और हमें आशा है कि वे डाक्टर लोहिया के सपने को पूरा करेंगी। लेकिन आपने क्या किया ? आप तो गुप्ता जी, स्वतंत्र और जनसंघ पार्टी के पेट में जाकर बैठे हैं और समाजवाद को बिलकुल छोड़ दिया है और लोहिया जी के मंदिर को जला दिया है। जिस वक्त चरण सिंह जी मुख्य मंत्री बनने जा रहे थे और उन्होंने झंडे वाले पार्क में कहा था कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, उस समय मैंने उनकी बात का विश्वास कर लिया था। लेकिन आज तक यह सरकार बनी रही, लेकिन वह कार्य आज तक न हुआ। आपकी सरकार भी रही, लेकिन आपने भी नहीं किया। आपने जनता के सामने धोखेधड़ी का काम किया है। इसका नतीजा यह हुआ कि लोहिया जी का जो नाम था वह अब डूब गया है और उत्तर प्रदेश से उनकी पार्टी का एक भी मेंबर चुनकर दिल्ली नहीं गया है। लोग बौखला रहे हैं, कोई कहता है कि मत-पत्र रूस से आए, और कोई कहता है कि अमेरिका से आए, लेकिन आप अपनी हैसियत को नहीं समझ रहे हैं। आप अपने वसूलों से हट गये हैं। आप पूंजीपतियों की गोद में जाकर बैठे हैं।

(व्यवधान)

राज नारायण जी ने हमें भी एक लाख रुपया देने को कहा था अपनी ओर लाने के लिए, लेकिन हमने इंकार कर दिया। मैंने राज नारायण जी के समाजवाद को देखा, रामसेवक के समाजवाद को देखा और रायबरेली में भी देखा है, जहां आपकी ७५ जीपें और २० अम्बेसडर कारें चलती थीं। तो मैं पूछता हूं कि इतने खर्च के लिए रुपया कहां से आया। टाटा से, बिड़ला से डालमिया से और पदमपति सिंहानिया आदि की जेबों से नहीं आया तो आखिर कहां से आया ? या यह आपके मंत्रियों की कमाई है, जो उन्होंने रिश्वत ले-ले लेकर जमा किया है। मैं तो १,२०० रु० केवल खर्च करके चुनकर आया था, जिसे वहां की जनता ने दिया था। वहां पर केशव जी तो बहुत ज्यादा मतों से हार गये थे लेकिन गंगापार की जनता ने उनकी जमानत तक जब्त करा दी थी। जनता को बहुत दिनों तक आपने बेवकूफ बनाया। जनता ने ह्यूम की कांग्रेस को खत्म कर दिया। इंदिरा ने नारा दिया मुल्क के सामने। वह नारा था राष्ट्रीयकरण का, चीनी की मिलों के राष्ट्रीयकरण का, बैंक के राष्ट्रीयकरण का, वह नारा दिया शहरी संपत्ति का। मैंने समाजवादी भाइयों को देखा। यह हमारे लोहिया जी के दाहिने हाथ थे। इनको भी देख कर रोष और गुस्सा आता है। आपने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। जो डाक्टर लोहिया को भुला दिया गया है, उनकी आत्मा आपके ऊपर भी कराहती होगी। जब केरल में थानू पिल्लई की सरकार ने गोली चलाई तो डाक्टर लोहिया उस समय जेल में थे। उन्होंने जेल से कहा कि तुम इस्तीफा दो। जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी बनायी। आप उनके चेले थे। आपको रोशनी देनी चाहिए थी। लेकिन आप समझते हैं कि मैं सरकार का उपाध्यक्ष हूं। मुझे बड़ा अफसोस है। किसी बात पर आपने सही दिशा हम लोगों को नहीं दिया। लेकिन जिस समय प्रभुनारायण सिंह के बनारस में गोली काण्ड हुआ, उस समय इलाहाबाद ने हमें रोशनी दिया। राजित राम, रामपूजन और रामचरण त्रिपाठी ने अखबारों में शाया किया कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री सरकार से इस्तीफा देकर चले जाएं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मैं पांडेय जी से आग्रहपूर्वक एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या पांडेय जी बतायेंगे कि डाक्टर लोहिया ने यह भी कहा था कि ऐ सोशलिस्ट बन्धुओं, आप नेहरू परिवार का साथ देंगे ?

डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)—

मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या डाक्टर लोहिया का सारा आक्रोश व्यक्तिगत था ?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आपको पता नहीं, डाक्टर लोहिया ने हमेशा नेहरू परिवार के खिलाफ आवाज बुलन्द की ।

श्री राजित राम पांडेय—

अगर आज डाक्टर लोहिया होते तो इंदिरा जी को ज्यादा एप्रीशिएट करते बनिस्वत और लोगों के । जवाहर लाल उस वक्त सिंडिकेट के हाथों में खेल रहे थे, ह्यूम की कांग्रेस में । इसलिए डाक्टर लोहिया जवाहर लाल का विरोध करते थे । डाक्टर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी बनायी। उनके दत्तक पुत्र बैठे हुए हैं । उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं आपने भी कोई दिशा नहीं दी । मैं जानना चाहता हूं कि समाजवादी भाइयों से कि प्रभु नारायण सिंह जो इंदिरा को हटाना चाहते हैं, उन्हीं के गांव में, बमारस में गोली चलती है, १२ बच्चे गोली से फूंक दिये जाते हैं, वह बच्चे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं लेकिन प्रभु नारायण सिंह चुप रहे । औराई में गोली चलती है, सारे देश में बवाल होता है, सारे अवाम में रोष होता है, मनीराम में इलेक्शन होता है, त्रिभुवन नारायण सिंह की उसी गोली काण्ड के बदले पूरी तरह से जमानत जब्त हो जाती है जिस दिन विद्यार्थियों के ऊपर आर्डिनेंस लगाने का फैसला करने जा रहे थे मैं एक ऐसा आदमी हूं जो सदन छोड़कर चला गया । मैंने वोट नहीं दिया । लेकिन हमारे प्रभु नारायण, अनन्तराम जायसवाल ने हाथ जोड़कर हमारे समाजवादी भाइयों से कहा कि हमारी लाज बचाओ मेरी कुर्सी बचाओ नहीं तो चरण सिंह हम को खा जायगा, गद्दी से उतार देगा । इस तरह से सबको बस में कर के आर्डिनेंस पास करवा दिया । आर्डिनेंस पर आपने मतदान कराया । यही शिक्षा मंत्री श्रीपति मिश्र हैं, वीरेन्द्र वर्मा हैं जो प्रजातंत्र का नाम लेकर, समाजवाद का नाम लेकर गरीब मजदूर व किसान की दुहाई देते हैं ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जिसने अपने भाई के लड़के को कत्ल कर दिया हो और सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर दल बदल लिया हो ऐसे जालिम आदमी की क्या जरूरत है ?

श्री राजित राम पांडेय—

मैंने पहले ही कहा कि मैं दल बदलू हूं (व्यवधान) लेकिन [* * * *] तुम क्या बात करते हो, तुम्हारी क्या हैसियत है ? (व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

नैतिकता का तकाजा है कि इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़कर विधान सभा में आओ ।

(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

अभी बांकेलाल जी ने यह कहा कि राजित राम पांडेय ने अपने भतीजे का कत्ल कराया है । यह सरासर गलत है । मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजिएगा ।

श्री राजित राम पांडेय—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि...

[* * * *] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री बांकेलाल—

इनमें कोई योग्यता नहीं है । पहले बरगद से इस्तीफा दे दो । तब देखेंगे तुम्हारी नैतिकता को कि कौन तुमको यहां भेजता है ?

श्री राजित राम पांडेय—

तुम्हारी तो कोई भी पार्टी नहीं है । आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाई और दफन हो गई । आपमें जनता का विश्वास नहीं रह गया । तुम तो सिंडिकेट के पैसे पर पलने वाले आदमी हो और असल में तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है । यह वह देश है जहां पर जहांगीर ने घंटा टंगवा रखा था और जो घंटा बजाता था उसकी फरियाद सुना करता था और उसके साथ न्याय करता था । एक बैल ने एक बार घंटा बजाया तो उसने कहा कि बैल भूखा है, उसने उसे खाना दिलवाया । लेकिन इस सरकार की करतूत क्या है ? हमारी मासूम औरतें गरीब मास्टर इलाहाबाद से आए यह फरियाद करने कि हमारे बच्चों के पास खाने को नहीं है, हमारा वेतन बढ़ाया जाय लेकिन यह सरकार जो अपने को जम्हूरी तथा समाजवादी सरकार कहती है उसने उन गरीब मास्टरों को तथा मासूम औरतों को जेल भिजवा दिया जेल में कम्बल तक नहीं दिया और ठंड में वह सिकुड़ते रहे । मैंने इसीलिए उस दल का त्याग किया यह कह कर कि टी० एन० सिंह तुम्हारा जरूर नाश होने वाला है । जो इतना अत्याचार करेगा उसका जरूर नाश होगा ।

मेरे जिले इलाहाबाद में एक तहसील हंडिया है जिसमें आज तक कोई सड़क नहीं बनाई गई है और किसानों के लिये पीने के पानी तथा सिंचाई की कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है । वे लोग ऊसर जमीन में खेती करते हैं । आपने कोई योजना उनके लिये नहीं बनाई है । यह तो सरकार जाने वाली है, यह सरकार टिक नहीं सकती है, इसका खात्मा हो गया है इससे मैं कह ही क्या सकता हूं किन्तु जो आने वाली सरकार है उससे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह हमारी हंडिया तहसील के लिये पीने के पानी तथा सिंचाई के साधन जुटाने की समुचित व्यवस्था करे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं ।

*श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने की आपने मुझे जो अनुमति दी है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं । माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में संविद सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की है । मान्यवर, इस अल्पकाल में संविद सरकार ने उल्लेखनीय समाजवादी कार्य किए हैं । उसने सवा छः एकड़ लगान माफी की जो घोषणा की है वह एक सराहनीय कदम है । इस घोषणा से प्रदेश के ८५ प्रतिशत किसानों को लाभ हुआ है । मान्यवर, अभी तक किसी भी कांग्रेस सरकार ने अपना इस प्रकार का कार्यक्रम पूरा नहीं किया है । मान्यवर, यही नहीं संविद सरकार ने अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने का जो निर्णय लिया वह एक प्रशंसनीय कार्य है । राज्य कर्मचारियों के वेतन वृद्धि हेतु इस सरकार ने एक वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा की है वह भी प्रसंशनीय कदम है । इस सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनमें से यह भी है कि सरकार ने वृत्ति कर की समाप्ति की घोषणा की है । उपाध्यक्ष महोदय, जिस न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर यह सरकार चली है उसको पूरा करने में इस सरकार को सफलता मिली है और उसके बावजूद भी विरोधी पक्ष इस सरकार को गिराने की बात कहे तो यह बड़ी शर्म की बात है ।

मान्यवर, इस सरकार से मेरा भी निवेदन है कि जो संशोधन मैंने रखे हैं उनको वह मान लें। उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी और बेकारी को मिटाने के लिए दो ही उपाय हैं । प्रथम तो यह है कि किसानों को उनकी भूमि की सिंचाई के लिये साधन दिये जाएं । इसलिये मैं चाहता हूं कि "हर हल को काम और हर खेत को पानी" का नारा साकार होना चाहिए । मैं चाहता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि सिंचाई के साधनों की पूर्ति के लिये हर ५ एकड़ में एक राजकीय या निजी नलकूप लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि गरीबी और अमीरी एक खेत और दूसरे खेत को देखने से ही मालूम हो जाती है। यह देखा जाता है कि जिस किसान के पास सिंचाई के साधन हैं वे खूब हरे-भरे रहते हैं वह अमीर हो जाता है और जिसके पास कोई सिंचाई का साधन नहीं है वह गरीब रहता है। यह तभी हो सकता है जब कि सभी खेतों को समुचित खाद-पानी की व्यवस्था हो जाय।

नौजवानों तथा बेकारों को रोजगार देने के लिए इस सरकार को हर कस्बे में हर जिले में लघु-उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सके, उनको काम मिल सके और वहां की दरिद्रता दूर हो सके।

यहां पर जो लोग कहते हैं कि हाल ही में हुए लोक सभा के चुनाव में बहुत सी पार्टियां ध्वस्त हो गई हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इंदिरा कांग्रेस ने चुनाव में जाति-पांति का नारा दिया और पैसे का दुरुपयोग किया, मुसलमानों को भड़काया गया। मेरे क्षेत्र में मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया कई स्थानों पर लाठियां भी चलाई गई और बल का प्रयोग किया गया खास-तौर से बहराइच जिले में ऐसी बातें हुयीं हैं। अतः मैं चाहता हूं कि जहां पर ऐसी बातें हुयीं हैं वहां पर जांच करा ली जाय।

इस सरकार ने हमारे जिलें में सड़क बनाने के बारे में बहुत उपेक्षा की है। इसके लिए मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे इस क्षेत्र में प्रयागपुर से जो सड़क जाती है जिसकी कि सरकार से स्वीकृति भी हो चुकी है, उसको पूर्ति करने के लिये जल्दी व्यवस्था करे। और साथ ही साथ बहराइच से हुजूरपुर रोड जो सरकार ने स्वीकार कर ली थी उसको भी बनवाने के लिए सरकार कदम उठावे और प्रयागपुर-हुजूरपुर, वाया कुंडासर–कैसरगंज सड़क बनाने की व्यवस्था करें। सिंचाई की व्यवस्था को पूरा करने के लिए बहराइच जिले की खासतौर से कैसरगंज तहसील में जहां-जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था करे। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है हमारे जिले में जैतापुर, बमियारी, बैदौरा में चिकित्सालय नहीं है, उसके लिए व्यवस्था की जाय और नंदलाल गंज में चिकित्सालय की इमारत की व्यवस्था की जाय। बहराइच जिले का जो घाघरा घाट का पुल है वह बहुत ही मुख्य समस्या है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसके बनवाने के लिए व्यवस्था करें। क्योंकि वह बहुत ही जरूरी पुल है।

बहराइच की बेकारी को दूर करने के लिए वहां पेपर मिल खोलने की व्यवस्था सरकार करे। मैंने १२–१३ दिसम्बर को पूर्वी विकास क्षेत्र जिला सम्मेलन में यह बात कही थी। मैं चाहता हूं कि बहराइच जिले में बेकारी को दूर करने के लिए मकई की फसल चूंकि वहां ज्यादा होती है तो वहां स्लेज का कारखाना खोलने की व्यवस्था की जाय। नारों से बेकारी और गरीबी दूर नहीं होगी। जहां जहां ऐसी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। हमारे क्षेत्र में करीब ३०० बंगाली परिवार १८–२० वर्ष से बसे हुए हैं। राज्य सरकार ने उनको बसा तो दिया लेकिन उनकी भूमि के पट्टे की व्यवस्था अब तक नहीं की है। तो यह संविद सरकार का दोष नहीं। २३ सालों में जो पहली सरकारें थीं जिन्होंने इस कार्य को नहीं किया है यह उनका दोष है, लेकिन अब संविद सरकार को उसे दूर करना चाहिए और बंगालियों के लिए खाद, बीज देने की सरकार व्यवस्था करे और जो उनको भूमि दी गई है उस के सरकार पट्टे बनावे ताकि उनको हर किस्म की सहायता मिल सके।

मैं चाहता हूं कि पहले की सरकारें गांव के विकास के लिए बहुत सा धन व्यय करती थीं लेकिन ज्यादातर उन्होंने शहरों के विकास की ओर ही ध्यान दिया। अब शहरों का विकास नहीं होना चाहिये, गांवों के विकास की बात होनी चाहिये और पंचायतों के स्तर पर जो पुल और सड़कें हैं उनके बनाने के लिये रुपया दिया जाय ताकि गांव का विकास हो सके। समाजवाद का नारा गांव में कोई नहीं है, गांव की जनता उससे अनभिज्ञ है। इसलिए जनता का राज्य सरकार बनाने

[श्री वासुदेव सिंह]

की बात सोच रही है जो जनता की कठिनाइयां हैं उनको दूर करके सरकार उनको सुविधायें दे जिससे वह समाजवाद का नारा सफल हो और साकार हो सके। मैं चाहता हूं कि यह साम्प्रदायिक भावना जो लोग उभार रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए उन पर कड़ाई के साथ पाबन्दी की जाय और जातिवाद और साम्प्रदायवाद के नारे लगाने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाय।

भ्रष्टाचार को जहां तक दूर करने की बात है, हर व्यक्ति के खून में आज भ्रष्टाचार व्याप्त है, इनको दूर करना आसान काम नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार दूर हो तो जनता के प्रतिनिधि और सरकारी अफसर सब मिलकर कदम उठावें तभी यह नारा पूरा हो सकता है। इसके लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और सरकारें अभी तक इसको दूर करने में असफल रही हैं, संविद सरकार भले ही कोई कदम उठाये।

यह चुनाव के संबंध में लोग कह रहे हैं कि जनसंघ की सीटें हार गयीं। मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ की सीट हार गयी हों, लेकिन जनता उनके साथ है, यह आप सरकारी आंकड़े देखकर जान जायेंगे। क्योंकि बहुत सी सीटें हम कुछ ही वोटों से हारे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता का विश्वास हमें प्राप्त हो। हम लोग झूठे नारों पर विश्वास नहीं करते हैं बल्कि अपने कार्य के बल पर जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे जनता के साथ कदम से कदम मिला कर हम लोग चलेंगे और जनसंघ अपनी खोई हुई सीटों को पुनः लेने के लिये कटिबद्ध है। कुछ लोग उनके कह रहे हैं चुनाव नहीं होगा। अगर इंदिरा गांधी चुनाव करायेंगी तो जनसंघ भारी बहुमत से विजयी होगा। यह लोग सभा का चुनाव नहीं है, यह विधान सभा का चुनाव है। लोक सभा के चुनाव में इंदिरा गांधी का षड़यंत्र था क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि मध्यावधि चुनाव नहीं करायेंगी लेकिन आगे चल कर याकायक मध्यावधि चुनाव लोगों के ऊपर लाद दिया। उन्होंने अपनी तैयार करली और विरोधी दलके नेताओं से कहती रहीं कि चुनाव नहीं करायेंगे और करा दिए। यह उनका ढोंग नहीं तो क्या है? यह उनकी चाल है। इसी प्रकार संजिवैया ने कहा कि चुनाव होने जा रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का कोई प्रश्न नहीं है। इनके कुछ लोग कुछ कहते हैं कुछ लोग कुछ कहते हैं। दिल्ली के लोग कहीं जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोग कहीं और जा रहे हैं। इन लोगों की बात का कोई विश्वास नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि संविद के विधायकों को पैसे के लोभ में इस समय नहीं आना चाहिए, अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। जो लोग जा चुके हैं उनकी देखा देखी और न जाएं और संविद सरकार को बनाए रखने के लिये कदम उठायें क्योंकि उसके साथ जनता का विश्वास है। हम लोग चुनाव जो हारे हैं उसमें सरकारी कर्मचारियों का हाथ रहा है क्योंकि उन्होंने साफ साफ लोगों को बताया कि गाय बछड़ा पर मुहर लगाओ। उसका प्रमाण मैं दूंगा यदि मुझसे मांगा जायगा। मुझसे लोगों ने कहा कि कर्मचारी चुनाव में इस तरह से गाय बछड़े पर मुहर लगाने के लिए कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि उनको मारो पीट जब मैंने यह धमकी दी तो यह चीज दूर हुई। इसमें इन्दिरा गांधी की हवा का कोई सवाल नहीं था। लखनऊ से बाराबंकी गई और बहराइच नहीं जा सकीं। यह राज्य कर्मचारियों की वजह से संविद के लोगों की हार हुई। जातिवाद और धर्म का नारा खूब चला।

बन्धुओं, वे कहती हैं कि समाजवाद लायेंगी। मैं कहता हूं कि वे चश्मा उतार कर देखें कि और तो लोग नंगे भूखे हैं और दूसरी ओर इस तरह की बातें हो रही हैं। हमारे यहां पहले जमाने में प्रधान मंत्री झोपड़ियों में रहा करते थे लेकिन आजकल के प्रधान मंत्री महलों में रह रहे हैं, हैलीकोप्टरों में घूम रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि इनका समाजवाद केवल एक ढोंग है और वह चकनाचूर होगा। यह लोग जो कह रहे हैं कि ये सब पार्टियां खत्म हो गई हैं। वे सब फिर से ऊपर उठेंगी और उन्होंने जो झूठे वायदे करके जनता से मत प्राप्त कर लिये हैं वे उनको पूरा नहीं कर पायेंगी। वे तो ये सारे कार्य संजीव गांधी को प्रधान मंत्री बनाने के लिये

कर रही हैं। इंदिरा गांधी को न तो कांग्रेस की परवाह है न देश की। वे तो अपने पुत्र को बढ़ाना चाहती हैं। वे इस देश को गर्क में ले जायेंगी। उनकी कोई नीति नहीं है। आज जो हमारा नौजवान वर्ग है वह इंदिरा गांधी के ढोंग को समझ चुका है। आने वाले चुनाव में वह उनको जवाब देगा। इस समय भले ही उनकी २/३ मैजारिटी हो गई है।

डाक्टर श्याम किशोर—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। यह वास्तव में बहुत दुखद परिस्थिति होती है जब हम राज पुरुष या राज्यपाल की बातों का विरोध करने के लिये खड़े हों। परन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के भाषण से हमको जो निराशा हुई, उनका भाषण जैसा प्राणहीन, आत्माविहीन और प्रतिगामी था उससे वास्तव में मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रान्त की संपूर्ण जनता को घोर निराशा हुई होगी। मैं कुछ बातें स्पष्ट करके यह साबित करूंगा क्योंकि मैं उनके अभिभाषण को प्रतिगामी कहता हूं। मैंने उनके भाषण के विषय में जो संशोधन प्रतीक रूप में प्रस्तुत किये हैं तो वहां मेरे अन्य पार्टियों के सहयोगियों ने जो संशोधन दिये हैं उनका तो मैं समर्थन करता ही हूं, उनके अलावा मैंने स्वयं तीन संशोधन प्रस्तुत किये, हैं जिसमें मेरा पहला संशोधन इस प्रकार है —

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया—

(१) अधिकतम जोत की ३० एकड़ की हदबन्दी जिसकी घोषणा राज्यपाल महोदय गत वर्ष कर चुके हैं।

(२) राष्ट्र भाषा के अलावा अन्य भाषाओं, जैसे उर्दू, सिंधी, इत्यादि को उदारतापूर्वक प्रोत्साहन देने की नीति के विषय में हमारे राज्यपाल महोदय ने कोई भी संकेत नहीं किया है;

(३) उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कोई व्यापक योजना प्रस्तुत नहीं की है।

यह तो केवल मेरे तीन प्रतीक संशोधन हैं परन्तु जैसा मैंने कहा पहले, मेरा ख्याल है कि उनका यह भाषण अत्यन्त सारहीन है क्योंकि आज जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस प्रकार से हमारा समाज आज एक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारे राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट ही यह देखा है कि जिस सरकार का वह समर्थन कर रहे हैं, जिनकी शक्तियों को प्रश्रय देकर यहां पर राज पुरुष के रूप में घोषणा करने आए थे उन्होंने साफ देखा है कि उनके साथ में उनका कोई तारतम्य नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि स्वयं राज्यपाल महोदय ने पिछले वर्ष इस बात की घोषणा की थी कि ३० एकड़ की हदबन्दी जरूर कर दी जायेगी। हमारे उस समय के मुख्य मंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने सार्वजनकि रूप से अमीनुद्दौला पार्क में खड़े होकर मुक्त कंठ से यह घोषणा की थी कि हम ३० एकड़ की हदबन्दी कर देंगे। आज जो सरकार बनी हुई है वह निश्चित रूप से यह कहती है कि हम प्रतिक्रियावादी है,हमने समाजवाद का गला घोंटा है मुमकिन है हमारी पार्टी के अन्दर कुछ ऐसे तत्व हों जिनके कारणउन नीतियों के अनुरूप कार्यवाही न की हों जिनकी घोषणा की गई थी परन्तु इस सरकार से अपेक्षा थी कि वह उन बातों की घोषणा करती, हमारी गलतियों को ठीक करती, जिनका ढोल वह स्वयं पीटती रही है परन्तु मुझे खेद है कि राज्य पाल महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और वे इस जिम्मेदारी से अलग हट गये। हमारे चौधरी चरण सिंह आज उसी सरकार क अंग है परन्तु उन्होंने भी किसी प्रकार से विरोध प्रकट नहीं किया है। कहीं पर ३० एकड़ हदबन्दी की घोषणा नहीं की है..

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली दफा जब राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था जो उसमें ३० एकड़ की बात रखी गई थी लेकिन इंडिकेट के लोगों ने उसका विरोध किया था, क्या यह बात सही है ?

डाक्टर श्याम किशोर—

मुमकिन है यह बात सही हो लेकिन इस प्रकार से प्रश्न करने का सवाल नहीं उठता है। अगर इस प्रकार से आज प्रस्ताव आया होता और उधर बैठे हुए लोगों की तरफ से सीमा बांधने का प्रस्ताव लाया गया होता और हम लोग विरोध करते तब तो कुछ कहा जा सकता था लेकिन इस तरह से आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं। यह जवाबदेही करने का अधिकार आज हमको है। राज्यपाल महोदय ने, मुख्य मंत्री जी ने और वे सब घटक जो आज यहां पर संविद सरकार में बैठे हुए है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो यह समाजवाद के साथ विश्वासघात है। मैं संविद सरकार और राज्यपाल महोदय से पूछना चाहता हुं कि वह ३० एकड़ की हदबन्दी का प्रश्न इस अभिभाषण के अन्दर क्यों नहीं लाए ? मेहरबानी करके सरकार इस बात का जवाब दे और राज्यपाल महोदय कायदे के हिसाब से इस विषय में स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संशोधन में इस बात को रख रहा हूं तो सरकार इसको स्वीकार करे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी पूरी पार्टी इसका समर्थन करेगी इस बात की घोषणा यहां पर करता हूं। मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी को इस विषय में कोई विरोध नहीं है।

अब दूसरा सवाल उर्दू भाषा, हिन्दी भाषा, बंगला भाषा, अंग्रेजी भाषा और जितनी भी भाषा है उनके विषय में आता है....

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी जो लोक सभा में राष्ट्रपति महोदय का उद्घाटन भाषण हुआ था वह किस भाषा में उन्होंने पढ़ा था वह कृपया बतलाने की कृपा करें।

डाक्टर श्याम किशोर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह स्पष्ट कर कहना चाहता हूं कि उर्दू भाषा और अन्य भाषायें जो राष्ट्रभाषा के अलावा हैं, उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है यह यहां पर महसूस किया जा रहा है। मेरे बहुत से साथी जो उर्दू को अपनी भाषा मानते हैं यह उनकी भूल है। उर्दू किसी व्यक्ति की या किसी भी जाति या किसी सम्प्रदाय की कोई भाषा नहीं है। यह तो फारसी की पालिश और बजभाषा की मिठास से निकली भाषा है। यह तो इन दोनों संस्कृतियों के समन्वय से इस देश में पैदा हुई है। यह किन्हीं कारण या परिस्थिति में ऐसा हुआ लेकिन जब दोनों भाषाओं का समन्वय इस देश में हुआ तो वह एक नई संस्कृति के रूप में एक नई सभ्यता के रूप में इसका यहां पर जन्म हुआ एक नई अभिव्यक्ति हमारे देश में पैदा हुई और उसी का नाम उर्दू पड़ा। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि उर्दू को खत्म करने की कोशिश की जाती है, उस को मिटाने की कोशिश की जाती है उस को खत्म करने की कोशिश की जाती है। ऐसी अवस्था में जिस तरह से हमारी संस्कृति को समाप्त नहीं किया जा सकता इसी तरह से इस देश से उर्दू को कोई समाप्त नहीं कर सकता। हमारी जो रोजमर्रा की भाषा है, जिस का हम रोजाना प्रयोग करते हैं, जिस अल्फाजों को हम व्यवहार में लाते हैं वही उर्दू है, वही हमारी जन नागरी और जनता की भाषा है, चाहें उस को आप हिन्दी कहें और जैसे कि गांधी जी कहते थे आप उसको हिन्दुस्तानी कहें या हिन्दी कहें, वही एक हमारी जनभाषा है और इस को इस देश से कभी भी हटाया नहीं जा सकता। इस के विषय में इस भाषा के प्रेमियों में एक 'इनफीरियारिटी काम्पलेक्स' (हीन भावना) है और वह परिस्थितियों के कारण है जिन से डरे रहते हैं और उन को आशंका रहती है कि उन को समाप्त करने की दुरभिसंधि चल रही

है । उर्दू इसी देश में जन्मी है, पली है, बढ़ी है और पनपी है और इसीलिये हमारा फर्ज है कि हम उसकी रक्षा करें । अगर हमारे दल की सरकार शासन में आई तो मैं कम से कम अपनी पार्टी से दरख्वास्त करता हूं कि उर्दू को वही दर्जा प्रदान किया जाय और सब की सभी भाषाओं को वही दर्जा प्रदान किया जाय जिसकी वह अधिकारी हैं और हमें इस विषय में कोई शंका किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिये ।

मेरा तीसरा विरोध चिकित्सा के विषय में है क्योंकि वह मेरा अपना विषय था और इसीलिये मैंने इसको लिया है । असिल में मेरा मतलब यह है कि ग्रामीण जीवन को चिकित्सा की सुविधा पहुंचाने की बात को लेकर । आज परिस्थिति यह है कि यदि आप हमारे मंत्री महोदयों के जीवन यापन के ढंग को देखें तो अगर उन को जरा सा जुकाम भी हो जाता है तो वह फौरन फोन कर के डाक्टर को बुलाते हैं और अगर उनको दस मिनट की देरी हो जाती है तो उनकी त्योरी चढ़ जाती है और वह गर्म होने लगते हैं लेकिन मैं उनसे अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या उनको मालूम नहीं है कि ६-६ महीने तक गांवों में कोई चिकित्सक ही नहीं होता । उन बेचारे गरीब गांव के लोगों पर क्या बीतती होगी, कैसी कैसी यातनायें उनको उठाना पड़ता हैं उसकी कल्पना सहज स्वयं कर सकता है। इस राज्यपाल के अभिभाषण में कोई ऐसा संकेत नहीं है कि वह ग्रामीण जीवन में किसी प्रकार की अच्छाइयां ला रहे हैं । यह बहुत दुख की बात है । आप ने अखबारों में पढ़ा होगा और मेडिकल असोसियेशन के जो प्रस्ताव पास हुये हैं उनको देखा होगा । मेडिकल असोसियेशन कहता है कि नये चिकित्सक गांवों में इसलिये नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पर शहरों की भांति जीवन की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । जरा आप सोचें कि अगर ऐसी ही बात हमारा वह सिपाही कहे कि जिस को नेफा में डयूटी पर भेजा जाता तो क्या स्थिति होगी या अगर तिब्बत में भेजा जाने वाला सिपाही कहे कि वहां मैं नहीं जाऊंगा वह तो हवा बहुत थिन (पतली) रहती हैं । जिस तरह से अन्य एसेन्शियल सर्विसेज बहुत आवश्यक होती है उसी तरह से चिकित्सा भी बहुत ही आवश्यक सेवा है । मेडिकल असोसियेशन को भी और दूसरे लोगों को भी इस दृष्टिकोण से यहीं सोचना चाहिये कि देहात में इसलिये नहीं जायेंगे चूंकि वहां शहरों की सी सुविधायें नहीं हैं, वहां सुविधायें हों या न हों इसका सवाल नहीं है यही सवाल, ग्रामीणों के पक्ष से भी तो सोचा जा सकता है, वही परिस्थितियां उन लोगों के लिये भी तो हैं । हजारों रुपया एक एक मैडिकल स्नातक के ऊपर खर्च किया जाता है और फिर वह स्नातक स्थिर स्वार्थों का केन्द्र बन जाता है । वह बड़े-बड़े अस्पताल और क्लीनिक खोल लेते ह और उनके जरिये हजारों लाखों रुपया पैदा करते हैं तो उस व्यवसाय को एसेन्शियल सर्विसेज से किसी प्रकार से सम्बन्धित कर सकते हैं ? माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन चीजों का कोई जिक्र नहीं किया गया है । यह भी बड़े दुख की बात है । इस प्रकार मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सार हीन है और हमें अफसोस है कि हमें इसका विरोध करना पड़ता है हम अपने को इस विषय में बिल्कुल असहाय पाते हैं और यदि हमारा संशोधन इसमें नहीं जोड़ा जाता है और स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम इसका विरोध करते हैं ।

*श्री इन्द्रमणी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने केलिए समय दिया । जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आरम्भ किया है कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं इसलिए यह स्पष्ट है कि सदस्यों को भी अपने-अपने भाषण में आरम्भ करते वक्त चुनाव पर कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता है । वास्तव, में लोक सभा के चुनाव में नयी कांग्रेस ने भारी विजय पायी है, और उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री इन्द्रमणी]

३५० सीट मिलीं भी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस मुल्क का बहुमत उनके साथ है। आपको केवल ४३ प्रतिशत जनता ने वोट दिया है। मुल्क को दुहाई देना कि मुल्क आपके साथ है, आप अपने को धोखा दे रहे हैं। आप जो ये ३५० सीट जीत कर आये हैं, इसमें आपने मुल्क को धोखा दिया है। डी० एम० के० जो मुल्क को बांटने वाली पार्टी है, मुस्लिम लीग, जो देश को बांटना चाहती है और कम्युनिस्टों के साथ आप ३५० सीट ले आये हैं, जो सब के सब इस मुल्क को बांटना चाहते हैं आपको याद रखना चाहिये कि आपके साथ मुल्क का बहुमत नहीं है। आपको १४ करोड़ वोटरों में से ६ करोड़ वोटरों ने वोट दिया। इतना गलत काम करने पर भी आपको केवल २४ प्रतिशत जनता ने वोट दिया है। आपने देश में मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट और डी० एम० के० को पनपाया लेकिन खाली २४ परसेन्ट लोगों ने आपको मत दिया है। इसलिये यहां पर बार बार यह कहना कि हमको भारी बहुमत मिला, इस उन्माद में कुछ कहना उचित नहीं है।

कुछ हमारे साथी हैं जो डाक्टर लोहिया को दुहाई दिया करते थे या परसों तक जो सिंडीकेट में थे, इतना बहुमत मिलने के बाद भी इस प्रान्त में चुनाव हो जाये, कोई बात नहीं, इस प्रान्त में आपकी सरकार बने या प्रदेश में और कुछ हो लेकिन आपसे नैतिकता को बिल्कुल एक तरफ रख रहे हैं। आपने विधायकों को खरीदना आरम्भ कर दिया है। अब दुहाई नैतिकता को देते हैं और कार्य सब अनैतिकता के कर रहे हैं। लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों और विजयी होने वालों को अनैतिकता के तत्वों को बढ़ावा न देना चाहिए। यह आपके लिये स्वयं घातक होगा।

अभी एक साथी ने कहा कि ३० एकड़ नहीं रखा गया। मैं मानता हूं कि तीस कड़ नहीं रखा गया। लेकिन जब तीस एकड़ की बात आई तो हमारी तरफ वालों ने ही कमलापति जी का घेराव कर दिया। मेरे पास कटिंग है अखबार की। अभी मेरे साथी ने कहा कि महाराजा दिनेश सिंह और अजीतसिंह जिनके पास पचास-पचास हजार एकड़ जमीन और फिर आप करते हैं समाज वाद की बात। लेकिन जो बात भी कहें यह जो राज्यपाल का और राष्ट्रपति का भाषण है दोनों को आप देख लीजिये कि इसमें क्या कमी रह गई है। क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं। जो वोट जनता ने आपको दिया उसके लिये आपने उनसे क्या कहा था कि हम इस मुल्क से गरीबी मिटायेंगे, हम बेकारी मिटायेंगे और भूमिहीनों को जमीन दिलायेंगे, हरिजनों को आगे बढ़ायेंगे। तो फिर राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले क्या कहा? आप देखिये—"इस राज्य के सामने समय बहुत सी समस्यायें हैं जिनमें गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, औद्योगिक पिछड़ापन, आर्थिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानतायें व बेरोजगार मुख्य हैं।" अगर राज्यपाल ने या इस सरकार ने यह बात कही है तो यह कैसे गलत हो रही है। अगर राष्ट्रपति इसी बात को अभिभाषण में कहते हैं तो वह बात बिल्कुल सही है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सवाल सिर्फ इस बात का है कि समाजवाद और गरीबी की दोहाई सब देते हैं क्योंकि हिन्दुस्तान में गरीबी है। सब सोचते हैं अगर इसका नाम नहीं लेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे। इसीलिये वोट की प्राप्ति के लिये आपने मुल्क में वही काम किया।

अंग्रेजों ने किस तरह से यहां डेढ़ सौ वर्ष शासन किया। उनकी नीति रही कि डिवाइड एन्ड रूल। वही बात आज इन्डीकेट कांग्रेस कर रही है। हरिजनों से हिन्दुओं को दूर कर रही है। मुसलमानों में अलगाव की भावना भड़का रही है और इसी प्रकार हरिजनों और मुसलमानों के वोटों को बटोरकर आज चाहते हैं इस देश में शासन करना और नाम लेते हैं समाजवाद का। इसलिये समाजवाद का नाम है। आज हमारे साथ राजा महाराजा हैं, धनी व साहूकार हैं, पूंजीपति आपके साथ हैं। वह आज सब आपके पास पहुंच गये हैं। कि हमारी सब सम्पत्ति ठीक रहे। हमारा सब काम ठीक रहे। यह समाजवाद की बड़ी बात करते हैं। मेरा मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन बातों का जिक्र किया है जिनकी हमारे प्रान्त में आवश्यकता है।

राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि प्रान्त इतना पिछड़ क्यों गया ? देखिये, आप हम सब जानते हैं कि जब हम आजाद हुए थे हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी २६० रुपये थी और हिन्दुस्तान की २२२ रुपये थी। लेकिन २३ वर्ष के बाद वह कम हुई। हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी २५१ रुपये है जब कि हिन्दुस्तान की ३२१ रुपये होती है। आपके प्राइम-मिनिस्टर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन हम इतना पीछे क्यों हो गये ? कभी हम सबसे आगे थे। हिन्दुस्तान के एवरेज से आगे थे। हम इतने पिछड़ क्यों गये, इसलिये पिछड़ गये कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केन्द्र में जिस तरह से हमारे साथ न्याय होना चाहिये था, चाहे जनसंख्या के आधार पर हो, चाहे आर्थिक असमानता के आधार पर हो, वह हमारे साथ व्यवहार नहीं हो सका। जब न्यायोचित व्यवहार नहीं हो सका, आप हम सब मानते हैं, हम पिछड़े हुए हैं तो हम सबको वह काम करना चाहिये जिससे केन्द्र ज्यादा से ज्यादा पैसा दे और पिछड़ापन दूर हो। इसलिये यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है इसको तो आपको सर्वसम्मति से पास कर देना चाहिये क्योंकि इसमें वे सब बातें हैं जो समाजवाद के लिये होनी चाहियें। इसमें पिछड़े हुए क्षेत्र की बात कही गयी है कि बुन्देल-खंड और पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग से विकास निगम की व्यवस्था की गयी है। पिछड़ी हुई जातियों के लिये प्रतिशत बढ़ाने की बात बार-बार कही जाती है, वह बढ़ाकर २५ से ४५ प्रतिशत कर दिया गया है। यह जो हमारी सरकार थोड़े समय के लिये रही उसने सवा छः एकड़ का लगान माफ कर दिया। आपको उसका समर्थन करना चाहिये। भूमिहीनों को भूमि बांटी गयी तो कौन सी बुरी बात है ? इसमें विरोध की क्या बात है ? नीति में तो कोई विरोध की बात है नहीं.....

डाक्टर श्याम किशोर—

उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है यह राज्यपाल महोदय का कहना है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि स्वतंत्र पार्टी का इस विषय में क्या विचार है और क्या उन्होंने इसे अपनी सहमति दी है।

श्री इन्द्रमणी—

मेरे साथी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह संविद सरकार है। सबके अपने-अपने विचार हो सकते हैं। मैं अपने विचार से बोल रहा हूं। अगर आप भी उस प्रस्ताव को लाएंगे तो आपका भी हम समर्थन करेंगे।

तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बातें माननीय सदस्य यहां बार-बार कहते आए हैं, वह सब बातें इसमें रखी गयी है। इस सरकार ने जिसके सिर पर हमेशा तलवार लटकती रही है, इस हालत में भी इसने वह काम किया है जो कोई सरकार नहीं कर सकी है। आप चिल्लाते रहे लेकिन इस सरकार ने सवा छः एकड़ का लगान माफ किया। हरिजनों का नौकरी में प्रतिशत बढ़ाया। पुलों के लिए निगम स्थापित किया गया है। आप इसका विरोध करते हैं ? इसलिये करते हैं कि हमारे राज्यपाल ने कहा है। लेकिन जब राष्ट्रपति सही बात कहते हैं अपने अभिभाषण में तो आप उसका समर्थन करते हैं। यह बात समझ में नहीं आती।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि हम सब सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि हम जिस बात को कहते हैं उसको कार्यरूप में परिणत करें। यहां पर पिछड़े हुए क्षेत्रों की बात कही गयी है, लेकिन चौथी प्लान में जो योजनाएं हैं क्या सरकार उसमें उसी ढंग से बंटवारा कर रही है ? सरकार से मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दे।

[श्री इन्द्रमणी]

उत्तराखंड के जिलों की हालत दिन प्रति दिन गिर रही है। आर्थिक विषमता हो रही है। इस देश की सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है। यह हिस्सा तिब्बत से मिलता है। बाराहोत और लीपूलेक दर्रे इसी क्षेत्र में हैं। उत्तराखंड के सब जिले सीमान्त जिले घोषित किये जाने चाहिये। टिहरी-गढ़वाल और उत्तरकाशी एक जिला था, दो हिस्से कर दिए। पौड़ी-गढ़वाल और चमोली एक थे, आपने दो कर दिये। इसी तरह से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ एक जिला था, आपने दो हिस्सों में बांट दिया। वहां पर इसकी बहुत बुरी प्रतिक्रिया हुई है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन सब जिलों को सीमान्त जिले घोषित किया जाय।

समाजवाद की बड़ी भारी बात कही जाती है। मैं समझता हूं कि समाजवाद की परिभाषा किसी ने बतायी नहीं और न कोई बताता है लेकिन एक बात जरूर होनी चाहिये थी समाजवाद की। सरकार की तरफ से हर आदमी को समान अवसर मिलना चाहिये। आज कुछ लोग गरीबों की भलाई के लिये समाजवाद की बात करते हैं लेकिन आज इस मुल्क में शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। तो शिक्षा इस मुल्क में ऐसी होनी चाहिये थी कि चाहे प्राइम-मिनिस्टर का लड़का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का लड़का हो, चाहे चपरासी का लड़का हो, चाहे गांव के किसी गरीब का लड़का हो, सब को एक सी शिक्षा दी जाती और फिर उसके बाद प्रतियोगिता से कुछ आई० ए० एस० में निकलते कुछ पी० सी० एस० में निकलते तब तो मैं मानता कि सही बात है। लेकिन ये लोग अपने लड़कों को दून स्कूल में, सेंट जार्ज स्कूल में और बड़े-बड़े अंग्रेजी स्कूलों में भर्ती करा रखे हैं ताकि उनके लड़के वहां से पास होकर निकलें तो आई० ए०एस० हो जांय।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री इन्द्रमणी---

आपके उस समाजवाद का विरोध कर रहे हैं जिसके लिये आप एक दल छोड़ कर दूसरे दल में चले गये हैं। इस मुल्क में समाजवाद की बात करने से पहले आप एक तरह की शिक्षा प्रणाली कायम करें। एक चपरासी का लड़का एम० ए० पास करता है और दूसरे बड़े आदमी का लड़का दून स्कूल से इन्टरमीडिएट की परीक्षा पास करता है तो क्या उसी को आई० ए० एस० और० पी०सी० एस० होना चाहिये और गरीब के लड़के को नहीं होना चाहिये ? क्या यही समाजवाद है। जो लोग समाजवाद की दुहाई देते हैं, जो गरीबों के लिये समाजवाद की बात करते हैं, हमें सिंडिकेटी और पूंजीपति कहते हैं, तथा जितनी गालियां दे सकते हैं, देते हैं,और दें लेकिन आपकी केन्द्रीय सरकार को इस बात का एलान कर देना चाहिये कि आगे इस देश में प्रत्येक नागरिक को एक सी शिक्षा दी जायगी और तब हम मानेंगे कि आपकी समाजवादी सरकार है।

श्री चेतराम गंगवार---

शिक्षा केन्द्र का विषय है।

श्री इन्द्रमणी---

केन्द्रीय सरकार को इसकी घोषणा करनी चाहिये लेकिन आप यह बात नहीं करना चाहते हैं। आप तो इस मुल्क के गरीबों पर केवल समाजवाद का नारा देकर राज्य करना चाहते हैं लेकिन यह चीज अब अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है। जैसाकि मैंने आंकड़े दिये हैं, आपने अपनी जीत पर बड़ी खुशी मनाई है लेकिन आपको कुल केवल २५ प्रतिशत वोट ही मिले हैं और अगर आज असेम्बली का चुनाव करवा लें तो आप समझ लें कि आपके स्थान सुरक्षित नहीं हैं। आपका ऐसा समाजवाद है कि नये बजट में आपने २४० करोड़ का घाटा दिखला दिया है केन्द्र में। गरीबों की भलाई के लिये आप क्या बजट लाये हैं ? अब तक गरीबों की भलाई के लिये आपने

कोई काम किया है ? तो मेरा निवेदन यह है कि हम सब लोगों को संयम से काम लेना चाहिये और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वे सब चीजें हैं जिनकी इस प्रान्त को आवश्यकता है। इसलिये आपको इस प्रान्त के हित में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को निर्विरोध रूप से पास कर देना चाहिये।

*श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने जो संशोधन रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बडोनी जी ने बार-बार, हर लफ्ज में जो समाजवाद का विरोध किया है, उससे मुझे दुख है और इसलिये दुख है कि वे कांग्रेस के पुराने सेनानी हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं तथा बुजुर्ग भी हैं। उन्होंने अपनी बुजुर्गी में पहाड़ की गरीबी को देखा है और वहां जो गरीब लोग रहते हैं उनके साथ काम किया है और वे समाजवाद का विरोध करें ? यह कांग्रेस हो या वह कांग्रेस हो, दोनों के वे ४ आने के सदस्य रहे हैं। ४ आने या १ रु० की मेम्बरी में लिखा था कि हम एक ऐसे समाज की रचना करेंगे जो वर्गहीन होगी। आज जो इन्डीकेट और सिन्डीकेट बना है वह विचारों का नहीं बल्कि उन प्रस्तावों के आधार पर है जो हरिपुरा कांग्रेस से लेकर आज तक जो कांग्रेस सरकारें बनी हैं और जिन्होंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उसी के विरोध में आज यह समाजवाद का नारा जो हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया है वह दिया गया है। जो अन्य घटक हैं वे तो सदा ही उसका विरोध करते रहे हैं। इन्दिरा जी ने एक ऐसा कदम उठाने की चेष्टा की है ताकि गरीब और अमीरों के बीच की जो बड़ी खाई है वह पट सके, कम हो सके। यह नारा गरीबी को घटाने के लिये है।

आज हम यह देख रहे हैं कि पढ़े लिखे नवजवान, नवयुवक इंजीनियर बेकार हैं। सरकार का फर्ज है कि उनको और उनके लिये रोजी और रोटी की व्यवस्था करे और उनका पूरा सदुपयोग करे। जन संघ के हमारे भाई चले गये हैं। बहराइच में हम यह देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास ३०, ३० एकड़ भूमि है, वहां के बड़े बड़े पूंजीपति हजारों एकड़ भूमि दबाये बैठे हैं। दूसरों का हक दबाये बैठे हैं। हमारे जन संघ के भाई इसका जरूर विरोध करेंगे क्योंकि उनका इससे हित टकराता है। परन्तु हमारी पार्टी इस बात के लिये कटिबद्ध है कि गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है उसको पाटा जाय। वहां पर बड़े बड़े मिलमालिक हैं जो हजारों एकड़ भूमि दबाये बैठे हैं। कमलापति जी के ग्रुप के लोग यह चाहते हैं कि ऐसी धन और धरती का बंटवारा हो। हमारे भूदानी नेता श्री विनोबा जी ने कहा है कि धरती का बंटवारा अगर आज नहीं हो सका है तो वह कल अवश्य होगा। हमारी लड़ाई तो गरीबी और अमीरी के बीच की है और यही हमारा नारा भी है। हमारे प्रदेश की जन संख्या करीब ८ करोड़ है और हम यही चाहते हैं कि अपनी गरीब जनता को खाने, कपड़े, दवा तथा उसके बच्चों को शिक्षा का पूरा पूरा प्रबन्ध करें। हम यह चाहते हैं कि इसकी सुन्दर से सुन्दर व्यवस्था करें। आप यह कहते हैं कि हम जो समाजवाद का नारा दे रहे हैं वह नहीं आयेगा, यह केवल आपकी धारणा मात्र है। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये कुछ ही आदमियों को विदेशों में भेजा था परन्तु फिर वह सारे संसार में छा गया। कुछ दिनों के लिये उसका प्रभाव कम हो गया परन्तु वह फिर उभर कर आया। इसी प्रकार से हमारा भी समाजवाद का नारा है जो नया नारा नहीं है बल्कि यह तो वही पुराना नारा है जो अवाड़ी कांग्रेस में तय किया गया था। आचार्य नरेन्द्र देव जी ने भी यह कहा था कि इसमें कुछ संशोधन कर दो तो हम आपके दल के साथ ही हैं। मतैक्य न होने से ही एस० एस० पी० का निर्माण हुआ। प्रगतिशील लोगों ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगा प्रसाद]

उसी समाजवाद के नारे को फिर से उभारा है। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी आज उसी नारे को लेकर जनता के समक्ष फिर से आई हैं। उनका नारा है कि हम इस देश से गरीबी दूर करें। हमारी यह लड़ाई गरीबों और अमीरों के बीच की लड़ाई है।

उस दिन माननीय वित्त मंत्री जी, श्री कैलाश प्रकाश भाई ने जो कहा उसको सुन कर मुझको दुख हुआ। वह हमारे पुराने साथी हैं। कोई गरीब होता है कोई अमीर लेकिन विचार जो हैं वह हमारे और उनके एक ही होने चाहिए इस मुल्क के गरीबों के लिए। उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी के लोग प्रजातंत्र नहीं अप्रजातांत्रिक तरीके अख्तियार कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में गरीबी है और उसे दूर करने के लिए अभी तक सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं वे अधूरे हैं, नगण्य हैं। एक ही विषय को देखें। हरिजनों को भूमि देने के लिए सन् ५७ से ७१ तक रोजाना हाउस में कहा गया कि हरिजनों को भूमि दी जायगी लेकिन उनको भूमि नहीं मिली। उन्होंने इसमें कहा है कि गत वर्ष भूमिहीनों को भूमि देने के लिए जो अभियान चलाया था उससे अनुमान किया जाता है कि सवा सात लाख से अधिक भूमि भूमिहीनों को वितरित की जा चुकी है जिसमें ८० फीसदी अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोगों को मिली है। यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है और मैं इसको चुनौती देता हूं। आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री को चुनौती देता हूं कि कोई भी जिला ले लें और देखें कि हरिजनों को भूमि मिली है या नहीं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपके पास कितने एकड़ जमीन है।

श्री गंगा प्रसाद—

मेरे पास ढाई बीघा जमीन है। आप तो एक किसान के लड़के होंगे लेकिन मैं एक मजदूर का लड़का हूं। मेरे पिता कानपुर में म्योर मिल में काम करते थे और मैं वहीं पैदा हुआ आप एक अच्छे किसान के लड़के हैं। आप इस तरह से बात करते हैं। आप समाजवाद क्या जानें?

(व्यवधान)

समाजवादी समाज का कोई अंग हो चाहे बूढ़ा हो या लंगड़ा उसको ताकत करेगा। आप जैसे दलाल और धोखेबाज जो कि राजनारायण के साथी हैं इस तरह की बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

आपको क्या मालूम है कि माननीय त्रिपाठी के पास कितने हजार एकड़ का फार्म है।

श्री गंगा प्रसाद—

माननीय त्रिपाठी जी, त्रिभुवन बाबू, कृष्णानन्द राय या गिरधारी लाल जी के पास जमीनें हो सकती हैं लेकिन मेरे पास ढाई एकड़ से ज्यादा नहीं है।

श्री बांकेलाल—

इनकी बीवी के नाम से डेढ़ सौ एकड़ जमीन है और नैनीताल में जमीन की है। यह यहां सब को भ्रम में डाल रहे हैं।

श्री गंगा प्रसाद—

मेरे खानदान, मेरे लड़के और बीवी और रिश्तेदार, ढाई बीघे से ज्यादा जमीन किसी के नाम नहीं है।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि आहिस्ता बोलें।

[× × ×]

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

आज मजदूर भूखों मर रहा है। हमें इस देश में समाजवाद लाना है और इनको रोटी देनी है।

श्री बांकेलाल—

क्या आपने किसी सरकार से कुछ लाभ नहीं उठाया है? आप तो नाराज होकर ऐसे बोल रहे हैं जैसे प्राण निकल जाएंगे।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

श्रीमती इन्दिरा गांधी आयीं और उन्होंने हमको एक रास्ता बताया—समाजवाद का रास्ता। उस रास्ते पर चलने के लिए जब हम तैयार हुए तो ये लोग कहते हैं कि वह गलत है

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

इनकी दशा बड़ी दयनीय है।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

जनता भी जानती है और देश भी जानता है और श्री राज नारायण भी जान गये हैं कि उनके समाजवाद के जरिये नहीं बल्कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के समाजवाद के जरिये इस देश की गरीबी मिटेगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे यह कहना है कि इन २३ सालों में बहुत सी हुकूमतें हो गई हैं और यह कहा गया है कि अब १८ फीसदी से बढ़ा कर ४५ फीसदी सरकारी नौकरियों का रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लिए कर दिया जायेगा। उनको अब आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा। इसमें यह लिखा है कि तीसरी श्रेणी में अल्पकालिक रिक्तियों के लिए उनका रिजर्वेशन ४५ फीसदी कर दिया जायेगा। इतना होने पर भी उनकी प्रगति अपर्याप्त रही है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की मेज पर यह सब रख दिया गया है, माननीय सदस्य उसे दुबारा पढ़ने की कोशिश न करें।

(व्यवधान)

गंगा प्रसाद (गोंडा)—

जब हरिजन बच्चे किसी कमेटी के सामने जाते हैं तो कह दिया जाता है कि वे अनफिट है, इन्हें जानकारी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं और योग्य नहीं हैं। कुनबापरस्ती और भाईचारा बहुत अधिक चल रहा है। और मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं जो कल ही जाने वाली है, कि हमें चाहे १२ प्रतिशत ही दो, मगर जो संरक्षण हमें दिया गया है वह पूरा हो। आज तक हम लोग पिटते रहे, हमारे साथ अत्याचार होते रहे, हम लोग बोले तक नहीं।

(व्यवधान)

श्री रामप्यारे—

श्रीमन्, इनसे कहिये कि जरा धीरे धीरे बोलें, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है।

[× × ×] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

मैं क्या करूं, मेरी आदत है तेज बोलने की। (लाल बत्ती होने पर) अभी तो हमने अपने क्षेत्र के बारे में श्रीमन्, कुछ भी नहीं कहा है, बीच में बार-बार व्यवधान हुआ है, हमें ५ मिनट तो और दीजिये।

अब मैं अपने गोंडा जिले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे गोंडा जिले में सिंचाई के कोई भी साधन नहीं हैं। इस सरकार ने शारदा कैनाल योजना बनायी, जल कुन्डी योजना बनायी, और भी कई योजनाओं को बनाया, मगर हमारे पूर्वी जिलों के लिये सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं किया। हमारा गोंडा जिला वह जिला है जहां पर सिंचाई के साधन बहुत ही कम हैं। मैं अपने कमलापति जी से भी, जिनकी सरकार बनने वाली है, कहूंगा कि वे गोंडा जिले में सिंचाई का उचित प्रबन्ध करायें।

(कई आवाजें—यह चिल्ला क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है)

हमसे कहा गया कि तुम्हारे यहां मिलें देंगे, सड़कें देंगे, सिंचाई के साधन देंगे, मगर कभी कुछ नहीं दिया गया। वहां सड़कों की यह हालत है कि एक भी पक्की सड़क नहीं है। हमारे यहां सड़कों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। उसके लिये भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सौभाग्यवती (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूं कि क्या इस तरह जोर जोर से चिल्लाने से ही समाजवाद आ जायेगा, अगर शान्तिपूर्वक कुछ कहें तो समझ में भी आये कि क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस के पहले सफ पर लोक सभा के चुनाव शान्ति के साथ होने पर खुशी जाहिर की है, मगर मुझे निहायत अफसोस है कि उन्होंने अलीगढ़ में हुये उन वाकयात का जो दिल हिला देने वाले हैं, एक कलंक है, कोई जिक्र नहीं किया। मैं आपको अलीगढ़ में हुये फसाद के बारे में तफसील से बता देना चाहता हूं कि वहां किस तरह लूटा गया, किस तरह जानें जाया हुईं और किस तरह मकानात को आग लगाई गई और वहां किस तरह से आपस के लोगों में घृणा बढ़ाई गई। इसे सुनकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। वहां पर ११ कत्ल हुए हैं, ४८ दुकानें व मकान जलाये गये हैं और बहुत से लोग आज भी लापता हैं, जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि वे अब इस दुनिया में हैं भी या नहीं। इसके अलावा सैकड़ों आदमियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिरके की गिरफ्तारियां ज्यादा हुई हैं। यहां से जाकर १६-३-७१ को असलियत तमाम एम० एल० एज० और मिनिस्टर्स ने देखा है कि जो १३२ आदमी गिरफ्तार हैं, उनमें एक ही तरफ के ज्यादा आदमी हैं, बहुत कम दूसरी तरफ के लोग हैं। जो सरकारी रिपोर्ट में मरे और घायलों की तादाद बताई गई है, मेरी राय में वह बहुत कम है, मेरा अन्दाजा है कि १०० से अधिक आदमी इस तरह के हैं। तमाम आदमियों का नाम कागज पर नहीं है, बहुत से आदमी गुम हैं। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनकी कहीं रिपोर्ट नहीं है।

मुरादाबाद में जहां दंगे हुए और हरियाना की पुलिस आई थी, उसने इतना अत्याचार किया कि हमने जो मऊ, आजमगढ़ के हालात देखे थे, उसके आगे वे दब जाते हैं। पुलिस की बर्बियत कैसी होती है उसका नंगा नाच, पूरा नक्शा हमें वहीं देखने को मिला। उसके बारे में मेरे दोस्त ने एक बात कही है, मैं माननीय सदस्य मुरादाबाद से माफी चाहूंगा कि उन्होंने यह बात कैसे कही। उन्होंने कहा कि वहां पर मुसलमानों द्वारा इस प्रकार के नारे लगाये गये कि

'हम आधी रोटी खायेंगे पाकिस्तान बनाएंगे'। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किसकी ताकत है, किसकी जुर्रत है कि वह हिन्दुस्तान का फिर बंटवारा होने दे या उसके लिए आवाज उठाए। यह देश हमारा है, हम सब मुसलमानों का है, हम इस पर ईमान लाते हैं, हम इस पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, यह हमें हमारे प्राणों से भी ज्यादा अजीज है। हमने इसकी रक्षा और इज्जत के लिए, अपनी जानें दी हैं और माल दिया है। पाकिस्तान की लड़ाई में भी हमने अपना कर्तव्य अंजाम करके नाम पाया है। हम दूसरा पाकिस्तान बनने की बात कैसे कह सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी बात, एक-दो आदमी ही कह सकते हैं, लेकिन कौम के सारे आदमी कह दें, यह कैसे हो सकता है। इस इलेक्शन में समाजवाद की खूब आंधी चली, हमें खुशी है कि इन्दिरा जी का समाजवाद बहुत बढ़ा है। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि इन्दिरा जी का समाजवाद मुरादाबाद के अन्दर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं इन्दिरा जी का कैन्डीडेट वहां जा सका? किसने फिरकापरस्ती बढ़ाई, किसने मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस और जनसंघ को खुल कर साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने की इजाजत दी। क्यों उन पर समाजवादी पार्टी ने अपना चेक नहीं लगाया? इसके अलावा समाजवाद यहीं तक क्यों रहा। क्या समाजवाद तामिलनाडु में नहीं जा सकता था। वहां आपने असेम्बली के लिए एक सीट के लिए भी एलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं की। बंगाल में क्या हुआ? उनकी पार्टी कहती है कि हम बहुत कामयाब हुए हैं। उड़ीसा और बंगाल की असेम्बली में क्या हुआ? यहां तो आपका समाजवाद बहुत ऊंचा हो गया। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं।

'तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि काफिले क्यों लुटे;
तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे राहजन से गरज नहीं॥

आज समजवाद की दुहाई दी जा रही है। यह समाजवाद किस तरह से आया। मैं कपूर होटल में ले जाया गया था जहां एक कपूर साहब भी थे। मुझे एक गैर सियासी साहब वहां ले गये थे जो मेरे दोस्त थे लेकिन वह यह नहीं समझते थे कि इस तरह के लालच के समाजवाद को मैं मानने वाला नहीं हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह दल बदल कर समाजवाद नहीं लेना चाहता। हम तो समाजवाद अपने हाथों से तथा अपनी मेहनत से लाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने उनका समाजवाद पसन्द नहीं किया चुनांचे वहां से चला आया जिस समाजवाद को कि मेरे दोस्त कबूल कर के उधर बैठे हुए हैं।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)

कपूर होटल आप क्यों गये थे?

श्री शफीक अहमद खां—

मुझे माननीय सदस्य बरेली माफ करेंगे। मेरे एक गैर-सियासी दोस्त मुझे वहां ले गये थे, चाय पिलाने। मैं उनके साथ चला गया। मैंने मना नहीं किया। अब वहां जो समाजवाद आया है उसकी बात जरा सुन लें। जिस दफ्तर में मैं जाता हूं, जो चपरासी व क्लर्क हैं वह हमको दल बदलने की वजह से अजीब निगाह से देख रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यह कौन सा समाजवाद आ रहा है। मैं इस सिलसिले में एक शेर पढ़े देता हूं—

कभी शाख व सब्जो बर्ग पर कभी गुंचो वो गुलो खार पर,
मैं चमन में चाहे जहां रहूं मेरा हक है फसले बहार पर।

श्री प्यारेलाल—

आप समाजवाद की व्याख्या जानते हैं?

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना—

कपूर होटल वाले समाजवाद की व्याख्या आप ही जानते हैं। वहां लालच देकर फिर इंडिकेट में लाना यह समाजवाद है आपका?

श्री प्यारेलाल—

कपूर होटल में हम नहीं बुलाते, आप ही बुलाते होंगे।

श्री शफीक अहमद खां—

आप परेशान न हों। मैं एक शेर आपको और सुनाता हूं—

दिल से जिन्हें खुलूस नहीं बागवां के साथ लट जायेंगे वह अहले चमन गुलिस्ता के साथ,
कुछ राहजन शरीक हैं रहबर के भेष में जब हाल यह है कौन चले कारवां के साथ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में जो हमारी सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें वास्ता थीं वह सब कुछ कहा है। हमें उम्मीद है कि अगर हमारी सरकार रही उस पर अमलदरामद कर के जनता तक वाकई समाजवाद पहुंचा देगी।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में आप से अर्ज करूंगा। मेरे यहां दो दुश्वारियां हैं। पहली दुश्वारी यह है कि वहां पर जानवरों की चोरी बहुत होती है, मेरा जिला बरेली और नैनीताल इससे बहुत मुतास्सिर है। आप ताज्जुब करेंगे अगर मैं दो तीन साल के जानवरों की चोरियों के बारे में बताऊं और जो नुक्सान हुआ है। तीन चार साल के अन्दर चार पांच गांवों में एक डेढ़ लाख रुपये के जानवर खोल लिये गये हैं। रिपोर्ट लिखाई जाती है लेकिन जानवर खोलने वाले गिरोह मिलते नहीं। पुलिस ने पहले के मुकाबले में कुछ काबू पाया है लेकिन पूरा काबू न पा सकी है। इससे किसान बेहद परेशान हैं। न वह हल वाले जानवर पाल सकते हैं और न दूध वाले जानवर पाल सकते हैं। मेरा सुझाव है कि बरेली और नैनीताल जिलों में पुलिस की एक खास टुकड़ी कायम की जाय, उसका खास काम यह हो कि वह जानवरों की चोरी के मामलों की तफतीश करे और मुकदमे चलाये। जिन गांवों में जानवर चोरी से खुलते हैं, उसकी शिनाख्त की कार्यवाही इतनी लम्बी है, तीस तीस मील पर कचहरी है। लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते। कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाय कि उस की शिनाख्त तहसीलदार के यहां कर ली जाय। इससे बहुत लाभ पहुंचेगा।

मेरे यहां गन्ने की बड़ी समस्या है। आप ताज्जुब करेंगे कि पिछले साल मेरा मिल २२ जुलाई को बन्द हुआ। सात लाख क्विंटल गन्ना, उन्हीं का लगाया हुआ यह हिसाब है, किसानों का पेरने से रह गया। गन्ना सात रुपये कुछ आने क्विंटल बिकता है। ५०–६० लाख रुपये का नुक्सान पहुंच गया। जो गन्ना पिछले साल रह गया था उसको इस साल लिया है। मेरी और मेरी सरकार की कोशिशों से उन्होंने तीन रुपये क्विंटल ऐडवांस भी दिया। फिर भी किसानों को बहुत नुक्सान पहुंचा। इस साल भी समस्या बहुत गम्भीर है। उसका हल भी निहायत जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि मेरे यहां एक गिरधरपुर का पुल था। वह बनना बहुत जरूरी है। वह एक लाख आदमियों के यातायात के लिये है। वह ७०–७५ साल पुराना पुल है। पहले तो सरकार को यह पता नहीं चल सका था कि यह किसने बनवाया, बहरहाल यह मालूम हो गया कि यह पुल जिला परिषद् का बनाया हुआ है। यह पुल निहायत जरूरी है। उसको जरूर बनना चाहिये। एक और निहायत जरूरी बात है। कहा जा रहा है कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको दी जा रही हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर आज तक भूमिहीनों को जमीनें तकसीम नहीं हुई। अब उसके कारण क्या हैं यह सरकार पता लगाये। मेरी तहसील के दो ग्राम संग्रामपुर व धर्मपुरा हैं। लेकिन वहां पर जो संगीन कारण हैं वह यह है कि वहां पर ५०–६० एकड़ जमीन देने के गलत आर्डर कर दिये गये हैं और उसके ऊपर इन्क्वायरी चल रही है।

वह मामला चल रहा है और अभी तक वह पूरा नहीं हो पाया है। जल्दी ही उस पर फैसला किया जाय।

(व्यवधान)

अन्त में एक शेर प्रस्तुत कह रहा हूं—

इतनी न बढ़ा पाकिये दामा की हिकायत,
दामन को जरा देख, जरा बन्देकबा देख।।

मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं और वह यह है कि यहां पर जो बार-बार कपूर होटल की बात चल रही है वह एक गम्भीर बात है। इससे अच्छा तो यह होगा कि कपूर होटल को नेशनलाइज कर दिया जाय ताकि सभी को कुछ मिल जाय.....

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी व्यवस्था तो हम नहीं करेंगे लेकिन आज साढ़े पांच बजे हम आपको निमंत्रण देते हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के भाषण पर सदन में बोलने का मौका दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बहस के दौरान मैंने यह देखा कि प्रदेश की प्रगति और व्यवस्था के बारे में बहस तो कम हुई किन्तु चुनाव में किसी भी प्रकार से जो लोग पराजित हुये हैं और जिनको जनता ने तिरष्कृत किया है उन्होंने बौखलाहट निकालने का प्रयास किया है। मैंने तो यह देखा है, यद्यपि मैं एक ऐसे क्षेत्र का हूं जिसके प्रति हमेशा शौतेलेपन का व्यवहार किया जाता रहा है वह यह बुन्देलखंड, प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सब से अधिक पिछड़ा क्षेत्र यही बुन्देलखण्ड है जिस पर कि प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी मगरमच्छ के आंसू बहाये हैं और इस क्षेत्र के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है किन्तु जब राज्यपाल महोदय का भाषण यहां देखने को मिला तो यही सुना गया कि केन्द्र की जिम्मेदारी है और वे उसकी दुहाई दे रहे हैं। यह भी कहा गया है कि उसके लिये एक निगम स्थापित करने के बारे में भी विचार हो रहा है किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि कब तक इस तरह के झूठे वायदों से बहलाने का प्रयास किया जायेगा। आज तक किसी ने भी इस पिछड़े भू-भाग बुन्देलखंड के लिये सहानुभूतिपूर्ण रुख नहीं अपनाया। आज तक वह क्षेत्र हर तरह से पिछड़ा हुआ है। वर्तमान मंत्रि-मंडल की ओर से भी इस पिछड़े क्षेत्र के उद्धार और उत्थान के लिये दुहाई दी गई किन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह से उस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है। सिंचाई की ओर आप देख लीजिये। हमारे माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के जमाने में जब उन्होंने इस क्षेत्र का भ्रमण किया था उस समय उन्होंने बांदा जिले में एक योजना ओरा, चिल्ली और लखनपुर के लिये बनाई थी किन्तु इस चौखटी सरकार ने उसे भी रोक दिया। इस प्रकार के आंसू बहाने और नाटक रचने से वहां के लोगों को संतोष नहीं हो सकता है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की कथनी करनी का ही यह फल है कि आज देश और प्रदेश की जनता ने इस चौखटी संविद को तिरष्कृत किया है, जगह-जगह पर उनको पराजित होना पड़ा है तथा मुंह की खानी पड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के बारे में यहां पर उनके द्वारा जो अनेक प्रकार की कल्पनायें सदन के सामने रखी गई हैं कोई कहता है कि मत पत्रों में जादू किया गया, कोई कहता है कि मत पेटिकाओं में जादू किया गया किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि

[श्री गे स्वामी राधाकृष्ण---]

उनके दिलों से पूछिये कि उनके दलों के उन बूथों में एजेन्ट तक नहीं थे और प्रदेश के शासनधारियों ने जनता को कितनी धमकियां दीं और किस-किस प्रकार का लालच नेता को दिया गया। आज समाजवाद की अनेक परिभाषाएं की जाती हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं की जाती हैं तो इस समय तुलसीदास जी की वह चौपाई याद आती है---"जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।" समाजवाद का अर्थ जनता ने सही रूप में लिया है, सही रूप में परखा है। आजादी के पहले एक तत्व ऐसा था जो इस आजादी के नारे को, अंग्रेज के संघर्ष के नारे को कुछ सरफिरों की बौखलाहट कहा करता था, उस पर विश्वास नहीं करता था। आज वही रूप-रेखा इस समय भी है। हमारे कुछ तत्व हैं जो इस तरह से बौखलाये हुये हैं, जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आंख खुल जायगी। जनता ने समाजवाद को मान्यता दे दी है, आज चौखटा बिलकुल धराशायी हो गया है, जनता का उस पर से बिलकुल विश्वास उठ गया है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि आज वर्तमान सरकार पिछड़े क्षेत्रों के लिए कुछ शब्दों से सहानुभूति प्रकट करती है।

आज पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों को जो पी० डब्लू० डी० की हैं उनको ही देखिये। मंत्री महोदय ने पिछली बार बांदा में कुछ सड़कों की स्वीकृति दी लेकिन कुछ उन पर काम नहीं चला और नये अनुपूरक बजट में नयी-नयी सड़कें ले लीं। मंत्री जी ने अपनी बांदा यात्रा में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम इनको बनायेंगे और बजट में भी उनकी रूपरेखा दी थी लेकिन अनुपूरक बजट में उनको खत्म करके नयी-नयी सड़कें ले लीं जिनसे कि ये तोड़-फोड़ और प्रलोभन करने की नीति जो उनकी है उसका पुष्टिकरण होता है। बांदा में केन का पुल ऐसा है जिसकी बहुत आवश्यकता है। बरसात के दिनों में केन नदी इतनी बढ़ती है कि तमाम आवागमन के रास्ते बंद हो जाते हैं और बांदा ऐसा घिर जाता है कि वहां के निवासियों का जन-जीवन दुर्लभ हो जाता है, लेकिन फिर भी वायदा करने के बाद भी वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है।

जहांतक बुन्देलखंड में बांदा जनपद की चिकित्सा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा उन्हें खुली चुनौती दूंगा कि वह देखें कि वहां अस्पताल उजड़ी हुई सरांय के रूप में है। न वहां डाक्टर हैं, न दवाइयां, न कोई व्यवस्था है। महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और यह कहना कि लाटरी के लाखों रुपये से कहीं व्यवस्था होती है तो उसको देखें कि शहरों के बड़े-बड़े अस्पताल जहां बड़े-बड़े लोग उनसे लाभ उठाते हैं उन्हीं के लिये व्यय किया जाता है और उन पिछड़े क्षेत्रों की ओर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी वर्तमान सरकार उस क्षेत्र की जनता को इस प्रदेश का अंग ही नहीं मानती, बुन्देलखंड के पिछड़े क्षेत्रों को अंग ही नहीं मानती। अगर यही भावना रही तब यह सरकार तो जा रही है, मैं आने वाली सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस को ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है और करेगी वह दिन दूर नहीं कि बुन्देलखंड अपने इनकलाब को फिर याद करेगा और अपनी आवाज बुलन्द करेगा चाहे उसे कैसा ही संघर्ष क्यों न करना पड़े।

आज अनेक प्रकार की इन चुनावों के सिलसिले में दुहाई दी जाती है। मत-पत्रों के बारे में अनेक प्रकार की कल्पनाएं की जाती हैं। लेकिन मान्यवर, मैं यह पूछता हूं कि क्या ग्वालियर में कोई दूसरे मत-पत्र थे या रीवां में दूसरे थे या जो मत-पत्र शेष बचते हैं उन पर भी निशान उभर गये होंगे, उन को क्यों नहीं देखना चाहते हैं। यह ऐसा प्रश्न है कि प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले प्रजातंत्र की मखौल उड़ा रहे हैं और जनता के विश्वास के मन्दिर पर बैठ कर उसके खिलाफ खुली चुनौती देते हैं, यद्यपि जनता उसका उनको बदला देती है। आज यह संविद जो अपवित्र गठबन्धन है, उसमें अपने को कांग्रेस कहने वाले जो कांग्रेस संगठन से संबंधित हैं अपने को गांधीवादी कहते हैं उन्होंने आज गांधी के हत्यारों से गठबन्धन कर लिया है। उन पार्टियों से गठबन्धन कर लिया है जो हमारे पूज्य राष्ट्रपिता की हत्या में शरीक थे और गांधीवाद की दुहाई देते हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मैं आप के माध्यम से माननीय मित्र से पूछना चाहता था कि आपन फरमाया कि गांधी के हत्यारे से गठबन्धन करते हैं। तो इन घटकों में से कौन सा घटक गांधी का हत्यारा है जरा उसका नाम दे दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह तो आपको ही विदित होना चाहिए।

डाक्टर श्याम किशोर—

यह उन्होंने प्रवृत्तियों के विषय में कहा है, कोई पार्टीज के विषय में नहीं कहा है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, भारतीय संस्कृति के अनुसार हम कहां तक काम करते हैं यह देखने की बात है। आज जिस क्षेत्र में आवश्यकता है उस को न देख कर जिस पार्टी का शासन है वह अपने क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन हमारे देश की यह संस्कृति रही है कि जहां आवश्यकता होती है वहां कार्य किया जाता है।

आज मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आजकल जो शासन में हैं वे केवल झूंठे आश्वासन देना चाहते हैं। उनका पर्दाफाश हो गया है और उसको बुन्देलखंड की जनता ने देख लिया है और वह समझ गई है कि इस प्रदेश की सरकार से कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। वे अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज पूरे प्रदेश में ला ऐण्ड आर्डर की जो व्यवस्था है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज नित्य डकैती, कत्ल और चोरियां बढ़ रही हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है।

कपूर होटल का नाम बराबर लिया जा रहा है। कौन जाता है, क्यों जाता है, कौन बुलाता है? वह तो एक ठहरने का स्थान है। जो लोग वहां ठहरते हैं उनसे मिलने लोग जाते हैं और अपनी बात करते हैं। कोई जबर्दस्ती उनको नहीं ले जाता है। वह राजनीतिक स्थान है। लोग अपनी तबीयत से वहां जाते हैं। आज बदलती हुई राजनीति में लोग अपने भविष्य को देखते हैं, देश की परिस्थिति को देखते हैं। अपवित्र गठबंधन में ज्यादा दिनों तक लोगों को भुलावे में नहीं रखा जा सकता है। आज वर्तमान सरकार अल्प मत में होती चली जा रही है। जो विवेकवान हैं, जो विचारवान हैं, वे अपने भविष्य को देखते हुये तथा देश के भविष्य को देखते हुये लोग चले जाते हैं। यह क्रान्तिकारी कदम कोई रोक नहीं सकता है।

आज सरकार में जो हो रहा है उसको आप देखें कि ग्रांटों का बंटवारा मनमाने ढंग से हो रहा है। जिनको ग्रांट मिलनी चाहिये उन को नहीं मिल रही है और जिनको नहीं मिलनी चाहिये उन को मिल रही है। आज कौन कहता है जो लोग शक्ति में हैं वे भी घूम-घूम कर लोगों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। दूसरों के ऊपर लांछन लगाते हैं और अपनी करनी नहीं देखते हैं।

यह जो चुनाव हुये हैं इन्होंने लोगों की आंखें खोल दी हैं। यह समझने की बात है। इस पर भी न समझें तो किस को दोष दिया जाय। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बड़ी जल्दी में तैयार किया गया है। इसमें सरकार की नीतियों में खोखलापन दिखाई देता है। इसमें प्रगति के नाम पर कुछ भी नहीं है। यह अभिभाषण तो केवल परम्परा का निर्वाह किया गया है। इस सरकार की कोई नीति दिखाई नहीं देती है। यह सरकार तो जाने वाली

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

है। फिर भी अभिभाषण करना पड़ेगा और उस को पास भी करना पड़ेगा। असली रूप तो सामने आयेगा आगे चल कर।

मैं इतना ही कहूंगा कि वर्तमान सरकार पिछड़े क्षेत्र की अवहेलना कर रही है। इसको तो फल मिल गया है। लेकिन मैं आने वाली सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों को ऊपर उठाने के लिये हमें भरसक प्रयत्न करने पड़ेंगे। पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान से ही प्रदेश का उत्थान हो सकता है। पिछड़े क्षेत्र एक दिन आन्दोलन करेंगे और प्रदेश की शान्ति भंग करेंगे। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। आज बुन्देलखंड का पिछड़ा क्षेत्र एक समस्या बना हुआ है। आज अभावों से घिरा हुआ वह क्षेत्र तरह तरह से ठोकरें खाता है। ग्रीष्म ऋतु आ गई है। आगे चल कर जो भी सरकार आयेगी उसे वहां पीने के पानी के लिये लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार को यह होश तभी आता है जब गरमी के दिन आते हैं। उसके पहले कभी भी एक स्थायी योजना बनाने का प्रयास सरकार नहीं करती है ताकि वहां पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिये दूर हो सके। आज वहां के उपजाऊ खेत बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं। जहां सिंचाई के थोड़े बहुत साधन हो गये हैं वहां के लोग इतने खुशहाल हैं कि दूसरे क्षेत्र को देख कर ईर्षा होती है। इसलिये वर्तमान सरकार अपनी गलती को माने और पश्चाताप करे और उन पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष रूप से काम करने का प्रयास करे, चाहे चिकित्सा का प्रश्न हो, चाहे सिंचाई का प्रश्न हो, चाहे आवागमन का प्रश्न हो।

इन शब्दों के साथ मैं श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक श्री दल सिंगार यादव द्वारा जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, मेहनाजपुर, जिला आजमगढ़ के प्रधानाचार्य की हत्या करने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में वह अल्पसूचित प्रश्न कर लें। यह अस्वीकृत हुआ।

दूसरा श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह का है राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशें लागू न करने तथा कर्मचारियों की गिरफ्तारी करने के सम्बन्ध में। इसको श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान उठा सकते हैं।

तीसरा है माननीय शिव कुमार मिश्र का, शाहजहांपुर चौक कोतवाली के थानेदार द्वारा चन्द्रपाल सिंह को पीटने तथा तत्पश्चात उसकी मृत्यु होने के सम्बन्ध में। इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें, जवाब दिला दिया जायगा।

चौथा सर्वश्री प्यारेलाल, नगीना सिंह तथा नैपाल सिंह का, राजपुर थाना इन्टर कालेज, पिलखवा, जिला मेरठ के अध्यापकों द्वारा अनशन करने के सम्बन्ध में। इस सवाल को भी श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान उठा सकते हैं।

ये सभी दफा ५१ की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री रियासत हुसैन—

श्री सुखपाल पांडेय और रामकरन जी के बारे में जो आपने फरमाया तो आप उन्हें बोलने की आज्ञा भी तो देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

जरूर दूंगा। लेकिन आज तो वे हैं नहीं।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में मुझको बोलने का अवसर दिया। पुराणों में लिखी एक कहावत है:

विभुक्षतः किम् न करोति पापं,
क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति।

मान्यवर, भूख तो ऐसी चीज है जिसने कि महाराणा प्रताप ऐसे वृढ़ प्रतिज्ञ देशभक्त के धैर्य को भी समाप्त कर दिया और उन्होंने क्षण भर के लिये राष्ट्रीय हित का चिन्तन छोड़ कर सन्धि-पत्र पर लिखना प्रारम्भ कर दिया था। उस भूख का नंगा नाच हमारे बहराइच जिले में दृष्टिगोचर होता रहता है और बगल में ही बड़े-बड़े कृषक जो गलत तरीके से भूमि को हड़पे बैठे हैं, वे उसका उपभोग करते रहते हैं। इसी सदन में मैंने दो, तीन बार आवाज उठाई लेकिन आजतक कोई सुनवाई नहीं हुई और गरीब किसान पट्टा लिये घूम रहा है लेकिन उसकी जमीन निकाली नहीं जाती है, वह उस बड़े कृषक के यहां बेगार करता है और उसका असंतोष बढ़ता रहता है। सरकारें बदलती रहती हैं, आती और जाती रहती हैं और सरकारी प्रशासन के कान में बराबर आवाजें पहुंचाई जाती हैं। मगर उसका आज तक कोई निराकरण नहीं है। लाखों एकड़ जमीन बहराइच जिले में सीलिंग से निकाली गई मगर शासन की कमजोरी के कारण या अधिकारियों की कमजोरी के कारण वह गरीबों को नहीं दी जा सकी है, इसकी वजह से बहुत असन्तोष वहां पर बढ़ता चला जाता है। वह जमीन, जो सीलिंग से वहां पर निकाली गई वह उन्हीं लोगों के कब्जे में है और वही किसी प्रकार से उसको जोतते हैं। उन्होंने गलत पट्टे उनके करा लिये हैं और वही उस को जोतते हैं। गरीब मजदूर देखता रहता है जिसके कारण वहां पर असन्तोष बढ़ रहा है नानपारा तहसील में ऐसा बहुत हुआ है जिसके कारण पूरे प्रदेश में असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है।

हमारा शासन और हमारी पुलिस अकर्मण्य हो गई है और उसका कोई निराकरण नहीं कर पा रही है। इसके लिये एक बार गंगाराम जी ने यहां पर बताई कि बहराइच जिले में बड़े-बड़े फार्मर गलत तरीके से जमीन जोत रहे हैं। मैं कहता हूं कि वे जितने लोग आज वहां पर गलत तरीके से जमीन जोत रहे हैं वे सब आज इंडिकेट का समर्थन कर रहे हैं। वहां का कोई फार्मर आज दूसरी पार्टी में नहीं है। वह आज वहां पर हजारों एकड़ जमीन जोत रहे हैं। वह सब तरह से रुपये से, पैसे से, दबाव से इंडिकेट का ही समर्थन कर रहे हैं। लोगों को दबाव देकर और डंडे के जोर से वोट दिलवाते हैं। गंगाराम जी इस बात को जानते होंगे कि इस प्रकार से वहां हो रहा है। मैं भी यह निवेदन करूंगा कि वहां के लिये एक जांच आयोग बिठाया जाय जो वहां गांव-गांव में जाकर बड़े-बड़े कृषकों से जाकर उनके पट्टे की जांच करें और देखें कि किस प्रकार से उनके पास इतनी भूमि जमा हो गई है। वहां वह भूमिहीनों को बुला कर पूछे कि किस तरह से उनके पास जमीन पहुंची और उनको किस तरह से नहीं मिल पाई। जो जमीन वहां से निकले उसकी भूमिहीनों में बांट दी जाय चाहे वह हरिजन हो या और दूसरे वर्ग का हो। इसकी जांच किसी तहसील हेड क्वार्टर पर बैठ कर नहीं हो सकती है। यह तो गांव-गांव में जाकर ही हो सकता है। इसके लिये कोई अतिरिक्त एस० डी० एम० नियुक्त किया जाय और जो हर गांव में जाकर पता लगाये, सारी जमीन की पैमायश करे और भूमिहीनों से मिलकर बात करे तभी इन सब बातों का पता लग सकता है कि कौन गलत तरीके से जोतता है। इस गलत तरीके से जोतने के कारण वहां पर असन्तोष बढ़ता जा रहा है जो कभी भी विस्फोटक का रूप धारण कर सकता है। यहां से एक बोर्ड आफ रेवेन्यू के अधिकारी वहां गये थे। उन्होंने भी

[श्री पारसनाथ सिंह]

इस बात का पता लगाया है तो उनको भी यह मालूम है। इसलिये सब का यह निश्चित मत है कि इससे बहुत असन्तोष व्याप्त होता जाता है और यह और बढ़ेगा यदि इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसका एकमात्र निराकरण तभी हो सकता है जब वहां पर ठीक रूप से जमीन का बटवारा या वितरण किया जाय। अगर इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और ज़मीन का बटवारा नहीं किया जायगा तो यहां पर समाजवाद की स्थापना नहीं होगी।

वह हमारा इलाका ऐसा है जो नेपाल राज्य से लगा हुआ है। नो मैन्स लैंड का वह किनारा पड़ता है। अगर वहां पर लौकाही और पुरैना के बीच से बलइ गांव होते हुये नो मैन्स लैण्ड के किनारे एक सड़क बना दी जाय और उसको सुरक्षित रखा जाय, वहां पर वायरलेस स्टेशन बनाया जाय, पुलिस स्टेशन बनाया जाय, टेलीफोन से उसको सम्बन्धित किया जाय तो उससे देश का बहुत लाभ होगा। नहीं तो वहां पर किसी दिन ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है जो हमारी सरकार के सम्भाले सम्भल नहीं सकती है। वहां उस जंगल के किनारे उस नो मैन्स लैण्ड के पास एक थारू जाति रहती है जो हमारे देश के नागरिक हैं लेकिन हमारे अधिकारी उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वह हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। बहराइच जिले के अधिकारी इस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। इससे उनके अन्दर बड़ा भारी असन्तोष व्याप्त है। इसी वजह से वे अपने को अलग समझते हैं। वे बेचारे अशिक्षित हैं। उनके अन्दर जागरूकता लाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वह अंग्रेजो जमाने से वहां पर जमीन जोतते चले आते हैं मगर उनके नाम का इन्दराज कागजों में नहीं हो पाया है। उनकी सारी जमीन बड़े-बड़े पड़ोस के लोगों ने हज्म कर ली है। गलत तरीके से इन्दराज कराकर जमीन पर अपना कब्जा दिखा दिया गया है, जिससे वे लोग बहुत परेशान हैं और वे उत्तर प्रदेश को छोड़ने के लिये बाध्य हो रहे हैं कि वह अब हमारे प्रदेश तक को छोड़ने को तैयार हैं और मजबूर हैं, वह कह रहे हैं कि हम अब नैपाल भाग जाना चाहते हैं, हमारा यहां कोई नहीं है। हमने उनके विषय में जिला अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन कोई जांच नहीं की गई। अगर सही तरीके से देखा जाय तो कागजात के इन्दराज से, उसको देखने से उनके साथ सही न्याय नहीं होगा वह बड़े सच्चे सीधे लोग हैं, वह ईमानदार लोग हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। उनकी बात पर विश्वास करके उनको जंगल वालों से जमीन दिलाई जाय और जो उनकी जमीन बड़े कृषकों ने हड़प रखी है उनसे उनको खाली करा के दिलाई जाय। अगर आप वाकई थारुओं के साथ हमदर्दी और सहानुभूति रखते हैं तो आप उनकी इस तरह से सहायता कीजिये।

भ्रष्टाचर के सम्बन्ध में बारबार हर तरह की बातें सदन में उठती हैं। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि यहीं के सदस्य रुपया लेकर अगर दल बदलते हैं और दूसरे दल में शामिल होते हैं तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? अपने विरोधी पक्ष के लोगों को और अधिकारियों को वह लोग भ्रष्ट बताते हैं लेकिन हमारा जो समाज है उसी में से हमारे अधिकारी निकलते हैं, उसी में से नेता निकलते हैं और आज जब अधिकारी भी भ्रष्ट हैं और नेता भी भ्रष्ट हैं तो देश और प्रदेश कहां जायगा? अधिकारी तो किसी एक जगह पर यदि भ्रष्टाचार करता है तो वह वहां से कुछ दिन बाद स्थानान्तरित होकर चला जाता है लेकिन नेतागण तो उसी स्थान से चुनकर आते हैं और वहीं पर फिर कुछ दिन बाद वोट मांगने जाते हैं। जब वही यह आदर्श उपस्थित करते हैं तो वह कैसे अपना पेट पैसे से भरते हैं और दल बदलते हैं। अगर भविष्य के लिये और अपने बच्चों के सामने यही आदर्श वह रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे हमारा भविष्य कैसा होगा। आपने देखा कि समाजवाद का नारा लगा और नारा लगते ही शकर के दाम ३० रुपया बोरा बढ़ गये, मोटे कपड़े तक के दाम बढ़ गये, यह कौन सा समाजवाद है? दवाओं के दाम बढ़ जायं गरीबों के इस्तेमाल के मोटे कपड़े के दाम बढ़ जायं, यह कौन सा समाजवाद आप का है? नेतागण तो मुफ्त दवायें पा जाते हैं लेकिन गरीब बढ़े हुये यह दवाओं के दाम कहां से दे सकेगा? रिक्शावाला गरीब तो दवा भी नहीं खरीद सकता। आज गरीब किसान का गल्ला तो सस्ता बिक रहा है और मजदूरों के लिये महंगाई बढ़ रही है। अभी तो बजट भी केन्द्र का नहीं आया है फिर भी समाजवाद के नाम पर सारी चीजें महंगी की जा

रही हैं। इसका कारण यह है कि आप के पास किसानों की गरीबी दूर करने की कोई निश्चित योजना नहीं है और इस तरह से केवल नारों से ही समाजवाद की स्थापना सम्भव नहीं है।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में और तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही हैं लेकिन आज तक किसी भी शासन ने कोई ऐसी नीति निर्धारित नहीं की थी जो इसमें की गई है। जो छोटे-छोटे राज्य कर्मचारी हैं, जिला परिषदों का जो मिनिस्टीरियल स्टाफ है उनके लिये अभी तक कोई आयोग नहीं गठित किया गया था। इसमें जो विभाग सदा ही अवहेलित रहे थे, वे भी शामिल किये गये हैं। जिन के बारे में आज तक शासन के कान तक आवाज नहीं पहुंची थी उनके बारे में यह आयोग विचार करेगा। नये स्केल आफ पे और केन्द्र के महंगाई भत्ते को ध्यान में रख कर आयोग विचार करेगा कि इन कर्मचारियों के वेतन मान कैसे रखे जायं। जिला परिषदों में कुछ स्टाफ ऐसा है कि वह न पंचायत राज से न जिला परिषदों से गवर्न होता है, छोटे कर्मचारी हैं वह पता नहीं किन रूल्स से गवर्न होते हैं, उनका वेतन भी बहुत ही कम है। उनकी तरफ कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय और न्याय किया जाय।

हमारे क्षेत्र में कुछ नो मेन्स लैण्ड है, उसके किनारे-किनारे सड़क बनाना चाहिये। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, पूरी तहसील नानपारा में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। नोटिफाइड एरिया, नानपारा में जिला परिषद् की डिस्पेंसरी रन कर रही है, वह प्रांविंशियल डिस्पेंसरी होना चाहिए ओर मोतीपुर में जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं एक कम्बाइण्ड अस्पताल बनना चाहिए। पब्लिक कन्ट्रीव्युशन से मै ३ लाख रुपया जमा करने को तैयार हूं। ये दो चीजें बहुत ही आवश्यक हैं।

दूसरे कतरनिया घाट पर सारदा सहायक योजना में एक बैरेज बन रहा है। इसका डिजाइन ऐसा कर दिया जाय जिसमें दोनों स्टेशन कौड़ियाला घाट और कतरनिया घाट मिल सके। वहां पर रेलवे ट्रेक बिछा दिया जाय। इसमें कोई अधिक खर्चा भी नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी करके तुरन्त कार्यवाही की जाय ताकि प्रदेश के नक्शे में बिहार् बहराइच जिले के भी लोग जान सकें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मौका दिया। मान्यवर, मैं जिस जिले से चुनकर आया हूं, उसकी ओर आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आर्काषत करना चाहता हूं। मैं ऐसे जिले से चुन कर आया हूं, ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जो घाघरा नदी के कटाव से एक छोर से दूसरी छोर तक प्रभावित रहता है। वहां पर सैकड़ों गांव प्रति वर्ष घाघरा नदी की गोद में समा जाते हैं। मेरे क्षेत्र में ६७० गांव हैं, जिनमें से ४०० गांव घाघरा के कटाव से और दैवी प्रकोप से हमेशा पीड़ित रहते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, माननीय वीरेन्द्र वर्मा को इस भाग को दिखाने ले गया था। उन्होंने जाकर किसानों की समस्या को देखा। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि यहां पर ठोकर लगाने के लिए, सर्वे कराने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, दुर्भाग्य की बात है कि वह २ विभागों के चक्कर में पड़ गया। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस पिछड़े हुए क्षेत्र में, जहां पर लाखों एकड़ जमीन, सैकड़ों गांव, प्रति वर्ष, घाघरा की गोद में चले जाते हैं और दैवी प्रकोप से पीड़ित रहते हैं और सरकार को वहां के किसानों और निवासियों को बसाने के लिए और उनके मकानों के लिए, नाना प्रकार की सहायता देनी पड़ती है जो बिल्कुल शून्य सी रहती है और वे पीड़ित ही रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार वहां पर पत्थर की ठोकर का निर्माण करे जिससे अमोय, रानीपुर, दुवालिया बाजार आदि की रक्षा हो सके।

मैं उत्तर प्रदेश के २२ लाख किसानों के परिवार की ओर सरकार का ध्यान आर्काषत करना चाहता हूं। सन् १९६९–७०, १९७०–७१ के गन्ने का दाम किसानों को आज तक नहीं दिया

[श्री सुखपाल पांडेय]

गया। लगभग ३२ करोड़ ७६ लाख रुपये गन्ने का दाम २८ फरवरी तक बाकी रहा और उसके बाद २८ फरवरी से २६ मार्च, तक गन्ने का दाम बकाया पड़ा हुआ है। पर्चेज टैक्स मिल मालिकों पर ७,६० लाख रुपये बकाया है। उस बकाया गन्ने के दाम सरकार को वसूल करने के लिये साधन नहीं है। अगर किसी किसान पर पांच रुपये भी बकाया हों तो सरकार की तरफ से हर प्रकार की वसूली की कार्यवाही, कुर्की या वारन्ट जारी करके पैसा वसूल कर लिया जाता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसी मिल मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरदार नगर मिल के ऊपर एक करोड़ पांच लाख रुपये बकाया है लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बस्ती जिले में किसानों ने अपना गन्ना मिल मालिकों को दे दिया लेकिन उनको पिछले साल के गन्ने के दाम नहीं मिले और न ही वे इस साल का दे रहे हैं। वहां किसानों ने हड़ताल की। दस दिन तक फैक्टरी बन्द रही और निर्णय हुआ कि रोज के रोज पेमेन्ट होगा लेकिन १५ लाख रुपये जो किसानों का था, वह आज तक नहीं दिया गया। नये बकाये को बन्द करके किसानों की लूट कर रहे हैं। चीनी मिल मालिकों ने ६० प्रतिशत मिलों से एडवान्स ले रक्खा है और दूसरी फैक्टरियों को उसे बांट दिया लेकिन किसानों के पैसे को अभी तक नहीं दिया है। कारण क्या था, समाजवाद का हौआ।

हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने एक कमेटी बनाई थी राष्ट्रीयकरण की। उस कमेटी के माध्यम से वह चाहते थे मिलों का राष्ट्रीयकरण करना। उन्होंने तो किसानों को पैसा लेकर अपने पास खसोट लिया और किसानों को पैसा नहीं दिया। रोज हीला हवाला होता रहा। हम आशा करते थे कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा। मजदूर सोचते थे कि मिल वाले हमारा सामान कहीं दूसरी जगह न ले जायं। वे मजदूर उनके विरोधी हो गये और उनके खिलाफ आज केस चला चला कर तंग किया जा रहा है। जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की जा सकी। दुःख है कि माननीय मुख्य मंत्री मौजूद नहीं हैं। उनको चाहिये कि जो उप समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करें। उसमें उनको क्या कठिनाई हुई। जहां तक मुख्य मंत्री ने उदासीनता बरती वहां केन्द्रीय सरकार ने बैंकों पर दबाव डाल कर उत्तर प्रदेश के किसानों को पैसा दिलाने की चेष्टा नहीं की। केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से सौतेले व्यवहार का कार्य किया है क्योंकि वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश में ही संविद सरकार बनी है और उसके माध्यम से बाद में किसानों को दिक्कत होगी तो इसका कलंक लगेगा संविद सरकार को। मैं बताना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की जो समस्या है वह छिपी नहीं है। आज भी शादी-ब्याह का वक्त है। किसान तड़प रहा है। गोंडा जिले में गन्ना यूनियन बदनाम है जिसके बारे में जिलाधीश जो कि वहां के प्रशासक हैं उन्होंने लिखा था कि यहां रिसीवर मुकर्रर करके यहां का कन्ट्रोल अपने हाथ में लें। मैंने टेलीग्राम भी दिया, मुख्य मंत्री जी से भी मिला। यहां के स्पेशल सेक्रेटरी हैं श्री प्रेम कुमार उनसे भी बात की लेकिन कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्योंकि वह जानते थे कि गरीब किसानों की आवाज यहां कहां तक पहुंचेगी। वहां के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले पैसा लेकर चुनाव लड़े और उसके बाद गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है। आज समाजवाद का नारा देते हैं भाई लोग। मैं ट्रेन में आ रहा था। मंत्रियों और विधायकों को जो गालतियां लोग देते हैं वह जनता के बीच जाकर ही पता लगता है। आज दल बदल-बदल कर मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि इन दल बदलुओं के खिलाफ कोई नियम नहीं बनाएंगे तो स्तर बहुत गिर जाएगा। दारुलशफा में अखबार वाले कहते हैं---दस पैसे में टूटे मंत्री, पांच मंत्री टूटे, विधायक पत्तों की तरह झड़ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि दल बदलुओं के खिलाफ कोई नियम बनावें जिससे भविष्य में वह ऐसा न कर पाएं।

मैं गन्ना मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गन्ना सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश में आज तक चुनाव नहीं हुआ। जो पुरानी कार्यकारिणी थी वही कार्य कर रही है जब कि नियमतः

उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कार्यकारिणी की बैठक तो बुलायी जाती है लेकिन उत्तर प्रदेशीय गन्ना सहकारी संघ की बैठक नहीं बुलायी गयी, जब कि ऐक्ट में है कि तीन महीने में जरूर बैठक होगी। मुझे आशा थी कि संविद की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार बन्द होगा, किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन जो पुरानी परम्परा कांग्रेसी हुकूमत में थी, जो चौधरी चरणसिंह और कमलापति त्रिपाठी की सरकार में थी, वह परम्परा संविद सरकार में भी है। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विद्युत मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हरदुआगंज, ओबरा, पनकी और प्रदेश के कोने-कोने में विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी है। आमरण अनशन, अवकाश लेकर अपनी मांगों का इजहार किया है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेलखाने भी भेजे गए। ११ फरवरी, १९७१ को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत परिषद् को आदेश भेज दिया परन्तु राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों ने आज तक उसको कार्यान्वित नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में संघर्ष होता रहे और उसका लाभ अधिकारीगण उठाएं। मैं कहना चाहता हूं हरदुआगंज पावर हाउस में लगभग तीन करोड़ का नुकसान हुआ और उस नुकसान की जिम्मेदारी उन उच्च अधिकारियों पर है जिन्होंने पावर हाउस में कर्मचारियों को घुसने नहीं दिया और वहां की मशीनों को जलवा दिया। वह राष्ट्रद्रोही है और राष्ट्रद्रोही तत्वों से साठ-गांठ करके इस प्रकार की क्षति पहुंचायी जा रही है। आज प्रदेश के अन्दर विद्युत की कटौती की गयी है और उसके परिणामस्वरूप किसानों को ८ बजे से १२ बजे तक और ५ बजे से १० बजे तक बिजली नहीं दी जाती है और जो निर्धारित चार्ज है, वह पूर्वोक्त है, उसमें कमी होनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि आज विद्युत परिषद् में जो सामान की ढुलाई होती है उसमें खुली लूट की जाती है। जो बल्लियां वगैरह २५, ३० और ३५ पैसे में ट्रक से ढोई जाती हैं वे ट्रेन द्वारा ५ और ७ पैसे में ढुली जा सकती हैं। इसको रोकना चाहिये, लेकिन इसके न रोकने का कारण क्या है ? विद्युत परिषद् के चेयरमैन, श्री सिंह पर भ्रष्टाचार का बड़ा भारी आरोप है, श्री जी० के० आर० के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिसकी जांच हो रही है। सेक्रेटरी, श्री प्रसाद जो उनके क्लासफेलो हैं, उनके कनफरमेशन की बात भी चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

वे यहां हैं नहीं, उनके लिये क्यों कह रहे हैं ?

श्री सुखपाल पांडेय--

अब मैं आबकारी विभाग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रदेश के अन्दर मंगलवार को दूकानें बन्द रहना चाहिये, लेकिन वे अधिकारियों के आशीर्वाद से हमेशा खुली रहती हैं। बभनान चीनी मिल में शीरे का तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में एक व्यक्ति पकड़ा गया और उसके खिलाफ इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट की है लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न उनको गिरफ्तार किया गया है। जो अधिकारीगण हैं वे मिल वालों से मिले हुए हैं इसलिये वे उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं जब कि उनके खिलाफ मुकदमा सिद्ध हो चुका है।

अब मैं नगरपालिका, बस्ती की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् ६८ में एक रुपया रोड टैक्स था और उस समय उसे कोई घाटा नहीं होता था लेकिन सन् १९६६-६७ में नगरपालिका ने रोड टैक्स दो रुपये से ढाई रुपये तक बढ़ा दिया और उसमें नगरपालिका को ८० हजार रुपये का घाटा है जब कि वहां राष्ट्रपति का शासन है और कलेक्टर वहां के काम की देखभाल कर रहे हैं। वहां जिला परिषद् के अध्यापक ट्रेनिंग लेकर जुलाई में आये लेकिन फरवरी तक उनकी नियुक्ति नहीं की गयी है और ५०० अध्यापक बेकार घूमते रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिये।

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

अब मैं चिकित्सा विभाग की तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बस्ती जिले में जो चिकित्सा विभाग है उसमें बड़ा ही भ्रष्टाचार है और वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। मेंहदावल अस्पताल के डाक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं और जब कि उनके विरुद्ध प्रमाण भी सिद्ध हो चुका है।

दवाओं के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि आयुर्वेदिक दवायें बहुत कम दाम की दी जाती हैं जिससे गरीबों को दवायें नहीं मिल पाती हैं।

मान्यवर, मैं कृषि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे अनवार अहमद साहब जो पहले कृषि मंत्री थे और अब दल बदल कर उधर से इधर आ गये हैं और अब वह पारस पत्थर की तरह से हो गये हैं। उनके समय में ही उस विभाग में ६० करोड़ रुपयों का गबन हुआ है। एक एक गोदामों में लाखों रुपयों का घाटा हुआ। मैं इसको जानता हूं कि उस गबन में डाइरेक्टर साहब तक भी हिस्सेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सभी बातों को लिख कर गवर्नमेंट को दे दें तब उसकी जांच हो जायगी। आप इसको भेज दें।

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिये तथा उचित कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका टाइम समाप्त हो गया आप बैठ जांय। श्री बसन्तलाल शर्मा अब बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये उठता हूं।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२९ मार्च, १९७१।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०६ पर)

सन् १९६८ के सर्वेक्षण के आधार पर कानपुर की विभिन्न श्रमिक बस्तियों में रहने वाले अनधिकृत व्यक्तियों का विस्तृत विवरण

क्रम संख्या	श्रमिक बस्तियों का नाम	अनधिकृत निवासियों की संख्या
१	शास्त्रीनगर	१,१०४
२	बाबू पुरवा	१,३११
३	बाबू पुरवा इक्सटेन्सन	५७५
४	जूही कलां	१,०११
५	जाजमऊ	२५०
६	पुराना कनपुर	२३४
७	गोन्दिनगर	३५३
८	बेनाझावर (पुराना व नया)	२४९
९	आर० डी० का हाता	२६
१०	फोर्ड मेकडानलड	६०
११	फहिमुद्दीन का हाता	१८
	योग	५,१९१

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२४ एल० ए०—१९७१—८४५ ।